

लोकमानस
loksatta@expressindia.com

पूल-पुतळे म्हणजे विकास नव्हे !

सत्ताधारी राबवत असलेली आर्थिक ध्येयधोरणे संविधानातील समतेच्या तत्त्वाला कशी हरताळ फासणारी आहेत, हे ‘अब्जाधीशांची आबादी !’ या अग्रलेखातून दिसून येते. विद्यमान सत्ताधऱ्यांची समाजवादाला विरोध असलेली उजवी विचारसरणी लागू राहिलेली नाही. विकास म्हणजे फक्त मोटमोठे पूल, महामार्ग, विमानतळ, उंचच उंच इमारती- पुतळे, बुलेट ट्रेन, असे त्यांना वाटते. या साऱ्याचा फायदा प्रामुख्याने फक्त मूठभर भांडवलदारांना आणि श्रीमंत वर्गालाच होतो. सत्ताधारी या मूठभर लोकांची प्रगती म्हणजेच देशाची प्रगती अशी जाहिरात करून लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करतात. आर्थिक निकषानुसार लोकसंख्येचे चार वर्गांत विभाजन केले आणि प्रत्येक वर्गाच्या प्रगतीच्या तहानेचा विचार केल्यास त्यांच्या वाट्याला येणारा ग्लास समान न राहता त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मोठा असला पाहिजे. असे असताना मूठभर लोकांची तहान भागवून ओसंडून वाहणारी श्रीमंती दाखवून पाठ थोपटून घेणारे सत्ताधारी देशाची फसवणूक करत आहेत. असंतोषाला दांडगाईने दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. सत्ताधारी राबवत असलेल्या समताविरोधी, विषमतावादी धोरणाच्या विरोधात असलेला असंतोष सर्व प्रकारच्या दबावतंत्राला झुगारत उफाळून वर आलेला दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसून आला. सत्तेच्या बळावर या असंतोषाचा अनादर केल्यास त्याची मोठी किंमत सत्ताधाऱ्यांना मोजावी लागू शकते.

■ **किशोर थोरात**, नाशिक

आर्थिक शहाणपणातूनच दारिद्र्य सरेल

‘अब्जाधीशांची आबादी !’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ३० जुलै) वाचला. देशातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातील ४० टक्के संपत्ती आहे. त्यामुळे समतोल आर्थिक विकास खरोखरच होतो का याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतो. याव्यतिरिक्त, भारताची आर्थिक धोरणे श्रीमंतांना अनुकूल आहेत असे ठळकपणे दिसून येते. यामुळे संपत्ती काही विशिष्ट लोकांच्या हातात केंद्रित झाली आहे. भारताच्या आर्थिक निर्देशकांवरील माहिती दर्शवते की देशाला या अवस्थेत आणण्यास गेल्या १२ वर्षांतील वित्तीय गैरव्यवस्थापनच कारणीभूत आहे. सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे दोन उद्योगपती प्रचंड श्रीमंत झाले, पण ८२ कोटी लोक गरिबीच्या दरीत ढकलले गेले आहेत. वास्तव भीषण आहे. देशांतील ४८ कोटी जनात दिवसाला १०० रुपयांहून कमी रकमेवर आपली गुजराण करते, तर देशाची ११४ कोटी जनात दिवसाला २०० रुपयांहून कमी रकमेवर गुजराण करते. चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी वाढतच चालली आहे. चुकीच्या अर्थनीतीमुळे क्रयशक्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसते. गेल्या दशकभरासाठीचा ‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ सांगतो की ग्रामीण भागातील उत्पन्नात दरवर्षी ०.६ टक्के घसरण, तर शहरी भागात हीच घसरण १.२ टक्के प्रतिवर्ष इतकी दिसून आली आहे. महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली असून विशेषतः अन्नधान्य घटकांची महागाई इतकी वाढली की देशातील ५० टक्के जनतेचे महिन्याचे बजेट एकदम कोलमडले आहे. धोरणात्मक आणि आर्थिक शहाणपण लाभले तरच दरिद्रीपणाचे उत्तरायण थांबवता येईल.

■ **प्रा. डॉ. गिरीश नाईक**, कोल्हापूर

‘विकासयज्ञा’त गरिबांची आहुती

‘अब्जाधीशांची आबादी !’ हा अग्रलेख वाचला. देशाा अब्जाधीशांची संख्या चार वर्षांत चार पट वाढली, यात आश्चर्य वाटावे असे काहींच नाही. मूठभर वशिलेबाज भांडवलदारांची मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यात सरकारचा हात जनतेला दिसत नाही का ? आकडेवारीचं कोंबड फार काळ झाकून ठेवता येत नाही. देशातील गरिबांच्या जळत्या घरावर अब्जाधीश आपले हात शेकून घेत आहेत, असेच ही आकडेवारी सांगते. ८२ कोटी जणांस महिन्याचा किराणा मोफत देण्यामागे ‘आवळा देऊन कोहळा काढणे’ हीच मानसिकता नसेल, कशावरून ? या सरकारने मांडलेल्या या ‘विकासयज्ञा’त गरिबांची आहुती घालून बाहेर पडणारे शेकडो अब्जाधीश हे ‘यज्ञसंभूत’च म्हणावे लागतील.

■ **ललित अंबळकार**, अकोला

तंत्रज्ञानाचा वापर कल्याणासाठी हवा

‘अण्वस्त्रे असूनही युद्धे का थांबत नाहीत ?’ हा डॉ. प्रसाद श. कुलकर्णी यांचा लेख (३० जुलै) वाचला. जागतिक राजकारणात अण्वस्त्रे ही शांततेची हमी नसून विनाशकारी टांगती तलवार बनली आहे, हे अण्वस्त्र वाढत्या संघर्षांवरून स्पष्ट होते. अण्वस्त्रांचा मुख्य उद्देश शत्रूवर धाक निर्माण करणे हा मानला गेला असला, तरी या धाकाने प्रत्यक्ष युद्धे रोखण्याऐवजी केवळ त्यांची रूपे बदलली आहेत. महासत्ता थेट एकमेकांशी भिडणे टाळत असल्या, तरी लहान देशांमधील युद्धे आणि सैन्यवरील तणाव उघड आहे. अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा गैरफायदा घेऊन अण्वस्त्रहीन देशांवर किंवा आंतरराष्ट्रीय नियमांवर दबाव आणताना दिसतात. त्यामुळे अण्वस्त्रे ही सुरक्षेचे छत्र न राहता जागतिक असुरक्षितता वाढवणारे साधन बनली आहेत.

या संपूर्ण परिस्थितीत जागतिक शांतता राखण्यासाठी स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था हतबल ठरत आहे. सुरक्षा परिषदेत महासत्तांकडे असलेला व्हेटो अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय शांततेतील सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा अण्वस्त्रधारी देश किंवा त्याचा मित्रदेश युद्धात गुंतलेला असतो, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांत मांडले जाणारे शांततेचे प्रस्ताव व्हेटोद्वारे फेटाळले जातात. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाते आणि ही संस्था केवळ एक औपचारिक चर्चा अंश म्हणून उरते. अण्वस्त्रप्रसाराला आळा घालणे असो वा चालू युद्धे थांबवणे असो, संयुक्त राष्ट्रांची ही राजकीय निष्प्रभता आज स्पष्टपणे समोर येत आहे. या समस्येचे मूळ जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापारात आणि महासत्तांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यात दडले आहे. अनेक विकसित देशांची अर्थव्यवस्था ही शस्त्रांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर अवलंबून आहे. तणाव कायम राहिल, तेवढी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची मागणी वाढेल. या शस्त्रास्त्र उद्योगांच्या दबावामुळे अनेकदा शांततेचे प्रयत्न कागदावरच राहतात. आजचे युद्ध पारंपरिक राहिलेले नाही. सायबर हल्ले, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लष्करी वापर आणि अंतराळातील शस्त्रास्त्रे यांमुळे संघर्षाची व्याख्या घातक झाली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर विनाशऐवजी मानवी कल्याणासाठी करणे आणि मुत्सद्देगिरीला प्राधान्य देणे हाच या युगात एकमेव पर्याय आहे.

■ **क्षितिज महाजन**, विठ्ठलनगर (बीड)

मेरे देश की धरती सोना उगले...

***ताईत ताई** निर्मलाताई, चलनात चलन भारतीय रुपया, उद्योगपतीत उद्योगपती भारतीय उद्योगपती. यांच्या उद्योगांचा थांगपत्ता लागतोका ? आज रोजी अब्जाधीशांची संख्या ही ५७६. हे तर काहीच नाही, पुढील निवडणुकांपर्यंत अब्जाधीशांचा आकडा हजारवार जातो की नाही बघाच. बरे हे झाले घोषित आकडेवारीचे, स्विस बँकेतील अघोषित अब्जाधीश अजून मोजलेलेच नाहीत. मोटाल्या रस्ते कंत्राटीच्या पेपणीतून अब्जाधीशांचे पीक निघणारा नाही का ? उगाच नाही १९६७ मध्ये ‘उपकार’ चित्रपटातील मनोज कुमार गात फिरला की ‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हिरें-मोती’. ‘सोने की चिडिया’ म्हणजे काय व कसे, काही लक्षात येतेय का ?*

■ **मिथिला प्रभाकर**, पुणे

विकासाची सुरुवात शेतकऱ्यापासूनच

‘स्मार्ट योजनेतून शेतकरी उद्योजक होणार का ?’ हे ‘विश्लेषण’ (३० जुलै) वाचले. देशाला फक्त आर्थिक वाढ नको आहे तर त्याबरोबरच शाश्वत विकासाचीसुद्धा गरज आहे. फक्त कागदपत्री लक्ष्य पूर्ण करायचे म्हणून स्मार्ट योजना राबवण्यात तर कसे चालेल ? कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी अधिकारी वर्गावर अवलंबून असते. ती निष्पक्ष हवी. फक्त कागदपत्री पुरावे न शोधता अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या मूळ गाथ्याचा भाग असणाऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. अंमलबजावणीचे प्रामाणिक परीक्षण झाले पाहिजे. स्मार्ट योजना ग्रामीण भागात घेऊन जाणे किंचितच वाढले ती अशक्य मुळीच नाही. शेतकरी वर्ग आता सुजाण झाला आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन केल्यास व त्याबद्दलचे निगम समजवल्यास ते नक्कीच मेहनत करतील. उद्योजक म्हणून नावारूपाला येणे शेतकऱ्यासाठी अभिमानाची बाब ठरेल. देशाला विकासाची जोड द्यायची असेल तर सुरुवात मुळ्यापासून (शेतकऱ्यापासून) करायला हवी व अनेक प्रभावी योजना राबवून व अंमलबजावणी करून त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.

■ **सरिता पोटे**, अहिल्यानगर

विचार

मुख्य प्रवाहापलीकडील साहित्यदृष्टी...

जातिव्यवस्था ही केवळ सामाजिक किंवा सांस्कृतिक विभागणी नसून श्रमिकांना कायमस्वरूपी अधीन ठेवणारी यंत्रणा आहे, याची जाणीव लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांनी करून दिली. या सामाजिक तत्त्वचिंतकाच्या उद्याच्या जयंतीनिमित्त (१ ऑगस्ट) त्यांच्या साहित्याविषयी...

डॉ. मिलिंद ए. आवाड
सहयोगी प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (नवी दिल्ली)
milindawwad1@gmail.com

अण्णा भाऊ साठे यांचे नाव घेतले की सर्वप्रथम आठवतात ते पोवाडे, लावण्या आणि लोकनाट्य. ही ओळख योग्य असली तरी ती अपुरी आहे. कारण अण्णा भाऊ साठे हे केवळ लोककलावंत नव्हते; तर ते भारतीय समाजरचनेतील श्रम, जात, सत्ता आणि सांस्कृतिक वर्चस्व यांचे चिकित्सक विश्लेषण करणारे महत्त्वाचे साहित्यिक आणि विचारवंत होते. त्यांच्या साहित्याचे मूल्यमापन केवळ कलात्मकतेच्या निकषांवर न करता, त्यांनी उपस्थित केलेल्या सामाजिक प्रश्नांच्या संदर्भात करणे अधिक आवश्यक आहे. अण्णा भाऊंचे साहित्य केवळ लोककलावंतांच्या अभिव्यक्तीपुरते मर्यादित नाही तर ते भारतीय समाजव्यवस्थेच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचनेचे सखोल विश्लेषण करणारे परिवर्तनवादी साहित्य आहे. अण्णा भाऊंच्या लेखनाचे खरे महत्त्व हे त्यांनी उपेक्षितांच्या अनुभवाला साहित्याच्या केंद्रस्थानी आणले, यात आहे.

मुख्य प्रवाहातील साहित्य अनेकदा स्वतःला सार्वत्रिक आणि निरपेक्ष मानत आले आहे. परंतु कोणताही मुख्यप्रवाह हा सत्तेपासून स्वतंत्र नसतो. साहित्य, प्रकाशन संस्था, विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम, पुरस्कार, साहित्य संमेलने, प्रसारमाध्यमे आणि समीक्षा यांद्वारे कोणते साहित्य ‘मुख्य’ आणि कोणते साहित्य ‘परिघावरील’ ठरेल, हे ठरविले जाते. त्यामुळे सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्या साहित्याला अनेकदा उपेक्षा, मॉन किंवा मर्यादित मान्यता मिळते. अण्णा भाऊ साठे यांच्याबाबतही हेच घडले. त्यांच्या जयंतीचे सरकारी कार्यक्रम झाले, स्मारके उभी राहिली, निवडक साहित्य प्रकाशित झाले; परंतु त्यांच्या संपूर्ण वैचारिक प्रकल्पाला सार्वजनिक चर्चेत अपेक्षित स्थान मिळाले नाही. त्यांना ‘लोकशाहीरी’ म्हणून गौरविण्यात आले, पण ‘सामाजिक तत्त्वचिंतक’ म्हणून स्वीकारले गेले नाही. ही निवडक मान्यता हीच मुख्य प्रवाहातील सांस्कृतिक राजकारणाची पद्धत आहे. ती व्यक्तीचा गौरव करते, पण तिच्या विचारांची धार बोधत करते. मुख्य प्रवाहाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तो पर्यायी विचारांना पूर्णपणे नाकारत नाही; परंतु त्यांना निष्प्रभ करून स्वीकारतो. परिवर्तनवादी साहित्याचा निवडक गौरव केला जातो, परंतु त्यातील विव्रोही अशाय बाजूला ठेवला जातो आणि त्याला सांस्कृतिक मुस्तीचा भाग म्हणून सादर केले जाते.

अण्णा भाऊंच्या साहित्याचा उत्सव साजरा झाला; पण त्यांच्या विचारांचा सार्वजनिक धोरणांशी संवाद फारसा घडला नाही. त्यामुळे त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करताना त्यांच्या साहित्याच्या सामाजिक आशयाला केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे.

साहित्य ही केवळ कलात्मक निर्मिती नसून समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेला आकार देणारी प्रक्रिया आहे. कोणतेही साहित्य सामाजिक आणि राजकीय संदर्भांपासून अलिप्त नसते. मुख्य प्रवाहातील साहित्य अनेकदा विद्यमान व्यवस्थेच्या मूल्यांना वैधता देते; तर परिवर्तनवादी साहित्य त्या व्यवस्थेच्या मर्यादा आणि अंतर्विरोध उघड करते. अण्णा भाऊंच्या लेखनाची हीच वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका आहे. त्यांच्या कथा, कादंबऱ्या, पोवाडे आणि लोकनाट्यांमध्ये समाजाच्या परिघावर जगणारी माणसे प्रथमच केंद्रस्थानी येतात. त्यांच्या व्यक्तिरेखा संघर्ष करतात, प्रश्न विचारतात आणि मानवी प्रतिष्ठेचा आग्रह धरतात. त्यामुळे त्यांचे साहित्य भूतदयेचे नव्हे, तर स्वाभिमानाचे साहित्य ठरते.

भारतीय समाजव्यवस्थेचा विचार केला तर श्रम करणारे आणि श्रमावर नियंत्रण ठेवणारे असे दोन व्यापक सामाजिक स्तर इतिहासभर दिसून येतात. जातिव्यवस्थेने उत्पादनशील श्रमाला सामाजिक कनिष्ठत्व बहाल केले, तर ज्ञान, धर्म आणि सांस्कृतिक अधिकार विशिष्ट सामाजिक घटकांच्या हातात केंद्रित राहिले. त्यामुळे दारिद्र्य, असुरश्यता, सामाजिक बहिष्कार किंवा सांस्कृतिक दुय्यमत्व या केवळ सामाजिक समस्या नव्हते; तर त्या सत्तासंबंधांच्या ऐतिहासिक रचना आहेत. अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्याचा केंद्रबिंदू हाच आहे. जातिव्यवस्था ही केवळ सामाजिक किंवा सांस्कृतिक विभागणी नसून श्रमिकांना कायमस्वरूपी अधीन ठेवणारी सांस्कृतिक आणि राजकीय यंत्रणा आहे. अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्याची सुरुवात याच वास्तवापासून होते. त्यांच्या लेखनात श्रम हा केवळ अर्थकारणाचा विषय नाही; तर तो मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. म्हणूनच त्यांचे सर्वाधिक प्रसिद्ध विधान आहे ‘ही पृथ्वी शेषनागाच्या मस्तकावर तडलेली नसून श्रमिकांच्या तळहातावर तरलेली आहे.’

अण्णा भाऊंनी १९५८ रोजी मुंबईत झालेल्या पहिल्या दलित साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक व अध्यक्ष या नात्याने स्पष्टपणे सांगितले होते, ‘जे आयुष्य मी जगतो, पाहतो आणि अनुभवतो त्याबद्दलच मी लिहितो.’ त्यामुळे त्यांच्या कथांतील

स्टीलचा पृष्ठभाग सिच्छद्र नसलेला आणि गुळगुळीत असतो. त्यामुळे रक्त, ऊती आणि सूक्ष्मजंतू साधनांच्या सूक्ष्म भेगांमध्ये अडकू शकत नाहीत. यामुळे या धातूला गंज तर लागत नाहीच शिवाय त्याच्या पृष्ठभागावर जिवाणूंना वाढणंही अशक्य होतं.

शस्त्रक्रियेमध्ये केल्या जाणाऱ्या विविध गोष्टींसाठी विशिष्ट संमिश्र धातू वापरले जातात. उदाहरणार्थ, चाकूसाठी ‘कार्बन स्टील’ वापरतात, कारण ते अतिशय धारदार बनवता येतं. तर चिमटा आणि कात्री यांसाठी ‘स्टेनलेस स्टील’

किंवा ‘टंगस्टन कार्बाइड’ वापरलं जातं. कारण हे धातू मजबूत, टिकाऊ आणि दीर्घकाळ धार टिकवणारे असतात. त्याचप्रमाणे शरीरात बसवले जाणारे इम्प्लांट्स, शरीरात बराच काळ रहाणार असल्यामुळे अतिशय सुरक्षित, टिकाऊ आणि शरीराशी सुसंगत अशा धातूंनी बनवले जातात. इम्प्लांट बनवण्यासाठी प्रामुख्याने टायटॅनियमचा वापर केला जातो. शस्त्रक्रियेची साधनं तयार करताना मजबुती, गंजरोधकता, स्वच्छता राखण्याची आणि धार टिकवण्याची क्षमता या गुणांना अत्यंत महत्त्व दिलं जातं. योग्य धातूंची निवड केल्यामुळे ही साधनं सुरक्षित आणि प्रभावी ठरतात. त्यामुळेच आधुनिक शस्त्रक्रिया अधिक अचूक, विश्वासार्ह आणि यशस्वी होते.

– **उल्का पाटील**
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

‘शौर्वाणे पृथापुत्र अर्जुनासारखा, दातृत्वाने विक्रमादित्यासारखा व जातृत्वाने भोजराजासारखा शहाजी’ जयरामकवीने आपल्यासमोर उभा केला असला, तरी तो साठीच्या घरात पोचलेला शहाजी जेमेतमे पाच वर्षांतल्या कामगिरीवरून नीट समजून घेता येणार नाही, त्यासाठी त्याचे संपूर्ण आयुष्य जाणून घ्यायला हवे, हे मनाशी पक्के ठरवून राजवाड्यांनी शहाजीचरित्र आकलनाची मोहीम सुरू केली. त्यांनी प्रारंभी लिहिले, ‘प्रथम ह्या पराक्रमी पुरुषाचे खरे नाव, काय, या बाबीची विचक्षणा (बारकाईने, सखोल चौकशी) करू या. या चंपूकाव्यांमध्ये शाह, षाह, साहे, साहिज, साहजू, शाहे, शाहजी, साह, साहजी, शाहबा, शाहाजी, शहाराज, शहाजी, साहजी, शा, साहि इतके उच्चार ह्या पुरुषाच्या नावाचे आले आहेत. बखरींतून शहाजी, शाहाजी, शाहजी आणि तवािरिखामधून शहाजी, शाहाजी व क्वचित स्याहाजी असाहि उच्चार आढळतो. पैकी मूळ खरा उच्चार कोणता ? ह्या पुरुषाचे मूळ नाव सिंह असावे. सिंह शब्दाला जित् शब्द जोडून सिंहजित, त्याचा अपभ्रंश सिंहजी, सिंहाजी, त्यावरून स्याजी, स्याहाजी, स्याहाजी, शहाजी इ.इ.... मूळ नाव सिंह असावे, ह्याला प्रमाण ह्याच्या धाकट्या भावाचे नाव शरभोजी. शरभ हे

पात्रे साहित्यिक कल्पना नसून भारतीय समाजाच्या उपेक्षित इतिहासाची जिवंत साक्ष आहेत. त्यांच्या कथेतील बरबादा, भोमक्या, निळू मांग, गिरणी कामगार किंवा मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांतील स्थलांतरित माणूस ही केवळ पात्रे नाहीत; तर भारतीय आधुनिकतेच्या अपूर्णतेची साक्ष देणारे सामाजिक दस्तावेज आहेत. त्यांच्या व्यक्तिरेखा कल्पित नसून जीवनाच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून घडलेल्या आहेत. अण्णा भाऊंच्या साहित्याचा केंद्रबिंदू दया, याचना नाही, तर प्रतिकार आहे.

त्यांच्या व्यक्तिरेखा दुःख भोगतात; पण त्या केवळ करुणेचे प्रतीक नाहीत. त्या अन्यायाचा प्रतिकार करतात. त्यामुळे त्यांच्या साहित्यामध्ये विद्रोह हा नकारात्मक भाव नसून स्वाभिमानाची अभिव्यक्ती आहे. शोषणाचे चित्रण करताना ते भावनिक उद्रेक करत नाहीत; त्यामागील सामाजिक संरचना उघड करतात. याच कारणामुळे त्यांचे साहित्य आजही तितकेच समकालीन वाटते.

आज अण्णा भाऊंच्या साहित्याच्या स्वीकाराकडे पाहिले, तर एक मनोरंजक विरोधाभास दिसतो. त्यांच्या जयंती, स्मृतिदिन किंवा निवडक साहित्यकृतींचा गौरव केला जातो; मात्र त्यांच्या संपूर्ण वैचारिक वारशाचे आकलन करण्याचे प्रयत्न तुलनेने कमी दिसतात. ही स्थिती परिवर्तनवादी साहित्याच्या व बऱ्याच लेखक साहित्यिकांच्या बाबतीतही दिसून येते. आज भारतात आर्थिक विकासाच्या उपनगरांत राहणारे लाखो लोक विकासाच्या कथानकाबाहेरच राहतात. उत्पादनाची साधने बदलली; तंत्रज्ञान बदलले; पण श्रमाची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र फारशी बदलली नाही. अण्णा भाऊंचे साहित्य या विसंगतीकडे आजही नेमकेपणाने लक्ष वेधते. अण्णा भाऊंच्या पुनर्वाचनाची गरज आज अधिक तीव्र आहे. त्यांच्या प्रतिमेलाला पुष्पहार अर्पण करणे सोपे आहे; पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सामोरे जाणे कठीण आहे. श्रमाला प्रतिष्ठा देणारी अर्थव्यवस्था, जातमुक्त समाजरचना, सांस्कृतिक लोकशाही आणि ज्ञानावर सर्वांचा समान अधिकार ही त्यांची

स्वप्ने अजूनही अपूर्ण आहेत.

अण्णा भाऊंच्या लेखनात श्रम, दारिद्र्य, स्थलांतर, उपेक्षा आणि मानवी सन्मान यांचे प्रश्न परस्परांशी जोडलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे साहित्य भारतीय समाजाच्या परिवर्तनाची व्यापक संकल्पना मांडते. त्यांच्या साहित्यात जात, वर्ग आणि लिंग यांचे नाते अत्यंत सूक्ष्मपणे व्यक्त झालेले दिसते. अण्ण भाऊ साठे हे केवळ एका समाजाचे लेखक नव्हते; तर ते भारतीय लोकशाहीतील अपूर्ण समतेचे लेखक होते. त्यांनी साहित्याला संघर्षाची भाषा दिली. श्रमिकांच्या जगण्याला सौंदर्यदृष्टी दिली, उपेक्षितांच्या अनुभवाला इतिहासाचे स्थान दिले. म्हणूनच त्यांचे साहित्य भूतकाळातील दस्तऐवज नाही; ते वर्तमानाचा आरसा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे.

जागतिकीकरण, नवउदारमतवाद आणि तांत्रिक बदलांच्या काळात आर्थिक विषमता कमी झालेली नाही; उलट तिची रूपे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. असंघटित श्रम, स्थलांतरित कामगार, असुरक्षित रोजगार आणि वाढती सामाजिक विषमता या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य नव्याने वाचण्याची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. त्यांच्या लेखनातील सामाजिक संवेदनशीलता आणि परिवर्तनाची आकांक्षा आजही तितकीच समकालीन आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही वास्तवांचे चित्रण केले. त्यांच्या पोवाड्यांमध्ये गिरणी कामगारांचा संघर्ष आहे; लोकनाट्यांमध्ये निवडणूक राजकारणाचा उपहास आहे; कथांमध्ये जातीय अपमान आहे; तर कादंबऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्य, सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची आकांक्षा आहे. म्हणूनच त्यांचे साहित्य एका विशिष्ट प्रकारात बंदिस्त करता येत नाही. ते लोकसाहित्य आहे, वर्गसाहित्य आहे, दलितसाहित्य आहे, कामगारसाहित्य आहे; पण त्याचबरोबर ते आधुनिक भारतीय समाजाचे व्यापक राजकीय व सांस्कृतिक विश्लेषणही आहे.

अण्णा भाऊ साठे यांचे केवळ लोकशाहीर म्हणून स्मरण करणे म्हणजे त्यांच्या साहित्यदृष्टीची व्याप्ती मर्यादित करणे होय. त्यांना भारतीय परिवर्तनवादी विचारपरंपरेतील महत्त्वाचे साहित्यचिंतक म्हणून स्थान देणे, त्यांच्या साहित्याचे नव्याने मूल्यमापन करणे आणि विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांपासून सार्वजनिक चर्चापर्यंत त्यांना योग्य स्थान मिळवून देणे ही आजच्या साहित्यविश्वासमोरील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. कारण अण्णा भाऊ यांचे साहित्य केवळ एका समाजघटकाचा इतिहास सांगत नाही; ते भारतीय लोकशाहीला अधिक समताधिष्ठित आणि मानवी बनविण्याच्या मूल्यांची सातत्याने आठवण करून देते.

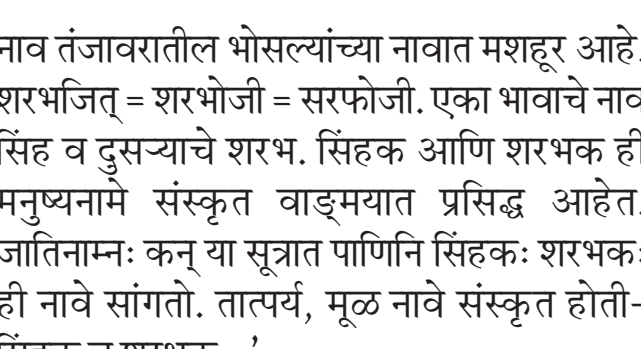
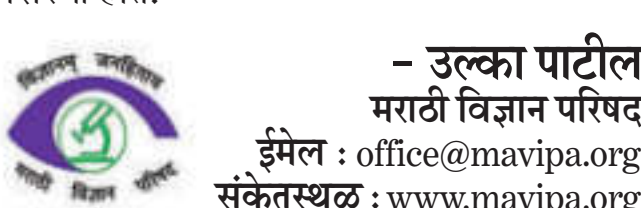
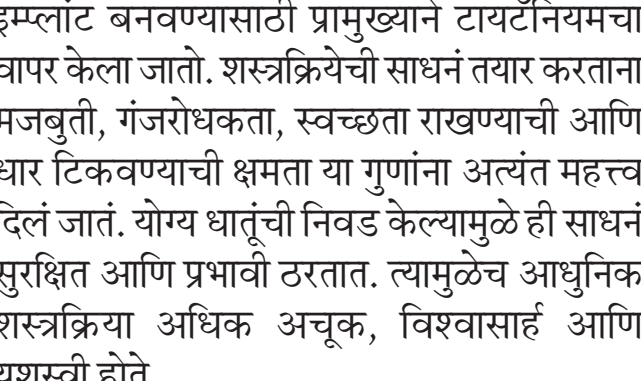
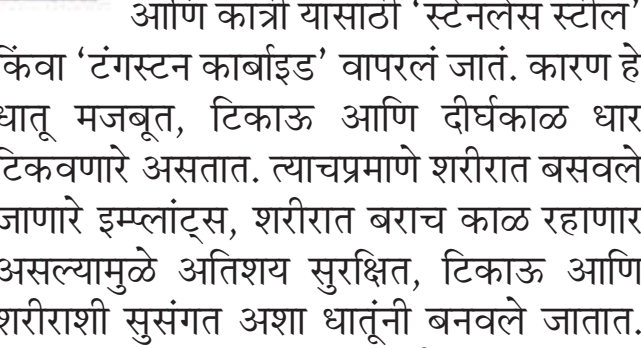
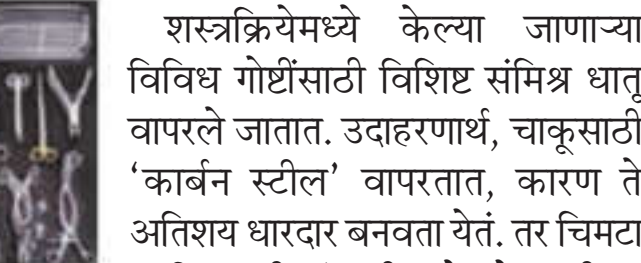
कुतूहल

शस्त्रक्रिया साधनं कोणत्या धातूची ?

शस्त्रक्रिया हा वैद्यकीय विज्ञानातील एक अत्यंत जबाबदारीचा, पण तितकाच रोमांचक भाग आहे. ऑपरेशन थिएटरमध्ये, जेव्हा डॉक्टर रुग्णावर उपचार करत असतात, तेव्हा त्यांच्या हातातली प्रत्येक गोष्ट म्हणजे जीव वाचवणारं एक महत्त्वाचं साधन असतं. त्या साधनांची अचूकता,

स्वच्छता आणि मजबुती यावरच शस्त्रक्रियेचं यश अवलंबून असतं. म्हणूनच कुतूहल निर्माण होतं की ही साधनं कोणत्या धातूपासून बनवली जातात ? ती गंजत नाहीत का ? इतकी टिकाऊ कशी असतात ? रक्ताच्या संपर्कात येणारी ही धातूची साधनं रक्ताबरोबर काही रासायनिक अभिक्रिया करतात का ?

शस्त्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी बहुतेक साधनं विशिष्ट दर्जाच्या स्टेनलेस स्टीलपासून बनवली जातात. या स्टीलला ‘सर्जिकल स्टील’ म्हणतात. सर्जिकल स्टीलमध्ये प्रामुख्याने विशिष्ट प्रमाणात लोह, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि कधी निकेल मिसळलेलं असतं. हा समिश्र धातू हेव्याच्या संपर्कात येतो, तेव्हा क्रोमियम ऑक्सिजनशी अभिक्रिया करून पृष्ठभागावर क्रोमियम ऑक्साइडचा अतिशय पातळ थर तयार करतो. हा थर थोडा खरबडला गेला तरी हवेतल्या ऑक्सिजनमुळे तो पुन्हा तयार होतो. त्यामुळे धातू सुरक्षित राहतो. हा थर धातूला पाणी, रक्त आणि रसायनांपासून संरक्षण देतो, त्यामुळे गंज तयार होत नाही आणि कोणतीही हानीकारक अभिक्रियाही तो होऊ देत नाही. मॉलिब्डेनममुळे ही क्षमता आणखी वाढते, त्यामुळे ही साधनं वारंवार निर्जंतुक केली तरी टिकाऊ राहतात. सर्जिकल



नाव तंजावरातील भोसल्यांच्या नावात मशहूर आहे. शरभजित् = शरभोजी = सरफोजी. एका भावाचे नाव सिंह व दुसऱ्याचे शरभ. सिंहक आणि शरभक ही मनुष्यनामे संस्कृत वाड्मयात प्रसिद्ध आहेत. जातिनामः कन् या सूत्रात पाणिनि सिंहकः शरभकः ही नावे सांगतो. तात्पर्य, मूळ नावे संस्कृत होती-सिंहक व शरभक...’

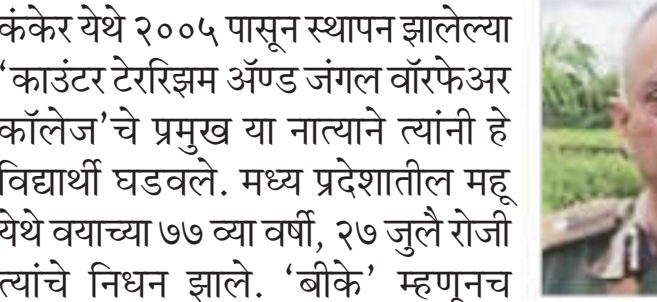
‘नगरच्या शहासरीफ या फकिराच्या नावावरून शहाजी व सरफोजी ही नावे नवसाकरिता दिली, ही मजखलाशी नंतरची आहे.... अहमदनगरच्या निजामशाही दरबारात वावरावयाचे असल्यामुळे आपली नावे मुसलमान पीराच्या नावावरून पडली, असा बहाणाहि या नामधारकांकडून पातशाही मजी संपादण्याकरिता केला गेला असणाऱ्या संभव आहे, परंतु मूळ नावे संस्कृत होती, हे बृहदीश्वराच्या देवाळातील शिलालेखातल्या उच्चारारवून ताडता येते’, अशी पुथीही त्यांनी जोडली.

चंपूकाव्याच्या नायकाच्या मूळ नावाची अशी

नक्षलवादाच्या उच्चाटनासाठी २००९ साली राखीव पोलिसांसह विशेष दले स्थापण्याचा निर्णय तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अमलात आणला, तो सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढे नेला आणि देशाला ‘नक्षलमुक्त’ घोषित केले. या वाटचालीत सहभागी सुमारे ३७ हजार जवान आणि अधिकारी हे ब्रिगेडियर (निवृत्त) बसंतकुमार (बी.के.) पोन्वर यांचे विद्यार्थी! भारतीय स्थलसेनेतील सेवेनेतर छत्तीसगडमध्ये

कंकेर येथे २००५ पासून स्थापन झालेल्या ‘काउंटर टेररिझम अँड जंगल वॉरफेअर कॉलेज’चे प्रमुख या नात्याने त्यांनी हे विद्यार्थी घडवले. मध्य प्रदेशातील महू येथे वयाच्या ७७ व्या वर्षी, २७ जुलै रोजी त्यांचे निधन झाले. ‘बीके’ म्हणूनच ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रिगेडियर पोन्वर यांनी १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिलढ्यातही ‘मुक्तिबाहिनी’ सह जमिनीवर कामगिरी केली होती. ‘विशिश सेवा मेडल’ आणि ‘अति विशिश सेवा मेडल’ने त्यांना गौरवण्यात आले होते.

पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबंधिनीतून (एनडीए) त्यांनी १९६९ मध्ये ‘मराठा लाइट इन्फंट्री’च्या पहिल्या बटालियनमध्ये प्रवेश केला. बांगलादेश मुक्तियुद्धाच्या वेळी ते ‘९५ माउंटन ब्रिगेड’मध्ये होते. या युद्धात बक्षीगंज व कमालपूरचे मोर्चे सांभाळताना, तमोल येथे सातशे-साडेसातशे भारतीय सैनिक पॅराशूटने सुखरूप उतरावेत यासाठीचा बंदोबस्त करण्याचे काम त्यांच्याकडे होते. त्यानंतरचा बहुतेक काळ बांगलादेशलगतच्या राज्यांत आणि विशेषतः त्या वेळी अनेक सशस्त्र आततायी गटांमुळे अस्वस्थ असलेल्या मिझोरम, आसाम, नागालॅण्ड आदी राज्यांमध्ये त्यांनी काम केले. त्रिपुरामध्ये आसाम रायफलसचे उपमहानिरीक्षक म्हणून कार्यरत



ब्रिग. (निवृत्त) बी. के. पोन्वर

‘मच्छीमारांच्या जाळ्यासारखी स्थितिस्थापक व्यूहरचना’ त्यांनी दुर्गम भागांत वापरली. या जाळ्याच्या ‘गाठी’ असुरक्षित टापूमध्ये पाच-सहा किलोमीटरवर, तर तुलनेने सुरक्षित भागांमध्ये दहा ते २० कि.मी.वर असावयात. ‘कॉल’ येताच चारही किंवा गरजेनुसार दोन वा तीन ‘गाठी’ या तळावरची दले धडक देणार, अशी ही रचना. अर्थात, ‘केवळ बंदुकीच्या बळावर नक्षलवाद शमणार नाही- त्यासाठी अन्य उपायही हवेत’ हे म्हणणे निव्वळ शौर्याचेच आकर्षण असेलत्यांच्याही गळी उतरवण्याइतके उमेदपण ‘बीके’ यांच्या ठायी होते!

##

संपादकीय

मुंढे-मार्गाच्या मर्यादा!

समाज म्हणून आपण प्रत्येकाने नियमबाह्य वर्तन करायचे वा पळवाटा शोधायच्या; मग असलेले नियम पाळायला लावणारा कोणी अधिकारी आला की टाळ्या वाजवायच्या...

प्रबुद्ध, नियमाधारित व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणारा समाज होण्यापासून आपण किती योजने दूर आहोत याचे तुकाराम मुंढे हे प्रतीक. मुंढे तूतं ‘अन्न औषध प्रशासन’ (एफडीए) या खात्याचे प्रमुख आहेत. कोणतेही पद मिळाले की हाती वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड आल्यासारखे त्यांचे वर्तन असते आणि ते हाती आलेल्या अधिकाराची तलवार सपासप चालवत राहतात. त्यांच्या या कृत्यास टाळ्या पडतात. नियमाधारित व्यवस्था कशी असते याचा अनुभव नसलेला समाज मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या कृतीने अधिकच बेफाम होतो. कारण आपल्या मूलतः निष्क्रिय, निस्तेज आणि निवांत समाजाला एखादा नायक हवा असतो. हा समाजास हवा असलेला नायक पुरवण्याची जबाबदारी आपल्याकडे आहे असा मुंढे यांचा समज आहे आणि त्यातून बाहेर येण्याची क्षमता नसल्याने ते असे समाजास हवे असलेले नायकत्व प्रत्येक पदावर पुरवत राहतात. आताही मुंबईतील अनेक हॉटेले, आस्थापना, खासगी क्लब इत्यादींवर ते कारवाईचा बडगा उचलत सुटले आहेत. लवकरच त्यांचे लक्ष औषध/रसायन कंपन्यांकडे जाईल. या पदावरील त्यांच्या वरिष्ठपदासाठी पुरेशी डोकेदुखी ते निर्माण करत नाहीत तोपर्यंत त्यांस या पदावर ठेवले जाईल. मग बदली. काही काळ पदाविना घरी बसणे. मग नवे पद आणि नव्या कारवाया. नागरिकांचा पुन्हा त्यांच्या पाठिंब्याचा चीत्कार. म्हणजे हाच खेळ पुन्हा उडो. यातून समाज म्हणून, एक व्यवस्था म्हणून आपण पुढे जातो का?

‘नाही’ असे या प्रश्नाचे ठाम उत्तर. असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी कशी करायची हे दाखवून देणारे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यापासून ते गो.

रा. खैरनार यांच्यासारखे प्रसिद्धिलोलुप उथळ अधिकारी अशा अनेकांचे दाखले या संदर्भात देता येतील. या व्यक्ती त्या त्या पदावरून दूर झाल्यानंतर त्या त्या पदांचे काय भजे झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्याच वेळी राजकीय पटलावर महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यानंतर जयप्रकाश नाययण ते अण्णा हजारे अशा अनेकांनी समाजाचे नेतृत्व केले. महात्मा गांधींच्या या देशात नंतर किती मूल्याधिष्ठित राजकारण झाले? गांधींच्याच भूमीत हिंसाचाराचा नंगा नाच या देशाने पाहिला. जयप्रकाशांचे वर्णन तर त्याकाळी ‘अंधेरे में एक प्रकाश’ असे केले गेले. आयुष्यभर अहिंसेची भलामण करणाऱ्या गांधींच्या भूमीत रक्ताचे पाट वाहिले आणि जयप्रकाश यांच्यानंतर तर त्यांच्या अनुयायांनी अंधारच प्रसवला. हे दाखले या संदर्भात लक्षात घ्यावयाचे याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे या देशवासीयांच्या रक्तात मुरलेला व्यक्तिपूजेचा दोष. वस्तुतः हिंदू तत्त्वज्ञान हे व्यक्तीकडून समष्टीकडे जाण्याची गरज व्यक्त करते. मार्ग दाखवते. पण त्या धर्माचा अभिमान बाळगणारे व्यक्तिपूजेचा रक्तदोष हजारो वर्षांनंतरही दूर करू शकलेले नाहीत. या आजाराचे गंभीर लक्षण म्हणजे समाजास सतत कोणी ना कोणी नायक हवा असणे. मग तो क्रिकेटसारख्या सांघिक खेळ असो वा राजकारण, समाजकारण असो. कोणीतरी पूजनीय हवा. त्याच्या पायावर डोकें ठेवले, चार फुले वा गंधाक्षता वाहिल्या की आपण रिकामे हवे ते करण्यास, ही मनोवृत्ती. बाबा-बापूंचे प्रर्थ अशा समाजात वाढते तेही यामुळेच आणि फुटबॉलसारख्या सांघिक खेळात भारतीय प्रगती करूच शकत नाहीत, तेही याचमुळे. एका नायकाच्या खांद्यावर माना टाकल्या की आपले काम झाले! आम्ही

नियमांस बगल देण्यास तयार.

मुंढे यांच्या संदर्भात हेच होताना दिसते. वास्तविक ज्या कारवायांसाठी मुंढे यांस मूर्ख समाजाकडून डोक्यावर घेतले जात आहे ते फक्त व्यावसायिकांचेच नव्हे; तर सर्वांचेच कर्तव्य नाही काय? आपण जेथे काम करतो तो परिसर स्वच्छ असावा, खाद्यपदार्थात भेसळ नसावी, मुदत संपलेले घटक वापरले जाऊ नयेत, इतरांच्या जिवास अपाय होईल

...

... असा समाज कधीही प्रगती करूच शकत नाही. व्यवस्थात्मक रचना, सुधारणा यांपेक्षा स्वतःस मोठ्या मानणाऱ्या व्यक्ती त्या समाजाचे चिरकाल भले कधीही करू शकत नाहीत...

असे कोणतेही कृत्य कोणीही करू नये इत्यादी इत्यादी नियमांच्या आग्रहात मुंढे यांनी दिवे लावावेत असे काय आहे? कोणत्याही शहाण्या घरात आणि अशा शहाण्या घरातील शहाण्या व्यक्तींकडून हे नियम पाळले जातातच. या किमान नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘अन्न-औषध प्रशासन’ आयुक्ताचे लक्ष कशासाठी हवे? पण या अशा

किमान सभ्य नियमांच्या अंमलबजावणीसाठीही तो आपणास लागतो याचे कारण उठता-बसता ‘जय अमुक-तमुक’ करत आपली धार्मिकता दाखवणाऱ्यांस सार्वजनिक ठिकाणी पान-मसाल्याच्या पिचकाऱ्या मारण्याची शरम वाटत नाही; म्हणून. घरातील स्वच्छतेचे नियम बाहेर पाळवयाचे नसतात असा संदेश देणारे आपले वर्तन असते म्हणून. आपल्या मुला/ मुलीस शाळेत सोडायला जाणाऱ्या बाप वा आई यांस उलट्या दिशेने वाहन दमटण्याची शरमच वाटत नाही म्हणून. आणि देवदर्शनासाठी रंगेत उभे राहावे लागू नये म्हणून अधिक पैसे मोजण्याची वा ‘व्हीआयपी पास’ साठी कोणास गळ घालण्याची लाजच आपल्यातील अनेकांस वाटत नाही म्हणूनही. समाज म्हणून आपण प्रत्येकाने नियमबाह्य वर्तन करायचे. नियमांस बगल कशी देता येईल याच्या चोरवाटा शोधायच्या. जमल्यास, शक्य असल्यास स्वतःही ‘वरची’ कमाई करायची. आणि तरीही असलेले नियम पाळायला हवेत यासाठी सक्ती करणारा कोणी अधिकारी आला की टाळ्या वाजवून त्यास पाठिंबा द्यायचा. असा समाज कधीही प्रगती करूच शकत नाही. अशा समाजात मुंढे लोकप्रिय होतात. त्यांचा गंड सुखावतो. आपण बरेच काही केल्याचे त्यांस समाधान वाटते. कसे एकेकास सुतासारखे सरळ केले, हे मिरवता येते. पण व्यवस्थात्मक रचना, सुधारणा यांपेक्षा स्वतःस मोठ्या मानणाऱ्या व्यक्ती त्या समाजाचे चिरकाल भले कधीही करू शकत नाहीत.

ही मर्यादा मुंढे यांची नाही. ती आपल्या सामाजिक व्यवस्थेची आहे. मुळात सामाजिक व्यवस्थाच अशी निरुपयोगी असल्याने मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचे

रुपयाची घसरण आणि अर्थिक स्थैर्याची कसोटी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन’ अहवालातून जगाच्या अर्थवृद्धीसंदर्भात काहीसे निराशाजनक चित्र समोर येते. भारतासंदर्भात सांगायचे तर, भारताचा आर्थिक विकासदर अर्थात; सकल देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर २०२५ मधील ७.७% वरून २०२६ मध्ये ६.४% पर्यंत, म्हणजेच १.३ टक्के अंकांनी घसरण्याचा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे, भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या (आरबीआयच्या) पतधोरण समितीने ३-५ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत, २०२६-२७ या वर्षासाठीचा जीडीपीवाढीचा अंदाज ६.९% (६-८ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीच्या अहवालानुसार), वरून कमी करून ६.६% पर्यंत घटवला. यासंदर्भात, ३ ते ५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या आगामी बैठकीत जीडीपी वाढीबाबत व्यक्त होणाऱ्या अंदाजाकडे लक्ष देणे निश्चितच उद्बोधक ठरेल. याच पार्श्वभूमीवर, भारतीय रुपयाच्या सातत्याने होणाऱ्या अवमूल्यनावरही धोरणकर्त्यांनी वारकाईने आणि सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कारण रुपयावरील वाढता दबाव हा महागाई, आयात खर्च आणि आर्थिक स्थैर्यांवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो.

मागील काही काळात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने आणि लक्षणीय घट झाली आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रति डॉलर सुमारे ८७.५ रुपये असलेला विनिमय दर जुलै २०२६ पर्यंत प्रति डॉलर ९६ रुपयांपर्यंत घसरला. रुपयाच्या मूल्यातील ही जवळपास १० टक्क्यांची घसरण देशांतर्गत चलनावरील वाढता दबाव दर्शविते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता तसेच वाढती असुरक्षितता अधोरेखित करते. रुपयाच्या या अवमूल्यनामागील महत्त्वाची कारणे म्हणजे आयातीसाठी, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी-अमेरिकन डॉलरची सातत्याने वाढणारी मागणी, वाढती व्यापारी व चालू खात्यावरील तूट, तसेच परकीय गुंतवणूकदारांकडून होणारी भांडवली निधीची माघार किंवा परकीय भांडवलाच्या ओघातील घट. याशिवाय, डॉलरचे होणारे अधिकाधिक बळकटीकरण, अमेरिकेतील वाढते व्याजदर आणि जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता यांसारखे बाह्यघटकही रुपयाच्या घसरणीस हातभार लावत आहेत. याशिवाय, उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील विनिमय दरातील बदलांचा विचार करत, गेल्या वर्षभराला भारतीय रुपया हा सर्वाधिक कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक असल्याचे दिसून येते. निवडक विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या गटात चलनमूल्यातील घसरणीच्या बाबतीत भारत तुर्कीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. जुलै २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत तुर्की लिराच्या मूल्यात सुमारे १५ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली, तर भारतीय रुपयाच्या मूल्यात सुमारे १०.२ टक्क्यांची घसरण झाली. याउलट, ब्रिक्स समूहातील ब्राझील, चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांच्या चलनांनी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली. या देशांच्या चलनमूल्यात

लेख
चिन्मय जोशी

मलया एस. पी. जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ जॅनेटिक्स ॲंड रिसर्च, मुंबई येथे अस्थापक आणि धोरण विभागात संशोधन सहयोगी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटेक्स ॲंड इकोनॉमिक्स, पुणे येथे संशोधन अका्यक
chinmayjoshi99@gmail.com

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन, वाढती आयातजन्य महागाई आणि परकीय गुंतवणुकीतील घट यामुळे आपल्या आर्थिक स्थैर्यापुढे नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेसमोर आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्याबरोबरच दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे आव्हान आहे.

अनुक्रमे सुमारे ७.४%, ५.५% आणि ६.६% वाढ नोंदवली गेली. आशियाई विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेतही भारतीय रुपयाची कामगिरी तुलनेने कमकुवत राहिली. इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि थायलंड यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या मूल्यात अनुक्रमे सुमारे ९.८%, ७.६% आणि १.४% इतकी घसरण नोंदवली गेली.

घसरणीचा हाच कल कायम राहिल्यास, रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयातीतून उद्भवणारी महागाई वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा देशाच्या बाट्य समतोलावर तसेच एकूण आर्थिक स्थैर्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. रुपयाची घसरण झाल्याने कच्चे तेल, कच्चा मांस आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या आयातीचा खर्च वाढतो. परिणामी, आयात महाग होत असल्याने आयातीची मागणी काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असते. तथापि, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, दैनंदिन देशांतर्गत व्यवहार सुरूळीत ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या कच्चे तेल आणि इतर ऊर्जा संसाधनांच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व अत्यावधीत लक्षणीयरीत्या कमी करणे कठीण आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास निम्मी गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून गौरविलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे कल बरेच काही सांगून जाणारे आहेत. भक्कम आर्थिक विकास साधल्याचे दिसत असूनही परदेशी गुंतवणूकदार सडळ हस्ते गुंतवणुक करण्यास राजी नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीतून आलेल्या निधीपेक्षा परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीतून अधिक प्रमाणात निधी बाहेर गेला. तसेच, भारताच्या चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेक अपुरी राहिली. परिणामी, या कालावधीत २३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या परकीय चलन साठ्यात घट झाली. अद्यापही २०२६-२७ (१८ जूनपर्यंत) या कालावधीत परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीमधून निधीचा ओघ बाहेर जाण्याचे सत्र सुरूच आहे (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जून २०२६).

येथे हेही नमूद करणे आवश्यक आहे की, आर्थिक सिद्धांतानुसार चलनाचे अवमूल्यन नेहमीच प्रतिकूल मानले जात नाही. अवमूल्यनामुळे देशांतर्गत उत्पादित वस्तू आणि सेवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढून निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली, तर ते अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देणारे ठरू शकते. तथापि, हा परिणाम आपोआप घडणारा नाही. निर्यातीत होणारी वाढ ही मुख्यतः निर्यातीच्या मागणीची ‘किमत लवचीकता’ आणि जागतिक बाजारपेठेत देशांतर्गत उत्पादनांची गुणवत्ता, किंमत, उत्पादकता व एकूण स्पर्धात्मकता यांवर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थांकडून असलेली तीव्र स्पर्धा आणि भारतीय उत्पादनांची विद्यमान गुणवत्ता व मानके लक्षात घेता, भारताच्या निर्यात-स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करण्यासाठी अद्याप मोठा वाव आहे.

एकंदरीत, रुपयाच्या विनिमय दरातील अलीकडील कलावोरून असे अधोरेखित होते की, विनिमय दरातील चढ-उतारांवर केवळ जागतिक घटकांचाच प्रभाव नसून,

विरलेषण
डॉ. प्रसाद श. कुलकर्णी prasad.kulkarni@expressindia.com

दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या कुश या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीमुळे बहुस्तरावरील हवाई सुरक्षा देशांतर्गत पातळीवर तयार करण्यामध्ये जे मोजके देश आघाडीवर आहेत, त्याच्या पंक्तीत आपण जाऊन बसलो आहोत.

वातावरणाच्या आत आणि बाहेर ही क्षेपणास्त्रे भेदणारी प्रणाली तयार करावयाची ही क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतर त्यांचा शत्रूच्या ठिकाणींना लक्ष्य करेपर्यंतचा जो मार्ग असतो, त्यावरूनच त्यांना बॅलिस्टिक असे संबोधतात. त्यांना भेदण्याचे आव्हान त्यामुळेच मोठे असते. भारतात हा

देशांतर्गत आर्थिक मूलभूत स्थिती, व्यापक आर्थिक धोरणे आणि धोरणांची विश्वसाहर्ता हे घटकही तितकेच महत्त्वपूर्ण ठरतात. यासंदर्भात भारताच्या आर्थिक क्षमतेबाबत गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष धारणांमधील संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे; व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा घडवून आणणे; धोरणांमध्ये स्पष्टता, सातत्य आणि निश्चितता राखणे; तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे दीर्घकालीन नाते निर्माण करणे यांसारख्या व्यापक संरचनात्मक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.

या परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक परकीय चलन बाजारातील हस्तक्षेप आणि चलन व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांद्वारे विनिमय दरातील अत्याधिक चढ-उतार व अस्थिरता नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करू शकते. काही विशिष्ट कारणांसाठी आणि परिस्थितीत, परकीय चलन साठ्यातील डॉलर्सची विक्री करून मध्यवर्ती बँकेने परकीय चलन बाजारात केलेल्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाच्या मूल्यातील अति-अस्थिरता रोखण्यास मदत होऊ शकत असली, तरी

अशा उपाययोजनांवर दीर्घकाळ अवलंबून राहणे ही एक कायमस्वरूपी रणनीती ठरू शकत नाही. तथापि, चलनाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या स्थिर ठेवण्यासाठी विनिमय दर व्यवस्थापनात सातत्यपूर्ण हस्तक्षेप केल्यास उपलब्ध परकीय चलनसाठ्यावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. यामुळे भविष्यातील बाह्य धक्के आणि विनिमय दरातील अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या धोरणात्मक क्षमतेवर मर्यादा येण्याची शक्यता असते. रुपयाचे मूल्य घसरण्याचा दबाव कायम राहिला आणि परकीय चलनाची मागणी व पुरवठा यांमधील तफावत मोठी राहिली, तर कालांतराने रुपयाची विशिष्ट पातळी टिकवून ठेवणे अधिक आव्हानात्मक आणि खर्चीक ठरू शकते.

या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या विनिमय दराच्या स्थैर्याबाबतीत आणि तसेच बाह्य आर्थिक स्थितीसंदर्भात सरकारी धोरणेसुद्धा महत्त्वाची ठरतात. या परिस्थितीत, भारताची बाह्य आर्थिक स्थिती सुधारणांची मुख्य जबाबदारी भारत सरकारला घ्यावी लागेल, कारण संरचनात्मक परिवर्तनासाठी आवश्यक असलेले धोरणात्मक हस्तक्षेप हे केवळ मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यक्षमते येत नाहीत. त्यामुळे चलनावरील दबाव आणि बाह्य क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ मध्यवर्ती बँकेवर सोपवणे दीर्घकालीनदृष्ट्या परिणामकारक ठरणार नाही. मध्यवर्ती बँक सुयोग्य चलनविषयक धोरण आणि विनिमय दर व्यवस्थापनाद्वारे साहाय्यकाची भूमिका बजावू शकते; मात्र, स्पर्धात्मकता वाढवणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात बळबट करणे आणि भारताची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक सुधारणा राबवणे ही सरकारपुढील तांत्रिक की कसरत असेल. हीच सरकारच्या धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि कार्यक्षमतेची खरी कसोटी ठरेल.

फावते. याचा अर्थ ते जे करत आहेत ते चूक आहे असा कदापिही नाही. ते व्हायलाच हवे. पण ते होण्यासाठी मुंढे वा अन्य कोणाही अधिकाऱ्यांच्या असण्याची गरजच नाही. तरी आपणास ती गरज लागते. कारण प्रत्येकाच्या किमान कर्तव्यास आपण काही मोजक्यांच्या ठायी असेल असा विशेष गुण मानू लागलो आहोत. आपली भाषा आणि कृती पाहा. एखाद्या राजकारण्याचे वर्णन ‘सभ्य’ असे करणं अपघाताविना बस चालवली म्हणून चालकाचा सत्कार करणे वा न्यायाधीशाचे कौतुक त्याचा निःस्पृहेतेसाठी करणे इत्यादी. सभ्य असणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे, अपघाताविना बस चालवणे हे प्रत्येक चालकाचे वा निःस्पृह असणे हे प्रत्येक न्यायाधीशाचे किमान कर्तव्य असते याचे भान समाज म्हणून आपण हरवून बसलेले आहोत.

आणि त्यामुळे अशी समाजव्यवस्था निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, हे आपले किमान कर्तव्य आहे हे सरकारही विसरून गेले आहे. नागरिकांनाच त्याची गरज वाटत नसेल तर असा समाज निर्मितीचा प्रयत्न करून सरकार स्वतःच्या पाषाण कशास धोंडा पाडून घेईल? अशा समाजात एखादा शेषन, एखादा मध्यम कलवासा आणि हास्यास्पदतेच्या पातळीवरचे खैरनार वा मुंढे पैदा होत राहतील इतके औदार्य सरकार दाखवते. तसे झाल्यावर समाजासाठी आपण काही केल्याचे वाटून हे सर्व खुश होतात आणि नायक मिळाला म्हणून समाजही आनंदाने नाचूयात लागतो. नंतर पुन्हा थेंगे माझ्या मागल्या आहेतच. हा मुंढे-मार्ग समाजानेच शोधलेला असल्याने त्याच्या मर्यादा समाजाला लक्षात येणार नाहीत तोपर्यंत या मनोरंजनावर (च) आपण समाधान मातून घ्यायचे, इतकेच.

...इथे ‘डबल इंजिन’ मुगावरून घसरले!

मूग खरेदीच्या मुद्द्यावरून मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासमोर प्रथमच आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातून सध्या, ६० टक्के मूग खरेदी सरकारतर्फे करण्याचे आश्वासन देऊन यादव यांनी सुटका करून घेतली असली तरी, यानिमित्ताने भाजपमधील राजकीय अंतर्विरोधीह उघड झालाच. सध्या केंद्रीय कृषीमंत्री असलेले शिवराज चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले होते. त्यात वाढ झाल्यावर कमी बाजारभावाचा प्रश्न आला तेव्हा ‘भावांतर’ सारखी नावीन्यपूर्ण योजना सुरू करणारे चौहान देशातले पहिले मुख्यमंत्री ठरले होते. यातून हमी भावाने खरेदीबाबत शेतकऱ्यांची सरकारकडून अपेक्षा वाढत गेली. ती पूर्ण करण्यात सध्याचे मुख्यमंत्री यादव कमी पडल्याचे सांगण्याची संधी चौहान समर्थकांना आयतीच मिळाली.

शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांसोबतच कडधान्ये लागवडीवर भर द्यावा यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक योजना आणल्या. चौहानांच्या काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी वा राज्यात झाली. प्रत्यक्ष विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर चौहान यांना पुन्हा संधी न देता भाजपने यादवांना मुख्यमंत्री केले. नंतर चौहानांची केंद्रात वर्णी लागली. उन्हाळी मूग हे या राज्यातले महत्त्वाचे पीक. यंदा त्याचे भरघोस उत्पादन झाले. हे पीक सरकारनेच हमी भावाने खरेदी करावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. ती पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी संघटनांनी भोपाळमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सामोरे जाताना यादव सरकारने केंद्राकडून खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले जाऊ नाही, असा पवित्रा घेतला. चौहान यांनी त्यावर लगेच प्रत्युत्तराचे पत्र यादवांना लिहिले. यात केंद्र सरकार राज्याच्या एकूण उत्पादनांपैकी केवळ २५ टक्केच मूग खरेदी करू शकते. त्यापेक्षा जास्त खरेदी करायची असेल तर ती राज्याने स्वतःच्या तिजोरीतून करावी असे स्पष्ट करत चेंडू यादवांच्या कोर्टात ढकलला. देशभरातले मूग खरेदीपैकी ८७ टक्के वाटा मध्य प्रदेशाचा असून गेल्या पाच वर्षांत या राज्यात खरेदीचे उद्दिष्ट दुपटीने वाढवण्यात आले, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्राकडे बोट दाखवून नामानिराळे राहू पाहणाऱ्या यादव सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट साडेचार लाख मेट्रिक टन असताना २९ जुलैपर्यंत राज्याने केवळ ६० हजार टन मूग खरेदी केले असे नमूद करून चौहानांनी अपत्यक्षपणे यादव सरकारचे नाकर्तेपण अधोरेखित केले. या पत्राचा आधार घेऊन मध्य प्रदेशे काँग्रेसनेही या आंदोलनात उडी घेतली. हमी भावांतर्गत खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा मूग सरकारने खरेदी करावा. केंद्राची संख्या वाढवावी, ई-टोकनमधील त्रुटी दूर कराव्यात, पैसे वेळेत खाल्यात जमा करावेत, गुणवत्ता तपासणीच्या नावावर मूग नाकाण्याचे प्रकार त्पणित थांबवलेले अशा शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत. चौहानांनी त्यांच्या पत्रात प्रत्यक्ष खरेदीचा आकडा दर्शवून या मागण्या रास्त असल्याचे अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारला सुनावले आहे. आता यादव सरकारने या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रीगट स्थापन केला असल्या तरी हे आंदोलन वाढेपर्यंत सरकार काय करत होते असा प्रश्न उरतोच. यादव गेली अडीच वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र, चौहानांना त्यांच्या कार्यकाळात मिळालेली लोकप्रियता अजूनही यादवांचा मिळवता आली नाही. अलीकडे त्यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचे आरोप झाले. चौहान आता केंद्रीय कृषीमंत्री असले तरी राज्यात ते अजूनही तेवढेच लोकप्रिय आहेत. यातून निर्माण झालेल्या असूयेमुळे असेल कदाचित, पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांच्या खात्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न यादवांकडून झाला. तो चौहानांनी तत्परतेने उधळून लावला.

‘केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले की जलदगतीने विकास होतो, प्रश्न जलदगतीने सोडवले जातात’ असे भाजपचे वरिष्ठ नेते सतत सांगत असतात. प्रत्यक्षात यादव व चौहान यांच्यात अजिबात समन्वय नसल्याने हे ‘डबल इंजिन’ मुगावरून घसरल्याचे चित्र निर्माण झाले. बाजारात भाव मिळत नाही म्हणून सरकारनेच कृषी उत्पादन खरेदी करावे या मागणीला व्यापक व सकारात्मक प्रतिसाद दिला तो चौहानांनीच. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. त्या पूर्ण करता करता चौहानांचे उत्तराधिकारी असलेल्या यादवांच्या नाकीनऊ आल्याचे या आंदोलनामुळे स्पष्ट झाले आहे.



बल प्रयोग की सीमा

काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को एक खास एजेंडे के तहत किस तरह अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए भुनाने की कोशिश हो रही है, इसका ही प्रमाण है सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली याचिका। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए यह भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पता नहीं इस टिप्पणी से वे लोग हतोत्साहित होंगे या नहीं, जो यह सिद्ध करने में लगे हैं कि सीजेपी का संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था और पुलिस ने अकारण बल प्रयोग किया, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ तत्व बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसने की चेष्टा कर रहे थे और इस क्रम में उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया। संभवतः इसी के चलते वे परिस्थितियां पैदा हुईं, जिनमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। इस बल प्रयोग पर सवाल उठाने वालों को बताना चाहिए कि बिना अनुमति संसद मार्च निकाल रही भीड़ संसद घेर कर अथवा उसके परिसर में घुस कर क्या करती? क्या शिक्षा और परीक्षा सुधार पर चर्चा? शायद वह वैसा ही कुछ करती, जैसा उसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान लाल किले पर धावा बोलकर किया था। उस समय अराजक भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा भी था।

क्या यह सच नहीं कि सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तथ्य यह भी है कि अराजक भीड़ ने कुछ पत्रकारों को पीटा और एक महिला पत्रकार से छेड़ेछाड़ भी की। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया। इस सबकी अनदेखी कर केवल यह सिद्ध करने की कोशिश करना शरारत ही है कि पुलिस ने भीड़ पर अकारण और अनावश्यक बल प्रयोग किया। अनियंत्रित भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग के दौरान पुलिस से कुछ ज्यादाती हो सकने से इन्कार नहीं, लेकिन इसका पता किसी जांच से ही चलता है, भाषणों और याचिकाओं से नहीं। जांच की मांग में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि हिंसा फैलाने पर आमदा अनियंत्रित भीड़ के खिलाफ कब और कितना बल प्रयोग हो, इसका फैसला भीड़ का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मी ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इस मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ ही पुलिस कर्मियों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। पैलेट गन के इस्तेमाल की पाबंदी की मांग कर उनके हाथ बांधने की जो कोशिश की जा रही, वह ठीक नहीं। वास्तव में इसी मांग के तहत ही यह कहा जा रहा है कि हिंसा में शामिल आपराधिक रिकार्ड वाले तत्वों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न की जाए। यह अराजक तत्वों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं।

चयन में गुणवत्ता

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में संपावित बदलाव गुणवत्ता और पारदर्शिता के उद्देश्य से अपरिहार्य कदम है। पहले शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ अभ्यर्थियों के शैक्षिक अंकों (एकेडमिक मेरिट) को भी महत्व दिया जाता था। अब केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अतीत में फर्जी अंकपत्रों के आधार पर नियुक्ति और फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के सैकड़ों मामले सामने आ ही चुके हैं। इन सबसे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की प्रक्रिया शुरू की गई। विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां भी टीईटी की अवधारणा को अनिवार्य बताया गया। यदि कोई अभ्यर्थी वास्तव में योग्य और मेधावी है, तो वह भर्ती परीक्षा में सफल होगा। उम्मीद की जा सकती है कि इन्हीं अनुभवों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एकेडमिक मेरिट की व्यवस्था समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का निर्णय ले रहा है। यह भी प्रासंगिक है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती कराएगा। अंक के आधार पर चयन की जगह शुरू की जा रही प्रतिस्पर्धा प्रतिभा संपन्न अभ्यर्थियों को बच्चों के शिक्षण से जुड़ने का अवसर देगी।

शैक्षिक अंक

समर्थित चयन की जगह नई प्रतिस्पर्धा मेधा संपन्न अभ्यर्थियों को वच्चों के शिक्षण से जुड़ने का अवसर देगी

शहरों में आवासीय और कार्यालय परिसरों को हरित स्वरूप देने में लोग कट रहे निवेश और दे रहे समय

बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में रूफटॉप गार्डन, वर्टिकल गार्डन और वर्षा जल संचयन से युक्त भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई आवासीय परियोजनाओं में सौर ऊर्जा, प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन और पुनर्चक्रित जल के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

दुनिया भर में भी ग्रीन आर्किटेक्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सिंगापुर को 'गार्डन सिटी' का दर्जा दिलाने में ऊंची इमारतों पर विकसित हरित उद्यानों और वर्टिकल फारेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण विज्ञानियों का कहना है कि यदि हर घर अपनी छत या बालकनी में कुछ पौधे भी लगाए, तो शहरों का तापमान कम करने में उल्लेखनीय मदद मिल सकती है। पौधे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कणों को कम करने के साथ

पक्षियों और तितलियों के लिए भी सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं। इससे शहरी जैव विविधता को नया जीवन मिलता है। ग्रीन बिल्डिंग का लाभ केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। शोध बताते हैं कि हरियाली के बीच रहने वाले लोगों में तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। कार्यालयों में प्राकृतिक वातावरण कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जिरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार भी पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है। केरल का यह प्रयोग केवल पहल नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा है। यदि शहरों की हर इमारत हरियाली का एक छोटा-सा केंद्र बन जाए, तो कंक्रीट के जंगल भी सांस लेने लगेंगे। प्रकृति और आधुनिकता का यह संतुलन आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, ठंडा और स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। (लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्रकाश सिंह

राम मंदिर की व्यवस्था के लिए तीन स्तर पर लोगों की तैनाती होनी चाहिए। ट्रस्ट का भी पुनर्गठन हो। अच्छा होगा कि सभी सदस्य बदल दिए जाएं



मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, परंतु मंदिरों की व्यवस्था के बारे में हमारी उदासीनता एक शर्म का विषय है। हम लोग मंदिर जाते हैं मन की शांति और भगवान के आशीर्वाद के लिए, परंतु होता क्या है? मंदिर जाते समय यहीं लगता है कि किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाएं और धक्कामुक्की से हम सकुशल बाहर निकल आएँ। मंदिरों में भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था लचर होती है, जब-तब घुंघटनाएँ होती रहती हैं। वैष्णो देवी में 2022 में 12 लोग मर गए और तिरुपति में 2025 में छह लोगों की जान चली गई। ऐसे अंतहीन मामले हैं। इसके अलावा मंदिरों से समय-समय पर चपलों-घोटालों की खबरें भी आती रहती हैं। तिरुपति में वर्षों तक मिलावटी धी के लड़्डू बटते रहे, सबरीमाला में सोने की चोरी हो गई और उसके बदले तंबाके पर सोने की चादर चढ़ाकर रख दिया गया। कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर में दान दी हुई धनराशि और सोने-चांदी के आभूषणों के गायब होने का मामला सतह पर आया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का नहीं, बल्कि हिंदुओं का होना चाहिए, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की करतूतें भी सब दिखा रही हैं।

राम मंदिर में चोरी की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआइटी का गठन कर दिया। समझ नहीं आता कि एसआइटी की कमान किसी कमिश्नर को कैसे सौंप दी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच केवल पुलिस अधिकारी कर सकता है, अन्य विभाग का बड़े से बड़ा अधिकारी भी नहीं। उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भी यह कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने एसआइटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना के लिए दूसरी एसआइटी के गठन का आदेश दिया और स्पष्ट कर दिया कि टीम का नेतृत्व कोई आइपीएस अधिकारी करेगा। एसआइटी अपनी सहायता के लिए आडिट एंड अकाउंट्स सर्विस से कुछ अधिकारियों को अपनी टीम में शामिल करे।

पहली एसआइटी की प्रारंभिक जांच से दान की गिनती और प्रबंधन की प्रक्रिया में गंभीर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कमियां मिलीं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड़ियों और नकदी अपने कपड़ों, जेबों या जूतों में छिपाते हुए देखा गया। स्पष्ट है कि सुरक्षा जांच नियमों का प्रभावी ढंग से लागू न होने से चोरी की घटनाएँ हुईं। रिपोर्ट में दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, योग्यकर्मियों की नियुक्ति



अवधेश राजपूत

तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां सही हैं, पर ये सब छुटभैये हैं। बड़ी मछलियां अभी भी आजाद हैं।

श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट से संबंधित ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट बैंक के अधिकारियों से भी आशा की जाती थी कि वे प्रशासनिक दृष्टि से हिसाब-किताब पर ध्यान रखेंगे और यदि कोई कमी हो तो उसके बारे में जानकारी देंगे। एसआइटी ने भी अपनी रिपोर्ट में केवल पर्यवेक्षण की कमियों की ओर संकेत किया है। इससे ज्यादा लिखा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पर्यवेक्षक ब्यूरोक्रेट्स उनसे सीनियर थे। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, संजय प्रसाद, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) प्रशांत लोखंडे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी भी सदस्य के रूप में थे। इन अधिकारियों में किसी को दान की गई धनराशि में हेराफेरी की भनक कैसे नहीं

लगी? भले इनकी जिम्मेदारी हिसाब रखने की न रही हो, परंतु जब इस तरह के गबन होते हैं तो उसकी चर्चा हवा में फैल जाती है और संबंधित अधिकारियों को मालुम हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को या इनमें से कुछ को जानकारी थी, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा? यह पड़ताल भी जरूरी है कि क्या राज्य के खुफिया विभाग को इसकी कोई जानकारी थी? यदि थी तो क्या कार्रवाई हुई और यदि नहीं तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। खुफिया ब्यूरो की अयोध्या में भी इकाई तो अवश्य होगी। आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े-बड़े अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार की प्रभावी इकाइयां अयोध्या में मौजूद हैं और राम मंदिर में हेराफेरी की जानकारी हमें विपक्षी नेता की पोस्ट से मिली।

प्रथमदृष्टया अगर यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री को उनके पूर्व प्रधान सचिव और प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके अपर मुख्य सचिव (गृह) ने निराश किया तो यह गलत नहीं होगा। इस मामले की विवेचना का दायरा भी दान में मिली

जल कुप्रबंधन के घातक परिणाम

मानसून आते ही देश के मानचित्र पर दो बेहद विरोधी और दर्दनाक तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। उत्तर और पूर्वोत्तर के मैदानी एवं पहाड़ी इलाकों में उपनती नदियां, बहते मकान, जलमग्न खेत और राहत शिविरों में अपनी जिंदगी की थीख मांगते बेबस लोग दिखाई देते हैं, जबकि उसी समय देश के मध्य और दक्षिणी भागों के भूभाग सूखे की चपेट में होते हैं, जहां किसान दरकती मिट्टी को देखकर निराश होता है और महिलाएं कई किमी पैदल चलकर मटके में पानी ढोने को मजबूर होती हैं। इस विडंबना का सबसे दुखद पहलू यह है कि भारत को प्रकृति से उपहारस्वरूप औसतन हर साल पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल प्राप्त होता है, लेकिन हमारी नासमझी और आधुनिकता के अंधेपन ने इस वरदान को भी एक अभिशाप में बदल दिया है। आसमान से बरसने वाली यह बहुमूल्य संपदा जब धरती पर गिरती है, तो हम इसे सहेजने के बजाय जल्द से जल्द बहा देने की होड़ में लग जाते हैं। कंक्रीट के बनते जंगलों ने जमीन की सोखने की प्राकृतिक क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है।

एक अनुमान के अनुसार हम अपने वार्षिक वर्षा जल का मात्र दस से पंद्रह प्रतिशत हिस्सा ही संचित कर पाते हैं। यदि इस विशाल जलराशि का एक छोटा सा हिस्सा भी सही ढंग से रोक लिया जाए तो देश के किसी भी कोने को न तो बाढ़ का खौफ सताएगा और न ही सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। जब धाराधार पर बहने वाली वर्षा जल हमारी लापरवाही के कारण व्यर्थ चला जाता है, तो हमारी निर्भरता जमीन के नीचे छिपे जल भंडार पर बढ़ती चली जाती है।

आज भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है, जहां अमेरिका और चीन के सम्मिलित उपयोग से भी अधिक पानी जमीन के पेट से निकाला जा रहा है। कृषि में अत्यधिक पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा देने, अनियंत्रित शहरीकरण और उद्योगों की असीमित मांग को पूरा करने के लिए बोरेवेल और सबमर्सिबल पंपों के जरिये पाताल तक गहराई नापी जा रही है। इसके कई जिले 'डार्क जोन' में



दीपक कोहली



थोड़ी सी बारिश से ही त्रस्त हो जाते हैं शहर। फाइल

तब्दील हो चुके हैं, जहां जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब कुएं और सूख चुके हैं। भूजल के अंधाधुंध दोहन से भी बड़ी और भयानक समस्या है इसका तेजी से होता प्रदूषण। जो पानी जमीन के नीचे बचा भी है, वह अब शुद्ध नहीं रह गया है। कृषि में अंधाधुंध इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक बारिश के पानी के साथ रिसकर भूजल में मिल रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक कचरा और सीवेज का गंदा पानी भी जमीन के भीतर जहर घोल रहा है। कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने से लोग कैंसर और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि बारिश के हर कतरे का क्या मूल्य है। यही कारण था कि देश के हर गांव और शहर में तालाब, पोखरे, बावड़ियां, जोहड़ और बंधे बनाए गए थे। ये पारंपरिक जल निकाय न केवल बारिश के पानी को सहेजते थे, बल्कि पूरे इलाके के भूजल स्तर को रीचार्ज करने का प्राकृतिक माध्यम भी हुआ करते थे, लेकिन आधुनिकता के नाम पर हमने इन

समय की मांग हैं कि हमें वर्षा जल संचयन को अपनी जीवनशैली और नगर नियोजन का अनिवार्य अंग बनाना होगा

तालाबों और कुओं को कचरा डालने का स्थान बना दिया या फिर उन पर अतिक्रमण करके बहुमंजिला इमारतें, माल और बस अड्डे खड़े कर दिए। जिन आन्ध्रमियों और प्राकृतिक नम भूमियों को प्रकृति ने पानी को सोखने और शुद्ध करने के लिए बनाया था, उन्हें कंक्रीट से पाट दिया गया। यही वजह है कि जब थोड़ी सी भी तेज बारिश होती है, तो हमारे आधुनिक शहर जलभराव की चपेट में आ जाते हैं और नदियां तबाही मचाने लगती हैं।

यद्यपि वर्षा जल संचयन को नए भवनों के लिए अनिवार्य तो बना दिया गया है, लेकिन इसका पालन केवल कागजों पर एनओसी प्राप्त करने तक ही सीमित रहता है। जब तक जल संरक्षण को जनांदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई भी नियम या कानून इस महासंकट को टाल नहीं सकता। इस विकराल समस्या का अंतिम और सबसे प्रभावी हल वैज्ञानिक जल-प्रबंधन और वर्षा जल संचयन में ही निहित है। हम छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से रीचार्ज वेल या भूमिगत टैंकों तक पहुंचाना अनिवार्य करें, जिससे गिरता भूजल स्तर पुनः ऊपर उठ सके। इसके साथ ही 'कैच द रेन' जैसे सिद्धांतों को अपनाकर चेक डैम, खेत-तालाब और छोटे-छोटे बंधों का निर्माण बड़े पैमाने पर करना होगा। औद्योगिक और सीवेज के पानी का आधुनिक तकनीकों से शत-प्रतिशत शोधन कर दोबारा उपयोग के योग्य बनाना होगा, ताकि स्वच्छ जल स्रोतों पर दबाव घटे और भूजल में जहरीले तत्वों का रिसाव रोका जा सके। हमें वर्षा जल संचयन को अपनी जीवनशैली और नगर नियोजन का अंग बनाना होगा। हर घर, हर इमारत और हर सार्वजनिक परिसर में वर्षा जल संग्रहण प्रणालियों को सक्रिय और क्रियाशील करना होगा। जल केवल एक भौतिक संसाधन या रासायनिक यौगिक नहीं है, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का मूल आधार है। (लेखक पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं) response@jagran.com

आदर्श शिक्षक आवश्यक

'परीक्षा प्रणाली को जड़ से बदलने का समय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सुजन पाल सिंह ने शिक्षा के विकारों को दूर करने के कुछेक उपायों पर विचार प्रस्तुत किया। देश-समाज के विकास में पढ़े-लिखे नागरिकों का योगदान सर्वोपरि माना जा सकता है, लेकिन पढ़े-लिखे का मतलब नकल करके या फिर अनुचित तरीके से डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान एवं कौशल प्राप्ति से है। यह बहुत ही अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में लोग किसी भी तरीके से डिग्री हासिल करना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली के दोष देश के लिए दीमक जैसे होते हैं। जिस देश की शिक्षा-परीक्षा में विसंगतियां पैदा हो जाएं तो उसकी समूची व्यवस्था बर्बादी की राह पर बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें आदर्श शिक्षकों की आवश्यकता है। आदर्श शिक्षक ही योग्य विद्यार्थियों को विकसित कर सकता है जो राष्ट्र के कर्णधार बनते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले शिक्षकों के निर्माण पर ध्यान देना होगा।

raju09023693142@gmail.com

वाणी में संयम आवश्यक

वाणी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु यही शक्ति असंयमित होने पर विनाश का कारण भी बन सकती है। हमारी संस्कृति सदा कहती आई है- "पहले तौलो, फिर बोलो।" एक असावधान वाक्य रिसतों को तोड़ सकता है, समाज में अशांति फैला सकता है, और कभी-कभी इतिहास की दिशा भी बदल सकता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रौपदी ने

मेलबाक्स

दुर्गोथन का उपहास करते हुए "अंधे का पुत्र अंधा" कहा था। यही एक वाक्य महाभारत के महायुद्ध का बीज बना, जिसमें लाखों जीवन नष्ट हो गए। यह दिखाता है कि असंयमित वाणी कितनी भारी कीमत मांग सकती है। वर्तमान में भी इसका उदाहरण देखने को मिला। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अदालती टिप्पणी, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग को "काकरोच" कहा, विवाद की विषय बन गई। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी फर्जी डिग्रीधारकों के लिए थी, फिर भी इस एक वाक्य ने सोशल मीडिया पर आंदोलन खड़ा कर दिया और अंततः एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक बात पहुंची। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि चाहे प्राचीन काल हो या आधुनिक युग, वाणी संयम व्यक्तिगत और सामाजिक शांति के लिए अविनाश्य है। बोलने से पहले सोचना ही सच्ची बुद्धिमता है।

अनिकेत जायसवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय

पौधारोपण नहीं, संरक्षण अभियान

मानसून आते ही देशभर में पौधारोपण अभियानों की बाढ़ आ जाती है। तमाम क्षेत्रों में संस्थाओं की ओर से लाखों पौधे लगाने के दावे तो होते हैं, लेकिन कितने बीज पौधे बन पाते हैं, कितने पौधे वृक्ष बन पाते हैं और फिर वे कितने वर्षों तक जीवित रह पाते हैं-इसका ईमानदार आकलन शायद ही कभी किया जाता है। एक संबंधित संवर्धन में हाल ही में यह सामने आया है कि जितने पौधे लगाए जाते हैं, अगले एक

धनराशि एवं अन्य सामग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मंदिर से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में सामने आने वाली अनियमितताओं या अवैधानिक कार्य को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि बाद में किसी और मामले का भंडाफोड़ होना मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। आशा की जाती है कि जिम्मेदार लोगों का पर्दाफाश होगा और उन्हें उचित दंड भी मिलेगा, लेकिन इस बीच केंद्र और प्रदेश सरकार, दोनों को ही कार्रवाई भी करनी होगी।

मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था के लिए तान स्तर पर लोगों की तैनाती होनी चाहिए सबसे पहले तो ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अच्छा होगा सभी सदस्य बदल दिए जाएं। इसका आशय यह नहीं कि सबको दोषी समझा जा रहा है, परंतु ट्रस्ट ठीक से काम करे, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी। नए सदस्यों में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई राजनीतिक ठप्पा लगा हो। हां, हिंदू और राम भक्त अवश्य होना चाहिए। ट्रस्ट का मुख्य कार्य मंदिर में पूजा-पाठ, आरती एवं अन्य धार्मिक कार्यों को देखना होगा। दूसरे स्तर पर वे लोग हों जो मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालें। विशेष तौर से दान में प्राप्त धनराशि और अन्य सामान का लेखा-जोखा रखें। तीसरे स्तर पर पुलिस और केंद्रीय बलों के ऐसे अधिकारी हों, जिनकी जिम्मेदारी मंदिर परिसर की सुरक्षा और दर्शनार्थियों के आवागमन का प्रबंध एवं उनका नियंत्रण हो। राम मंदिर को व्यवस्थित ढंग से चलाना हम सभी भारतीयों का पुनीत कर्तव्य है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महादेशक हैं) response@jagran.com



ऊर्जा मुस्कान

मुस्कान केवल अश्रुओं की अभिव्यक्ति नहीं, अपितु हृदय की स्फूर्ति और आत्मा की कोमल गुंज है। यह बिना कह ही बहुत कुछ कह जाती है। यह वह मौन संवाद है, जो अश्रुओं में झलकाता और अंतर्मन में उतरकर मनुष्यता को आलोकित कर जाता है। जब कोई चेहरा मुस्कुराता है, तो वह अपने भीतर छिपे प्रकाश से समूचे परिवेश को प्रकाशित करता है। मुस्कान एक ऐसी सौंदर्य है, जिसकी तुलना किसी आभूषण या श्रृंगार से नहीं की जा सकती। जब कोई श्रमिक दिनभर की थकावट के बाद पर लौटकर अपने बच्चे की मुस्कान देखता है, तो सारी पीड़ा तिरोहित हो जाती है। वही मुस्कान जो एक बीमार के चेहरे पर डाक्टर की आश्वस्ति से आ जाती है, जीवन की अनकही लड़कियों में हारने से बचा लेती है। यह मात्र आनंद की अभिव्यक्ति नहीं, करुणा, समझ, संवेदना और स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। किसी अजनबी की मुस्कान जब राह चलते मिले, तो लगता है मानो जीवन की भीड़ में एक अपना मिल गया हो।

हालांकि कभी-कभी मुस्कान छलावे की चादर भी होती है, होंठ हंसते हैं, परंतु आंखें उदासी का आलाप गाती हैं। ऐसी मुस्कान भी साहस का प्रतीक ही होती है, जो चुपचाप बताती है कि दर्द के साए में भी जीवन मुस्कुराने की वजह ढूँढ सकता है। बालक की निष्कलुष हंसी हो या वृद्ध की मृदु मुस्कान, हर आयु में यह जीवन का उत्सव है। एक मुस्कुराहट से रिसते पनपते हैं, संवाद शुरू होते हैं और कई बार बड़े-बड़े टकराव भी टल जाते हैं। यह मनुष्य के आत्मा की भाषा है और वह भी सरल, सच्ची और शाश्वत। आप भी मुस्कुराइए न केवल दूसरों के लिए, अपितु स्वयं के लिए, क्योंकि मुस्कुराहट न केवल दूसरों को सुख देती है, बल्कि स्वयं को भी आश्वस्त करती है कि जीवन अब भी सुंदर है, जीवित है और जीवंत है। गांधी ने कहा है, 'हंसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देती है।'

कुमार नृपेंद्र

वर्ष में उनमें से लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक सूख जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। पौधारोपण केवल गड़बड़ खोदकर पौधा लगाने का नाम नहीं है। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुरूप हो। दो पौधों के बीच वैज्ञानिक दूरी रखी जाए, ताकि भविष्य में उन्हें पर्याप्त प्रकाश, जल और पोषण मिल सके। पौधों की विकास दर का नियमित अध्ययन हो तथा उनकी सिंचाई, सुरक्षा, खाद, ड्री-गाई और पर्शुओं से बचाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक पौधे का जीवित रहने का वार्षिक मूल्यंकन भी अनिवार्य होना चाहिए। यदि अभियान केवल फोटो, समाचार और रिकार्ड बनाने तक सीमित रहेगा, तो हर वर्ष करोड़ों रुपये के लाखों पौधे व्यर्थ चले जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा पौधारोपण से नहीं, बल्कि पौधों को विशाल वृक्ष बनने तक निरंतर संरक्षण और उत्तरदायित्व निभाने से होगी। यही सच्चा हरित अभियान है।

आपी चौधरी, सन सिटी, रतलाम, एमपी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकाण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com



ऋषभ मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर,
कानपुर इंस्टीट्यूट
आफ टेक्नोलॉजी,
कानपुर

ल गभग दो साल पहले हांगकांग, सिंगापुर और अन्य पांच देशों ने कुछ भारतीय ब्रांड्स के मसाले लौटा दिए थे और अब जापान ने भारतीय आम तो गत दिनों चीन ने भारत से गई मिर्चों की खेप खारिज कर दी। इसकी वजह थी- या तो उनमें कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से अधिक पाए गए या इनकी पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया में खामी रही। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि निर्यात के लिए चुने गए और सबसे अधिक जांचे-परखे उत्पाद भी विदेशी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे तो विदेश के सामान्य उपभोक्ताओं की थाली में पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की स्थिति क्या होगी? यह विदेशों में भारत की छवि पर असर डालने के साथ-साथ कीटनाशक नियमन प्रणाली और देश में भोजन के सेहतमंद व सुरक्षित होने की गारंटी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

दरअसल हमारे किसान ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें विकसित देशों ने खतरनाक मानकर प्रतिबंधित कर रखा है, जैसे क्लोरोपायरीफास, प्रोफेनोफास, पैराक्वाट, मोनोक्रोटोफस। देश के अनेक कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विस्तार सेवाएं इन कीटनाशकों की सिफारिश करती हैं, क्योंकि कटाई के पहले इन पर कीटनाशकों का भारी छिड़काव होता है। इनके ऊपर छिलके जैसी कोई सुरक्षा नहीं होती, इसलिए इन्हें बिना छीले खाना खतरनाक हो सकता है। भिंडी, बैंगन और टमाटर भी इसी श्रेणी में आते हैं। अंगूर, स्ट्राबेरी और आलूबुखारे जैसे फल, जिन्हें सीधे खाया जाता है, इनमें भी काफी अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नीतिगत स्तर पर इन तीनों कदमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें सर्वप्रथम है, सभी प्रमुख खाद्य श्रेणियों की स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में व्यापक स्तर पर जांच हो और उसके नतीजे तुरंत आम जनता के लिए सार्वजनिक किए जाएं। जब तक लोगों को यह पता नहीं होगा कि वे जो खा रहे हैं, उसमें किस पैमाने पर कीटनाशकों के अवशेष हैं, तब तक सुधार असंभव है। दूसरा, मोनोक्रोटोफस, पैराक्वाट और क्लोरोपायरीफास जैसे रसायन सबसे ज्यादा घातक हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और किसानों को सुरक्षित

आजकल

कीटनाशकों के जाल में भारतीय उपभोक्ता

हाल ही में फ्रांस में दो ऐसे कीटनाशकों को दोबारा मंजूरी मिली, जिन्हें मधुमक्खियों के लिए खतरनाक माना जाता है। इस निर्णय के विरोध में वहां की पर्यावरण मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि जब पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े बुनियादी सिद्धांतों से समझौता होने लगे, तो पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं। अब भारत की बात करें तो कीटनाशकों का उपयोग जब खाद्य सुरक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किया जाता है, तो इन्हें सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है। चिंता तब होती है, जब इसके व्यापक दुष्प्रभाव हमारे सामने आते हैं

लगाया जा सकता है कि सरकार ने मई 2020 में 27 घातक कीटनाशकों पर बैन लगाने पर विचार करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। मगर बाद में इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

गौरतलब है कि हमारे भोजन की थाली में रासायनिक पदार्थों का जोखिम इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कौन-सी चीज कितनी मात्रा में और कितनी बार खाते हैं। पालक, मेथी और धनिया इस सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि कटाई के पहले इन पर कीटनाशकों का भारी छिड़काव होता है। इनके ऊपर छिलके जैसी कोई सुरक्षा नहीं होती, इसलिए इन्हें बिना छीले खाना खतरनाक हो सकता है। भिंडी, बैंगन और टमाटर भी इसी श्रेणी में आते हैं। अंगूर, स्ट्राबेरी और आलूबुखारे जैसे फल, जिन्हें सीधे खाया जाता है, इनमें भी काफी अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है।

सरकार को अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नीतिगत स्तर पर इन तीनों कदमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें सर्वप्रथम है, सभी प्रमुख खाद्य श्रेणियों की स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में व्यापक स्तर पर जांच हो और उसके नतीजे तुरंत आम जनता के लिए सार्वजनिक किए जाएं। जब तक लोगों को यह पता नहीं होगा कि वे जो खा रहे हैं, उसमें किस पैमाने पर कीटनाशकों के अवशेष हैं, तब तक सुधार असंभव है। दूसरा, मोनोक्रोटोफस, पैराक्वाट और क्लोरोपायरीफास जैसे रसायन सबसे ज्यादा घातक हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और किसानों को सुरक्षित

विकल्पों के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाए। नकली कीटनाशकों को भी बाजार से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा, भारत में फूड सेफ्टी और कीटनाशकों की निगरानी की जिम्मेदारी कई एजेंसियों में बंटी हुई है।

वस्तुतः जब कीटनाशकों का उपयोग खाद्य सुरक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किया जाता है, तो इन्हें सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है। चिंता तब होती है, जब लंबे समय तक या बार-बार इनका अत्यधिक संपर्क होता है, विशेषकर तब, जब इसके साथ भोजन में प्रोसेस्ड फूड की मात्रा भी अधिक हो। ऐसे में इनसे आमतौर पर पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वस्तुतः हम जो भी खाते हैं, उसका सबसे पहले संपर्क हमारी आंठों से होता है। कुछ रसायन और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ आंठों में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। जैसे पेट फूलना, एसिडिटी, अपच, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पोल्ट्री और पशुपालन में एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में संक्रमणों का इलाज करना अधिक कठिन हो सकता है। हमारा लीवर हमारे द्वारा खाए-पीए जाने वाले हर पदार्थ का लगातार प्रोसेस करता रहता है यह इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लंबे समय तक विभिन्न हानिकारक रसायनों के संपर्क में रहने से फैटी लिवर और अन्य चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए और किसानों को सुरक्षित



मनुष्य के लिए घातक कीटनाशकों के सीमित उपयोग की सख्त आवश्यकता। फाइल

अर्थव्यवस्था को गति देने में युवाओं का योगदान



सतीश सिंह

आर्थिक मामलों के जानकार

जेनेरेशन-जेड यानी जेन-जी का बड़ा हिस्सा अभी शिक्षा, रोजगार या करियर के शुरुआती पड़ाव पर है। इसके बावजूद शेयर बाजार में उसकी बढ़ती भागीदारी, उपभोग पर प्रभाव और ऋण चुकाने में दिख रहा अनुशासन संकेत देता है कि यह पीढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की भावी दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के बीच शेयर बाजार में जुड़े प्रत्येक 10 नए निवेशकों में लगभग छह की आयु 30 वर्ष से कम रही है। वर्ष 2019-20 में कुल निवेशकों में जेन-जी की हिस्सेदारी 23.5 प्रतिशत थी, जो 2025-26 में बढ़कर 38.3 प्रतिशत हो गई। शेयर बाजार के कुल निवेशक आधार में जेन-जी की 38.3 प्रतिशत हिस्सेदारी उसकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। हर 10 निवेशकों में लगभग चार का इस पीढ़ी से होना भारतीय शेयर बाजार की सामाजिक और भौगोलिक संरचना में आ रहे व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है। युवा

निवेशकों की बढ़ती संख्या के कारण घरेलू बचत का एक हिस्सा पारंपरिक जमा साधनों से निकलकर वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर बढ़ रहा है। नियमित और दीर्घकालीन निवेश में वृद्धि होने पर कंपनियों को बाजार से पूंजी जुटाने में सुविधा मिलती है। इस पूंजी का उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई परियोजनाएं शुरू करने और रोजगार सृजित करने में किया जा सकता है। इसलिए युवा निवेशकों की भागीदारी का प्रभाव केवल शेयरों की भागीदारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वास्तविक अर्थव्यवस्था तक भी पहुंचता है। सेबी के निवेशक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, प्रतिभूति बाजार के उत्पादों के प्रति जेन-जी में जागरूकता 66 प्रतिशत थी, जो अन्य कई आयु-वर्गों की तुलना में अधिक है। युवा केवल निवेश मंचों तक नहीं पहुंच रहे, शेयर, म्यूचुअल फंड, विनिमय कारोबार वाले कोष और अन्य वित्तीय साधनों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। भारत में जेन-जी की आबादी करीब 37.7 करोड़ है। उपलब्ध अध्ययनों के मुताबिक यह पीढ़ी प्रत्यक्ष रूप से अथवा पारिवारिक खरीद-निर्णयों के माध्यम से लगभग 860 अरब डॉलर की आय करीब 71 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक उपभोग को प्रभावित करती है। यह देश के कुल उपभोग का लगभग 43 प्रतिशत है। वर्ष 2035 तक जेन-

जी से जुड़ा उपभोग करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इससे आने वाले वर्षों में उसकी आर्थिक शक्ति और अधिक व्यापक होने का संकेत मिलता है। जेन-जी द्वारा प्रभावित 43 प्रतिशत उपभोग अर्थव्यवस्था में उसकी मांग-सृजन क्षमता को दर्शाता है। यह मांग उत्पादन, बिक्री, निवेश और रोजगार को गति देती है। यह पीढ़ी केवल खरीदारी भी नहीं है। वह सेवाओं की उपयोगकर्ता, डिजिटल सामग्री की निर्माता, स्टार्टअप की संस्थापक, स्वतंत्र पेशेवर, आनलाइन विक्रेता और निवेशक है। कृत्रिम मेधा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, त्वरित वाणिज्य, डिजिटल मनोरंजन और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की मांग बढ़ाने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस तरह जेन-जी अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन दोनों पक्षों को प्रभावित कर रही है। युवा निवेशकों की बढ़ती संख्या बाजार के लिए शुभ संकेत है, लेकिन डिजिटल दक्षता अपने आप वित्तीय परिरक्षकता की गारंटी नहीं होती। इंटरनेट मीडिया पर मिलने वाली अधूरी सलाह, प्रभावशाली व्यक्तियों की अप्रमाणित सिफारिशें, वायदा एवं विकल्प कारोबार का आकर्षण, क्रिप्टो परिसंपत्तियों की अस्थिरता और बिना समझ के लिया गया असुरक्षित ऋण गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

खरी-खरी

दिल है 'रीलानी'

विनय कुमार पाठक

दिल है हिंदुस्तानी सुना होगा नए-पुराने कई गानों में। पर दिल है 'रीलानी'। 'रीलानी' शब्द भले ही किसी गीतकार, शायर आदि का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया हो, पर है बहुत ही महत्वपूर्ण। हर व्यक्ति तो नहीं, पर बहुत से व्यक्ति रील को दिल के इतना करीब पाते हैं कि उनके दिल को 'रीलानी' कहा जा सकता है। और रील बनाने में सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील जैसे देश पानी भरते हैं हमारे सामने। यह ठीक है कि बास्केटबॉल में अमेरिका के सामने हमारी कोई बिसात नहीं है। फुटबॉल में ब्राजील के सामने हमारी कुछ वैसी ही स्थिति है। पर रील बनाने में? ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

और हमारा दिल सिर्फ हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तानी सह 'रीलानी' नहीं रहता। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर भी वह हिंदुस्तानी के साथ साथ 'रीलानी' भी रहता है। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने इस बात को साबित कर दिया है। उनके पास एक महंगी गाड़ी है जिसे पोश कहा जाता है। यह गाड़ी चलती भले ही रोड पर है, पर करोड़ की है। और फिर करोड़ की गाड़ी का रील न बनाया जाए, यह दिल से हिंदुस्तानी और 'रीलानी' व्यक्ति को कैसे गवाहा हो सकता है भला? तो जनाब ने रील बनाने की सोची।

अब रील बनाने में कुछ नयापन तो होना ही चाहिए, नहीं तो व्य और लाइफ बहुत कम मिलते हैं। तो नयापन के लिए जनाब ने अपने दो नाबालिग बेटों को पाने पोश गाड़ी के रील पर बैठा कर गाड़ी चलाई और रील बनाया। रील बन गई और उसे अपलोड न किया जाए तो उस लेखक सी स्थिति हो जाती है जिसने कुछ रस तो दिया, पर वह कहीं छप न पाया तो तो आलोचक करना भी जरूरी था, सो कर दिया अपलोड। सैकड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा सो देखा, साथ ही सरकारी अभिकरण ने भी देख लिया, मामले को कोर्ट में पहुंचा दिया। जनाब को लगा होगा कि बेटे अपने हैं, जैसे चाहें उनके साथ व्यवहार करें। पर कई देशों में बच्चों के पालन में लापरवाही पर मां-बाप को भी दंड मिलता है। लगभग चार लाख रुपये दंड देकर शायद वे यही सोच रहे होंगे कि काश इंडिया में होता।

कुछ खिलाड़ी अपनी आक्रामकता से पहचाने जाते हैं, तो कुछ अपने धैर्य, अनुशासन और चरित्र से। अजिंक्य रहाणे उन्हीं खिलाड़ियों में से एक रहे। उदय यादव@USY_79

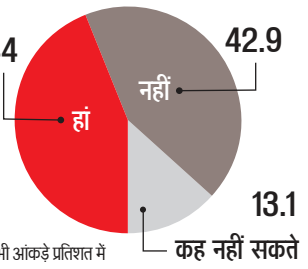
काकरोच जनता पार्टी समर्थक चाहते हैं कि फल्लो गन गालियों, अपशब्दों को अनदेखा कर दें, जो प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने पीएम के लिए इस्तेमाल किए, पर जब कैप्टन सीरी तरह जवाब देती है तो उन्हें बुरा लग जाता है। खालिद बेग@KhalidBaig85

परीक्षा संबंधी बिल का यही मर्म है कि दो साल पहले पित्त कहता था कि यह किया तो दो थपड़ लगाऊंगा। ताजा संशोधन कह रहा है कि अब किया तो चार थपड़ लगाऊंगा। अतिम निर्णय पर पहुंचने की जल्दबाजी मुझे नहीं है, क्योंकि असल काम नंदन नीलेकणिंग की टीम को करना है। प्रतीक्षा करनी होगी। सुमंत@sumantkabr

वास्तविक पंथनिरपेक्षता की राह में सबसे बड़ा खतरा वही हिंदू है, जो स्वयं के 'तिबल' होने की मुनादी करते नहीं थकते, पर दूसरों पर असहिष्णुता दिखाने में भी आगे रहते हैं। ऐसा करने के वे पंथनिरपेक्षता-उदारवाद के मूल सिद्धांत का ही उल्लंघन करते हैं। मिहज मर्द@MinhazMerchant

जगरण जनमत कल का परिणाम

क्या नया पेपर लोक रौंधी कानून प्रश्न पत्रों को लोक कराने वालों में भय पैदा करेगा?



सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या नया पेपर लोक रौंधी कानून प्रश्न पत्रों को लोक कराने वालों में भय पैदा करेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

पीओके में लंग रहे हैं लाशों के डेर, मुक्तिवाहिनी चाहिए तब हो हेरमफेर। तब हो हेरमफेर उबर से जोर लगाएं, तो भारत के वीर पाक को धूल चटाएं। भारत से जब जाय हवा के उठे झंके, तब चाहे बदलाव देद सहता पीओके!

-अमि प्रकाश तिवारी



प्रदीप सिंह

संपादकीय प्रभारी,
जमशेदपुर

झा खंड कभी देश में वाम उग्रवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। घने जंगल, दुर्गम पहाड़, सीमित आधारभूत सुविधाएं और सामाजिक-आर्थिक विषमताएं नक्सल संगठनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती थीं। दो दशक पहले तक राज्य के कई जिले ऐसे थे, जहां शासन-प्रशासन की पहुंच सीमित थी और विकास कार्यों पर माओवादियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, बेहतर खुफिया तंत्र, आधुनिक तकनीक के उपयोग और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव लाया है। ऐसे समय में भाकपा (माओवादी) के एक करोड़ रुपये के इनामी मिर्ज़ा बेसरा की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।



मिर्ज़ा बेसरा लंबे समय से माओवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता रहा है। वह संगठन की केंद्रीय समिति और सैन्य रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाता रहा। उसकी गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति नेतृत्व संरचना पर एक महत्वपूर्ण प्रहार है। किसी भी उग्रवादी संगठन की शक्ति उसके शीर्ष नेतृत्व, रणनीतिक क्षमता और नए कैडरों की भर्ती पर निर्भर करती है। जब नेतृत्व लगातार कमजोर होता है तो संगठन का मनोबल और संचालन क्षमता दोनों प्रभावित होते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि माओवाद जैसी चुनौती केवल सैन्य कार्रवाई से समाप्त नहीं होती। इसकी जड़ें सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों से भी जुड़ी हैं। इसलिए पिछले वर्षों में सरकारों ने सुरक्षा अभियान के साथ-साथ विकास को भी समाज प्रथमिकता दी है। सड़क,

लाल आतंक से मुक्ति की बेला



सुरक्षा बलों की समन्वित कार्रवाई से राज्य में माओवाद समाप्ति की ओर है। फाइल

पुल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उन इलाकों तक किया गया, जहां पहले सरकारी व्यवस्था की उपस्थिति सीमित थी। जिन गांवों में कभी पुलिस बलों के पहुंचने में घंटों लग जाते थे, वहां अब सड़क और संचार सुविधाओं ने हालात बदल दिए हैं।

अभियानों को पहले की तुलना में अधिक प्रभावी बनाया है। परिणामस्वरूप कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए, गिरफ्तार हुए या उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अनेक माओवादियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। सरकार की पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार, आर्थिक सहायता और सामाजिक पुनर्स्थापन का अवसर मिला। इससे संगठन की भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। पहले जहां ग्रामीण युवाओं को संगठन में शामिल करना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं अब शिक्षा, रोजगार और योजनाओं की पहुंच बढ़ने से परिस्थितियां बदल रही हैं। फिर भी चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जंगलों के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी माओवादी गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। संगठन अब बड़े हमलों की बजाय छोटे समूहों में

गतिविधियां संचालित करने की रणनीति अपना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को निरंतर सतर्क रहना होगा। मिर्ज़ा बेसरा की गिरफ्तारी का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा और यह संदेश जाएगा कि लंबे समय तक कानून से बच निकलना संभव नहीं है। दूसरी ओर, माओवादी संगठन के भीतर नेतृत्व संकट और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। यदि इस सफलता के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां अभियान जारी रखती हैं और विकास योजनाएं समान गति से आगे बढ़ती हैं तो झारखंड को इससे पूर्ण मुक्ति की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। कहा जा सकता है कि झारखंड आज उस दौर से आगे निकल चुका है, जब लाल आतंक राज्य की पहचान बनता जा रहा था। मिर्ज़ा बेसरा की गिरफ्तारी इस परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन इसे अंतिम पड़ाव नहीं माना जा सकता। स्थायी शांति नहीं माना होगा जब सुरक्षा, विकास, सुशासन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी एक साथ आगे बढ़े। यही रणनीति झारखंड को लाल आतंक से पूर्ण मुक्ति दिलाने का आधार बनेगी।



मंदिर

गजेंद्र सिंह

लोकनीति विश्लेषक

सांस्कृतिक पूंजी का हिस्सा

मंदिर हमारे समाज में बौद्धिक संपदा और सांस्कृतिक पूंजी का हिस्सा भी हैं। लिहाजा सरकारों, राजनीतिक दलों और समाज को मंदिरों के संस्थागत सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए

अन्य धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप नहीं लगे? अथवा क्या राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के राजनीतिक उदय, हिंदू अस्मिता और भारतीय राजनीति के ध्रुवीकरण से भी जुड़ा हुआ है? इन घटनाओं ने जटिल प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या हमने कभी सोचा है कि मंदिरों के प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था कैसे बनी और भारतीय परंपरा में मंदिरों की वास्तविक भूमिका क्या थी? प्राचीन भारत में मंदिर, गुरुकुल और समाज का त्रिवेणी संबंध भारतीय सभ्यता की एक सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था का आधार था। मंदिर केवल आस्था नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जल प्रबंधन, कला, संस्कृति, खानपान और स्थानीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख संस्थान थे। गुरुकुल ज्ञान, चरित्र और नेतृत्व निमाण, जबकि समाज इन दोनों संस्थाओं का संरक्षक और पोषक था। इस प्रकार धर्म, शिक्षा और समाज के

समन्वय पर आधारित यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था केवल आध्यात्मिक जीवन का ही नहीं, लोककल्याण और आत्मनिर्भर विकास का भी प्रभावी मॉडल थी। समय के साथ यह सभ्यतागत व्यवस्था बदलती गई। हिंदू मंदिरों के प्रशासन का वर्तमान ढांचा औपनिवेशिक काल की उस व्यवस्था से विकसित हुआ है, जिसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा धार्मिक बंदोबस्तों के नियमन से हुई थी। मंदिरों की अधिगृहीत कर सरकार द्वारा चलाए जाने के लिए बना कानून ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए 'मद्रास हिंदू टेंपल एक्ट' पर आधारित है। इस एक्ट को स्वतंत्रता के बाद इसे ही 'हिंदू रीलिजियस प्लेस एंड टेंपल एमेंडमेंट एक्ट, 1951' का रूप दे दिया गया। भारत में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के लिए अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक संस्थाओं के विशेष संरक्षण और

प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 30 (1) के तहत हिंदू बहुसंख्यक समुदाय होने के कारण इस विशेष प्रविधान के दायरे में नहीं आते, इसलिए इस विशिष्ट अधिकार ने गुरुकुल व्यवस्था कमजोर किया। वर्ष 2014 के बाद भी इनके पुनर्जीवन के लिए कोई व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित नहीं हो सका, जिसके चलते मंदिरों का संचालन करते हैं, जबकि मंदिरों में से चार लाख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभागों, देवस्थान बोर्डों या वैधानिक ट्रस्टों के अधीन संचालित होते हैं। जबकि, मस्जिदों का प्रबंधन मुख्यतः वक्फ अधिनियम के तहत गठित वक्फ बोर्डों और स्थानीय मुतविल्लियों द्वारा तथा चर्चों का संचालन संबंधित चर्च ट्रस्टों, डायोसीज और धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यह अंतर केवल



भारतीय मंदिरों की मूल परंपरा ज्ञान और लोककल्याण का समन्वित आधार रही है। फाइल

प्रशासन तक सीमित नहीं, बल्कि विशाल धार्मिक संपत्तियों और संसाधनों के प्रबंधन से भी जुड़ा है। उदाहरणस्वरूप, केरल के त्रावणकोर और गुरुवायूर देवस्थान बोर्ड तीन हजार मंदिरों का संचालन करते हैं, जबकि अकेला सबरीमाला मंदिर त्रावणकोर बोर्ड को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ का राजस्व देता है। कई राज्यों में मंदिरों की कुल वार्षिक आय 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जो दर्शाती है कि उनकी विशाल संपत्तियां और संसाधनों का प्रबंधन बड़े पैमाने पर राज्य-नियंत्रित ढांचों के अंतर्गत होता है। भारतीय मंदिरों की मूल परंपरा केवल आस्था नहीं, बल्कि समाज, ज्ञान और लोककल्याण का समन्वित आधार रही

है। इस सभ्यतागत व्यवस्था में विकास केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समुदाय की सामूहिक शक्ति और सहभागिता का परिणाम था। इसलिए आवश्यकता अतीत की यथावत पुनरावृत्ति की नहीं, बल्कि उसके मंदिर-गुरुकुल गठजोड़, भारतीय ज्ञान आधारित शोध, लोककल्याण, और सामुदायिक सहभागिता को समकालीन संदर्भों में पुनर्स्थापित करने की है। जहां मंदिर पर्यटन और राजस्व के केंद्र से हटकर साधक संस्थागत सुधारों की दिशा में कार्य करना होगा।

सब्र जिंदगी के मकसद का दरवाजा खोलता है, क्योंकि सिवा सब्र के उस दरवाजे की कोई और चाबी नहीं है।

— *शेख सादी*

कल्पमेधा

शुल्क का दबाव और भारत की चुनौतियां

अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाओं पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि यह फैसला आर्थिक तर्कों से प्रेरित है या वैश्विक दबदबा कायम रखने की रणनीति का हिस्सा।



गया है कि भारत भी अपने विकल्पों को मजबूत करे? यदि अमेरिका भारतीय दवाओं पर भारी शुल्क लगाता है, तो स्वाभाविक रूप से भारत में यह सवाल उठेगा कि क्या हमें भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए?

भारत चुपचाप हर दबाव स्वीकार करता रहे, यह उचित नहीं। पिछले एक

भारत चुपचाप हर दबाव स्वीकार करता रहे, यह उचित नहीं। पिछले एक दशक में भारत की विदेश और व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। आज का भारत अनावश्यक टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वासी है। रही आत्मविश्वास आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भारत को यह समझना होगा कि हर जवाब शुल्क से नहीं दिया जाता। कई बार सबसे प्रभावी उत्तर अपने विकल्प मजबूत करना होता है। यदि अमेरिका अपने उद्योगों को बचाने के लिए शुल्क का सहारा ले सकता है, तो भारत भी उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, जहां अमेरिकी आयात पर उसकी निर्भरता कम की जा सकती है।

दशक में भारत की विदेश और व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। आज का भारत अनावश्यक टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा

सुख के आशियाने

नीरज कुमार पाठक

आधुनिकता की अंधी दौड़, महत्वाकांक्षाओं की चकाचीध ने भारतीय समाज के उस सबसे मजबूत स्तंभ को झकझोर कर रख दिया है, जिसे कभी ‘संयुक्त और सुखी मध्यवर्गीय परिवार’ कहा जाता था। आज स्थिति यह है कि जिस मध्यवर्ग को समाज की रीढ़ माना जाता था, वह खोखला होता जा रहा है। घरों के भीतर भौतिक सुख–सुविधाओं के अंबार तो लग गए हैं, लेकिन आपसी संवाद, प्रेम, अपनापन और मानसिक शांति गायब होती जा रही है।

महंगाई के इस दौर में ज्यादा से ज्यादा कमाने की होड़ या मजबूरी, एकल परिवारों का बढ़ता चलन, शादी जैसी संस्था से युवाओं का मोहभंग, सड़कों पर डफनता आक्रोश और असफलता के डर से असमय टूटता बाल–मन आज के भारतीय मध्यवर्ग का एक ऐसा कड़वा सच बन चुका है, जिस पर गहराई से विचार करना और अपनी विचार–पद्धति को बदलना समय की सबसे बड़ी मांग है। आज का मध्यवर्गीय परिवार ‘जीवन जीने’ के बजाय ‘जीवन चलाने’ के संघर्ष में उलझ चुका है। उपभोक्तावाद ने समाज में इस कदर पैर पसार है कि हर व्यक्ति बेहतर कार, आलीशान घर, महंगे गैजेट और बच्चों के लिए महंगे निजी स्कूल की अभीप्सा रखने लगा है। इन चाहतों को पूरा करने के लिए पति–पत्नी, दोनों का नौकरी करना अनिवार्य हो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही घरों में जो आपाधापी शुरू होती है, वह रात को सोने तक थमने का नाम नहीं लेती। कभी दादा–दादी या संयुक्त परिवार की छांव में पलने वाले बच्चे अब क्रेचर या आया के भरोसे बड़े हो रहे हैं। यह स्थिति एक ऐसे तनाव को जन्म दे रही है, जहां समृद्धि तो बढ़ रही है, पर अपनों का साथ छूट रहा है। शाम को जब परिवार के सदस्य घर लौटते हैं, तो संवाद की जगह मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप ले लेते हैं। इस अंधी दौड़ ने ईसान को भावनात्मक रूप से खाली कर दिया है।

पारंपरिक भारतीय समाज की पहचान उसकी सहृदयता और संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, जहां सुख और दुख मिलकर बाँटे जाते थे। पिछले कुछ दशकों में यह ताना–बाना बिखर गया। पहले संयुक्त परिवार टूटे और फिर तीन सदस्यों वाले एकल परिवारों का चलन हुआ। अब समाज ‘एकाकी जीवन’ की तरफ बढ़ रहा है। परिवार का आकार छोटा हो गया है और कुटुंब संबल बनने के बजाय दबाव बन गया है। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर परोसी जाने वाली सामग्रियों ने लोगों के भीतर किसी भी रिश्ते में लंबे समय तक टिकने के धैर्य को खत्म कर दिया है। बढ़ती क्रय शक्ति ने मध्यवर्ग के हाथों में गाड़ियां, महंगे साधन और पैसा तो दे दिया, लेकिन इसके साथ ही समाज में एक अदम्य अहं को भी जन्म दिया है। हर व्यक्ति मानो यह मानकर चल रहा है कि वह हर काम में

सक्षम है, सर्वज्ञाता है और उसे किसी की सलाह या रोक–टोक को कोई आवश्यकता नहीं है। इस अति–आत्मविश्वास ने लोगों के भीतर एक खतरनाक उग्रता भर दी है। मामूली–सी कहा–सुनी मित्रों में जानलेवा हिंसा में बदल जाती है। इस तरह की वादवात इस बात का प्रमाण हैं कि आज के ईंसान के भीतर का धैर्य पूरी तरह चुक चुका है।

इस बदलते सामाजिक परिदृश्य का सबसे विचलित करने वाला पहलू हमारे घरों में पल रही नई पीढ़ी से जुड़ा है। बहुत से परिवारों में बच्चे अत्यधिक लाड़–प्यार के साएं में पलते हैं। उन्हें हर सुख–सुविधा बिना किसी मेहनत के थाली में परोस कर दी जाती है। माता–पिता की यह अति–संरक्षणवादी सोच अनजाने में बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। ये बच्चे जीवन की वास्तविक कठिनाइयों, असफलताओं और संघर्षों का सामना करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाते। इन्हें कभी ‘न’ सुनने की आदत नहीं होती। नतीजतन, जब ये पढ़ाई, करियर या रिश्तों की दुनिया में कदम रखते हैं और जरा–सी भी प्रतिकूल परिस्थिति या विफलता इनके सामने आती है, तो इनका कमजोर मानसिक ढांचा उसे झेल नहीं पाता। आज के किशोर सहनशक्ति के अभाव में इतने हताश हो जाते हैं कि अपने अमूल्य जीवन को भी समाप्त करने जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं।

हमारा राष्ट्र और समाज बहुत विशाल है। अगर हर बच्चा केवल आइएएस, इंजीनियर या डाक्टर बनने की होड़ में ही लग जाएगा, तो इस विशाल देश के बाकी महत्त्वपूर्ण काम कैसे चलेंगे? एक जीवंत समाज को चलाने के लिए हर हुनर समान रूप से आवश्यक है। शिक्षकों, वकीलों, स्वास्थ्यकर्मियों, उद्यमियों और अन्यान्य पेशों को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और इन पेशों में कार्यरत लोगों की आमदनी भी इतनी हो, ताकि उनका सम्मान बरकरार रहे और युवा निस्संकोच इनको चुन सकें। जब तक समाज में हर कार्य और श्रम को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम एक असंतुलित और हतोत्साहित समाज बने रहेंगे।

माता–पिता को भी अपने बच्चों के कंधों से अपनी अधूरी आकांक्षाओं का बोझ हटाना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में असफलता केवल एक सांख्यिकीय सच है। ऐसे समय में अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बच्चे के लिए न्यायाधीश नहीं, बल्कि भावनात्मक ढाल बनें। हमें बच्चों के मन में यह बात गहराई से बैठानी होगी कि परीक्षा केवल एक पड़ाव है, पूरे जीवन की अंतिम कसौटी नहीं। अगर एक दरवाजा बंद होता है, तो असीम संभावनाओं के सौ नए रास्ते भी खुलते हैं। जब हम बच्चों को असफल होने पर भी गले लगाना सीख जाएंगे, सड़कों पर अपने उग्र अहंकार को पीछे छोड़ देंगे, ‘कम’ में भी ‘संतोष’ की कला सीख लेंगे और अपने से कम काबिल, कम पढ़े–लिखे और अवसरों से वंचित लोगों का भी सम्मान करना शुरू कर देंगे, तभी हमारे घर सचमुच ‘सुख के आशियाने’ बन पाएंगे। बदलाव की शुरुआत किसी बाहरी नीति से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से होगी।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com |chaupal.jansatta@expressindia.com

संपादकीय

जनसत्ता | 31 जुलाई, 2026

पर्यावरण की सुध

दुनिया में जहां भी पर्यावरण संरक्षण के सवाल को हाशिये पर छोड़ कर बेलगाम विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति हावी हुई है, वहां इसके बहुस्तरीय खमियाजे सामने आए।

औपचारिक तौर पर इस हकीकत को सभी देश स्वीकार करते हैं, लेकिन विकास कार्यों को समय की जरूरत बता कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में शायद ही कभी सरकारों ने हिचक दिखाई हो। एक ओर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अक्सर होने वाले सम्मेलनों में पर्यावरण पर चिंता जताई जाती है, उसे जीव–जगत के सुरक्षित जीवन का वाहक बताया जाता है, वहीं वैसी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से लेकर उसे पूरा करने तक कई बार पर्यावरण के प्रति जताई जाने वाली चिंताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर बाद में जब इसके व्यापक नुकसान के तथ्य सामने आते हैं और उन पर सवाल उठते हैं, तब सिर्फ माफी मांगने की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। हालांकि सरकार के सिर्फ माफी मांग लेने से किसी परियोजना की वजह से पर्यावरण या स्थानीय पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं हो पाती। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के पहलू को ताक पर रख कर विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के सरकारी रवैये पर स्वाभाविक ही सवाल उठते हैं।

इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देने के बाद माफी मांगने की व्यवस्था गलत है और भविष्य में कोई भी कंपनी पहले इजाजत लिए बिना अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी। जाहिर है, शीर्ष अदालत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के सवाल पर संतुलन कायम करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 के एक सरकारी आदेश के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी परियोजना का काम शुरू होने या उसके पूरा होने के बाद भी पर्यावरणीय मंजूरी दे सकती है। प्रथम दृष्टया ही इस व्यवस्था में पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज करने की मंशा का पता चलता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा गया कि अगर किसी परियोजना से स्थानीय पारिस्थितिकी को स्थायी या दीर्घकालिक क्षति पहुंचती है, तो उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा।

यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि अदालत ने यह फैसला केवल भविष्य में लागू होने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में दिया है। पहले मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी। इसलिए यह सवाल बना रहेगा कि पिछले करीब पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत असर के पहलू को दरकिनार करके जिन परियोजनाओं को पूरा होने दिया गया और बाद में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी। इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि दुनिया के आगे बढ़ने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास निश्चित रूप से एक जरूरी कारक है, लेकिन अगर उसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी के विनाश की कीमत पर संभव बनाया जाता है, तो वह विकास किनना सार्थक और स्थायी महत्त्व का साबित होगा। यह छिपा नहीं है कि दुनिया भर में जहां भी पर्यावरण के प्रति वास्तविक और जमीनी चिंताओं की उपेक्षा करके या फिर उन्हें दबा कर किसी परियोजना को पूरा किया गया, वहां आगे चलकर उसके कई स्तर पर खमियाजे उठाने पड़े। इसमें स्थानीय आबादी से लेकर पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान शामिल हैं, जिसकी भरपाई कई बार संभव नहीं हो पाती।

अपराध के पांव

देश की राजधानी होने के नाते यह उम्मीद स्वाभाविक है कि यहां कानून और सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षया बेहतर और चौकस होगी और आपराधिक के लोगों के भीतर पुलिस का खौफ होगा। मगर बुधवार को दिल्ली के अलग–अलग इलाकों में एक के बाद एक हत्या की पांच घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि सरकारी दावे चाहे जो हों, सच यह है कि यहां भी अपराधी तत्वों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं दिखता। बहुत मामूली बातों पर भी कोई किसी की जान ले लेता है और उसके बाद जब घटनाएं सुर्खियों में आ जाती हैं, तब कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की नींद खुलती है। गौरतलब है कि बुधवार को हत्या की पांच वादादात से दिल्ली एक बार फिर सहम गई है। एक घटना में नशे की लत के शिकार बेटे ने बुजुर्ग मां की जान ले ली, तो दूसरी में कुछ लोगों ने घात लगा कर सत्रह साल के किशोर की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है बीते दिनों पार्क में बैठे एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने प्रेमिका से छेड़छाड़ करने पर विरोध जताया था।

सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में भी अपराध का दायरा बढ़ता गया है। यहां सुरक्षा की कई परतें होने पर भी नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कई बार तो छोटी–छोटी बातों पर लोग इस कदर उग्र हो जाते हैं कि वे किसी भी निर्दोष की जान ले लेते हैं। यह कानून व्यवस्था का मसला जरूर है, लेकिन इसके समाजशास्त्रीय पक्ष को भी समझना होगा कि आखिर किन वजहों से लोगों के भीतर इस तरह की बेलगाम और हिंसक आक्रामकता घर कर रही है। वहीं आत्मकेंद्रित हो रहे इस समाज में अब कोई किसी को बचाने इसलिए आगे नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून की जटिलताओं में कहीं वह स्वयं न उलझ जाए। विचित्र है कि सड़कों और गलियों में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में निकलती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोक पाने में वह एक तरह से नाकाम दिख रही है।

करने में पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वासी है। यही आत्मविश्वास आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भारत को यह समझना होगा कि हर जवाब शुल्क से नहीं दिया जाता। कई बार सबसे प्रभावी उत्तर अपने विकल्प मजबूत करना होता है। यदि अमेरिका अपने उद्योगों को बचाने के लिए शुल्क का सहारा ले सकता है, तो भारत भी उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, जहां अमेरिकी आयात पर उसकी निर्भरता कम की जा सकती है। जिन उत्पादों का निर्माण भारत में संभव है या जिनके लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, वहां ‘मेक इन इंडिया’ को और अधिक गति दी जा सकती है।

आज अमेरिका भारतीय दवा उद्योग का सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन क्या यह स्थिति हमेशा रहेगी? यदि नहीं, तो अभी से नए बाजार तैयार करना समय की मांग है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। वहां गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत यदि अभी से इन बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करता है, तो भविष्य में किसी एक देश के फैसले से पूरा उद्योग प्रभावित नहीं होगा। एक और अहम सवाल यह है कि क्या भारत हमेशा केवल उन्नेक दवाओं का निरमाता बना रहेगा? पिछले तीन दशकों में भारतीय कंपनियों ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं बना कर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब समय केवल जेनेरिक दवाओं तक सीमित रहने का नहीं है। यदि भारत अनुसंधान, नई दवाओं की खोज, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान में बढ़े पैमाने पर निवेश करता है, तो वह चिकित्सा नवाचार का भी वैश्विक केंद्र बन सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। लंबे समय तक अमेरिका मुक्त व्यापार का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। आज वही अपने उद्योगों की रक्षा के लिए शुल्क और व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार पहले जैसा नहीं रहने वाला। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। ऐसे में भारत को भी आदर्श और यथार्थ के बीच संतुलन बनाना होगा। उसे न तो अनावश्यक आक्रामक होने की जरूरत है और न ही अत्यधिक नरमी की। आवश्यकता है आत्मविश्वास और विवेक की। यदि कोई देश व्यापार को दबाव का हथियार बनाता है, तो भारत को भी यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है। दुनिया भारत पर इसलिए भरोसा करती है कि उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दवाओं की आपूर्ति को कभी हथियार नहीं बनाया।

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार है और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का केंद्र भी। इसलिए अब वह आंखें झुका कर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डाल कर अपनी बात रखने की स्थिति में है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। इस आत्मविश्वास के साथ संयम भी जरूरी है। भारत को हर चुनौती का जवाब इस तरह देना होगा कि उससे उसकी साख और मजबूत हो, उसके उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बनें। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत ऊंची आवाज में धमकी देने में नहीं, बल्कि इसमें होती है कि संकट आने पर वह कितनी दृरश्शिता से अपने लिए रास्ते बनाता है। भारत के सामने आज यही परीक्षा है। यदि उसने इस चुनौती को सही ढंग से समझ लिया, तो संभव है कि कल इतिहास इसे भारतीय औषधि उद्योग के लिए संकट नहीं, बल्कि एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत के रूप में याद करे।

नीयत पर सवाल

‘अब आगे’ (संपादकीय, 27 जुलाई) पढ़ कर मन में दो भाव एक साथ उठे। एक संतोष का कि लोकतंत्र में जनता की आवाज अंततः सुनी गई। दूसरा दायित्व का कि अब बुलंद आवाज के बाद आचरण बदलना है। नैट 2026 के प्रश्नपत्र लीक ने सिर्फ एक परीक्षा का नुकसान नहीं किया, बल्कि उसने युवाओं के सपने को भी तोड़ दिया।

जब एक छात्र रात–रात भर जाग कर तैयारी करता है और सुबह पता चलता है कि प्रश्नपत्र बाजार में बिक रहा है, तो उसके भीतर सिर्फ नाराजगी नहीं पैदा होती, विश्वास का संकट भी पैदा होता है। इसी संकट ने आंदोलन को जन्म दिया। इसी के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अब सवाल आगे का है। इस्तीफा मंजिल नहीं, पड़ाव है। अगर हम यहीं रुक गए, तो कुछ साल बाद फिर कोई और पेपर लीक होगा, फिर कोई आंदोलन होगा, फिर कोई इस्तीफा होगा। इस चक्र को तोड़ना होगा। समस्या तकनीक की नहीं, नीयत की है। जब तक परीक्षा को ‘व्यवस्था’ की जगह ‘व्यापार’ समझा जाएगा, तब तक प्रश्नपत्र लीक होते रहेंगे। आज जब डिजिटल तंत्र से करोड़ों का सुरक्षित लेन–देन हो सकता है, तो क्या प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं हो सकते?

— *मनोज वशिष्ठ, रेवाड़ी, हरियाणा*

संवाद ही समाधान

‘जवाबदेही के बरक्स’ (संपादकीय 21 जुलाई) पढ़ा। इसमें सरकार, जनआंदोलन और जवाबदेही के प्रश्न को सामने रखा गया है। लोकतंत्र में किसी भी जन आंदोलन को केवल विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपी जनभावनाओं और समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। समाधान संवाद, संवेदनशीलता और आपसी विश्वास के माध्यम से ही संभव होता है। यदि समय रहते बातचीत

नैतिक दायित्व

‘खतरे का तापमान’ (संपादकीय, 29 जुलाई) पढ़ा। जलवायु परिवर्तन आज न्याय और वैश्विक समानता का भी प्रश्न बन चुका है। जिन देशों का कार्बन उत्सर्जन में योगदान बेहद कम है, वही देश समुद्र–स्तर में वृद्धि, भीषण बाढ़, सूखा, चक्रवात, खाद्य असुरक्षा और जल संकट जैसी आपदाओं का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, औद्योगीकरण से सर्वाधिक लाभ उठाने वाले विकसित देशों का उत्सर्जन अब भी वैश्विक ताप वृद्धि का

यह विडंबना ही है कि ‘विश्व की फार्मसी’ कहलाने वाला भारत आज भी अपने यहां ही महिलाओं को स्तन कैंसर संबंधी जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा। प्रभावी उपचार उपलब्ध होने के बावजूद केवल उसकी आसमान छूती कीमत के कारण मरीज उससे वंचित रह जाए, तो यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं, बल्कि हमारी नीतियों और मानवीय संवेदनाओं की भी विफलता है। इतिहास हमें इस बात से नहीं आंकेगा कि हमने कितनी दवाइयां बनाईं, बल्कि इस बात से आंकेगा कि हमने कितने जीवन बचाए। सस्ती एवं सुलभ दवाओं के साथ–साथ जन–जागरूकता, समय पर जांच, शीघ्र पहचान और त्वरित उपचार को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाए। कारपोरेट क्षेत्र के सीएसआर कोष का उपयोग भी ऐसे जीवनरक्षक प्रयासों के लिए किया जाना चाहिए।

— *बृजभूषण गोयल, लुधियाना*



पैलेट गन पर सुनवाई

बीती 20 जुलाई को दिल्ली में संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे-धीरे इसकी परतें खुलती लग रही हैं। इस पर जारी सियासत से अलग सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है। जाहिर है, इस मामले में सियासत से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय का ही होगा। सवाल नया नहीं है, लेकिन बड़ा जरूर है। क्या पुलिस को पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है? फिलहाल, यह सरकार के लिए राहत की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को असामान्य हालात में जायज ठहराया है। अब दिल्ली पुलिस को साबित करना होगा कि हालात संगीन हो चुके थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति बागची व न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने उचित ही सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपनी कार्रवाई के रिकॉर्ड दुरुस्त रखे और दिल्ली सरकार को कहा गया है कि वह घायलों का इलाज कराए। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

अब इस पर सर्वोच्च न्यायालय से जो भी व्यवस्था आएगी, वह देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ध्यान रहे, पुलिस से बल प्रयोग का

छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो भी व्यवस्था आएगी, वह देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

अधिकार छीन लेने के अपने खतरे हैं। बेहतर तो यही होगा कि पुलिस उपद्रव नियंत्रण के नए सभ्य तरीके खोजे और आजमाए। याचिकाकर्ता ने प्रदर्शनकारियों और अन्य नागरिक सभाओं को तितर-बितर करने के लिए ‘पंप एक्शन राइफलों’ या ‘प्रोजेक्टाइल एक्शन गन’ (पीएजी) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि, अदालत को यह मांग मंजूर करने में परेशानी है, तभी तो उसने विशेष हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल को सही ठहराया है। संविधान के वहत पुलिस तंत्र को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अगर

उससे ये अधिकार वापस लेने हैं, तो फिर नियमों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। यह प्रश्न व्यापक महत्व का है कि क्या हमारा देश इतना परिपक्व हो चुका है कि यहां पुलिस को बलहीन सरकारी महकमें में बदल दिया जाए? क्या हमारी पुलिस हमेशा बल प्रयोग करने लगी है? क्या पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि उसके हाथों से अब हर तरह की बंदूकें वापस ले ली जाएं?

प्रधान न्यायाधीश के रुख से ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में पैलेट गन के उपयोग का प्रोटोकॉल तय होने वाला है। वैसे, सरकार को पूरी संवेदना और समझदारी के साथ यह प्रोटोकॉल स्वयं तय करना चाहिए था। अफसोस, अपने देश में यह कोई नई बात नहीं है कि विपक्ष पुलिस में सुधार चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष की प्राथमिकताओं में शायद यह काम कहीं नहीं होता। यह छिपी हुई बात नहीं है कि देश में पुलिस सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। संयम का संदेश तमाम पुलिसकर्मियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी तो बिहार में एक पुलिसकर्मियों-एक-47 लेकर छात्रों की ओर दौड़ पड़ा। आरोप है, दिल्ली में कम से कम पांच प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से चोटें आई हैं। अगर, पुलिस, पुलिस को कमर से ऊपर प्रहार की जरूरत क्यों पड़ी? वेशक, पुलिस अपना पक्ष सामने रखे और सरकार को भी तमाम तथ्य सामने रखने चाहिए। संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 31 जुलाई, 1951

मध्यभारत की राजधानी

मध्यभारत की राजधानी का प्रश्न वहां की जनता, सार्वजनिक व्यक्तियों और सरकार सभी के लिए सिरदर्द का कारण रहा है। मध्यभारत के छोटे-बड़े राज्यों का एकीकरण तो हो गया, किन्तु इस नये बड़े राज्य की स्थायी राजधानी बनने का सौभाग्य किस नगर को प्राप्त हो, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस सौभाग्य के लिए दो ही नगर मुख्य रूप से दावेदार हैं- एक ग्वालियर और दूसरा इन्दौर। कभी-कभी उज्जैन का नाम भी लिया गया है और यदि भोपाल का सी श्रेणी का राज्य मध्यभारत में विलीन कर दिया जाय तो भोपाल के लिए भी मध्यभारत की राजधानी की कल्पना की गई है। किन्तु मुख्य संघर्ष ग्वालियर और इन्दौर के बीच रहा है। इन दोनों नगरों के पक्षपातियों की आपसी खींचतान ने वातावरण को कटुतापूर्ण बना दिया है।...

जब मध्यभारत राज्य का निर्माण हुआ तो राजधानी के संबंध में एक अस्थायी व्यवस्था तय की गई थी। उसके अनुसार वर्ष में सात महीने राजधानी ग्वालियर रहनी थी और पांच महीने इन्दौर। यह व्यवस्था कुछ समय तक चलती रही। किन्तु किन्हीं कारणों से रियासती मंत्रालय ने इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन करना मुनासिब समझा। उसने तय किया कि केवल कैम्प राजधानी इन्दौर जाना करे और पांच महीने के बजाय तीन महीने ही वह वहां रहे। इस निर्णय पर अमल तो होना ही था और वह हुआ भी; किन्तु इन्दौर के पक्षपातियों द्वारा उसके विरुद्ध काफी असंतोष व्यक्त किया गया और उनकी ओर से प्रारम्भिक व्यवस्था को लौटाने के प्रयत्न किये गये। ग्वालियर के पक्षपातियों ने इन प्रयत्नों का विरोध किया। ग्वालियर और इन्दौर में अलग-अलग राजधानी निर्माण समितियां संगठित हुईं और ग्वालियर और इन्दौर की यह खींचतान राज्य के सार्वजनिक जीवन को कलुषित बनाये हुए है। हमारी राय में सबसे अच्छा यही होता कि मध्यभारत के निर्माण के समय जो व्यवस्था तय गई गई थी, उस पर कायम रहा जाता और फिलहाल इस प्रश्न को ठण्डे गोदाम में रख दिया जाता। आम चुनावों के बाद मध्यभारत की भी विधानसभा अस्तित्व में आती, वह इस प्रश्न का उचित निपटारा कर लेती। किन्तु मध्यभारत का मौजूदा मंत्रिमंडल यह सोचता है कि स्थायी राजधानी का प्रश्न अनिर्णीत रहने की दशा में उसका आगामी आम चुनावों पर बुरा असर पड़ेगा।

दिवक्त है, इसलिए उन्हें इस आंदोलन में सिर्फ गंदगी दिखाी। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए।



कंगना रनौत की टिप्पणी का स्वाभाविक विरोध हो रहा है। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नौजवानों पर अशोभनीय टिप्पणी करना न केवल अनुचित है, बल्कि उनकी उपलब्धियों और संघर्षों का भी अपमान है। जबकि, जेन-जी भारत की सबसे ऊर्जावान और नवाचारी पीढ़ी है। यही पीढ़ी स्टार्टअप शुरू कर रही है, नई तकनीकों को अपना रही है और उद्यमिता में देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में, छात्रों के वेश में आंदोलन में घुसे कुछ अराजक तत्वों को आधार बनाकर एक पूरी पीढ़ी को कठघरे में खड़ा करना सही नहीं। कंगना को यह



सुरशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी.ओके) में पाकिस्तानी हुक्मरान के खिलाफ जो गुस्सा दिख रहा है, वह अप्रत्याशित है। वहां सत्बिडौ खत्म करने के विरोध में शुरू हुआ जनआंदोलन अब आजादी की मांग में बदल चुका है। जवाब में, पाकिस्तान सरकार का दमन जारी है। गुजरे तीन दिनों में 30 से अधिक और 5 जून के बाद से 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के कत्ले के आरोप उस पर लग रहे हैं। आंदोलनकारियों में सत्ता-विरोधी भावना उबाल पर है। वे खुलकर पाकिस्तानी हुकुमत व फौज से टकरा रहे हैं। शासक और शासित के बीच रिश्तों में ऐसी दरार पड़ चुकी है, जिसे भरना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

इस आंदोलन के दो अहम पहलू हैं, जिसे पाकिस्तान नजरअंदाज कर रहा है। पहला, वहां के हुक्मरान बलूचिस्तान में तो कत्लेआम कर सकते हैं और उसका ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो बलोचों की सरकार में हिस्सेदारी है और न फौज में उनकी बड़ी संख्या। विदेश में भी उनकी आवाज बुलंद करने वाला कोई प्रभावशाली तबका भी नहीं है। इसी तरह, खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों को तालिबान और आतंकवाद से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण उनके हक में उठने वाली आवाजें बहुत प्रभावी नहीं दिखतीं, किंतु पी.ओके का अपना अंतरराष्ट्रीय चरित्र है। यहां की समस्याएं दुनिया भर में सुर्खियां बटोती हैं। *न्यूयॉर्क टाइम्स* की खबर इसकी तस्वीर करती है। हालांकि, इसमें जिस तरह से पी.ओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है, उसका उचित ही हमारी सरकार ने विरोध किया है। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तानी कब्जा जगजाहिर है, इसलिए वैश्विक मीडिया से विशेष संवेदनशीलता को मांग गलत नहीं।

दूसरी बात, पाकिस्तान इस आंदोलन को पारंपरिक ‘भारत विरोधी’ नजरिये से देख रहा है, जबकि सच यह है कि जिस पी.ओके का इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने या कश्मीर में आतंकवाद को

अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इनमें एक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी है। इसके मुताबिक, बैंकों से कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिलते हैं।

आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई 2026 तक देश के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में पिछले साल के मुकाबले 17.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा कर्ज लेने की गति तेज हुई है। इससे जमा और ऋण के अनुपात में सुधार हुआ है। मई के आंकड़ों के मुताबिक, कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा कर्ज लेने में पिछली मई की तुलना में 18.3 फीसदी की तेजी आई है। यह तेजी साल 2012 के बाद सबसे अधिक है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। अमेरिकी वित्तीय सेवा और निवेश बैंकिंग कंपनी ‘मॉर्गन स्टैनली’ के मुताबिक, 13 साल में इस बढ़ोतरी के पीछे घरेलू मांग में वृद्धि, थोक मूल्यों में तेजी और रिजर्व बैंक द्वारा नियमों में ढील देने का हाथ है। बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा ऋण लेने में तेजी इसका बहुत बड़ा कारक है। ब्रोकर सर्विस विशेषज्ञों के मुताबिक, बड़े औद्योगिक घराने निवेश के लिए धन जुटा रहे हैं और इसीलिए वे पहले से ज्यादा ऋण ले रहे हैं।

मुद्रा बाजार की व्याज दरों में इन दिनों तेजी है। जहां से ये कंपनियां ऋण उठाती हैं, वहां पहले कम दरों पर कर्ज मिल जाता था, लेकिन दरों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों ने निवेश के लिए फिर से बैंकों की ओर रुख किया है। कोविड महामारी के काल में कई कंपनियों ने अपने ऋण लौटा दिए थे, जिससे चिंता काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब इसमें काफी सुधार हो गया है। विशेषज्ञ ऋण की मांग में तेजी के तीन मुख्य कारण बताते हैं- पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, बेहतर निर्यात स्थिति और घरेलू खपत का बरकरार भावना। भारत उ न देशों में है, जहां घरेलू मांग की स्थिति मजबूत है, जिससे जीडीपी विकास को बढ़ावा मिलता रहता है। महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बाद भी भारतीयों की खपत में कमी नहीं हुई है। यह अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। देश का बड़ा तबका, यानी मध्यवर्ग संघर्ष कर रहा है। वेशक, इसका कुछ हिस्सा उधारी पर आधारित है, यानी लोग बैंकों या गैर-बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लेकर भी खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में किरतों पर सामान खरीदने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है।



मधुरेंद्र सिन्हा | वरिष्ठ पत्रकार

एक अहम बात यह देखने में आई है कि आवासीय मकानों के लिए ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मकान के लिए बड़े पैमाने पर ऋण लिए जा रहे हैं। भारत का आवासीय क्षेत्र या रियल एस्टेट बहुत बड़ा हो चुका है और देश के हर हिस्से में इसमें काम हो रहा है। भारत का रियल एस्टेट बाजार इस समय 585 अरब डॉलर का है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 9.63 फीसदी की दर से बढ़ रहा है और साल 2031 तक इसके लगभग 925 अरब डॉलर के होने का अनुमान है। मतलब साल भर है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में ऋण की मांग और बढ़ेगी।

भारत ऋण की मांग में बढ़ोतरी वाले जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों के साथ खड़ा है। बाकी अन्य देशों में यह बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। इसका अर्थ यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के दौर से गुजर रही है और इस पर अमेरिका-ईरान या रूस-यूक्रेन युद्धों का खास असर नहीं दिख रहा है। पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को न केवल कॉर्पोरेट, बल्कि ग्राहकों ने भी स्वीकार कर लिया है। आर्थिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय, यानी 2027 में बैंकों के ऋण वितरण में थोड़ी कमी आ सकती है और उसका कारण यह हो सकता है कि बड़ी कंपनियां सस्ते ऋण की तलाश करंगी। मुद्रा बाजार में इस समय बहुत सारे वारिकल्प मौजूद हैं। उधर खुदरा ग्राहकों के लिए भी ऋण लेना आसान होता जा रहा है। इंटरनेट के तीव्र विकास और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल से तरह-तरह के ऋण विकल्पों के बारे में जानना भी अब आसान हो गया है। कर्जदाता वित्तीय संस्थाएं अब खुद ग्राहकों के पास आकर लुभावने ऑफर दे रही हैं। सरकार ने भी कई तरह की पाबंदियां हटा दी हैं। इस कारण से कर्ज की मांग में बढ़ोतरी की गुंजाइश बहुत है और यह आने वाले समय में दिखेगी भी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)



अनुलोम-विलोम कंगना केबोल



अपर्णा श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सत्ता-विरोधी भावना

इस समय उबाल पर है और लोग खुलकर निजाम से टकरा रहे हैं। हालात पाकिस्तान के हाथों से निकलते जा रहे हैं।



हवा देने के लिए किया, आज वहीं से उसके खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो खुलकर प्रदर्शनकारियों को ‘भारत जैसा दुश्मन’ बता रहे हैं और उन पर गोलियां चलने का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने जिस जेहादी आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की, उसमें पी.ओके के कश्मीरियों की खूब मदद ली गई। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में यह भी कहा जाने लगा है कि जिस तरह इस्लामाबाद ने कभी अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया, पर बाद में वही उस पर भारी पड़ा, उसी तरह कश्मीर के लिए तैयार जेहादी पाकिस्तानी सत्ता-सदन पर भारी पड़ने लगे हैं।

पी.ओके में आंदोलनकारियों ने अब तक हथियार नहीं उठाए हैं, लेकिन वहां एक तबका ऐसा भी है, जो फौज की सेवा कर चुका है और शस्त्र चलाना बखूबी जानता है। ऐसे में, यदि आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए, तो पाकिस्तान के लिए उनको संभालना काफी कठिन हो जाएगा। फिर, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति

मनसा वाचा कर्मणा

हमारी आत्मा के शिल्पकार

प्रेमचंद की स्वीकार्यता जन-सामान्य के बीच कबीर और तुलसीदास के बाद सबसे व्यापक है। वह आधुनिक भारत व भारतीय मन को गढ़ने वाले विरल साहित्यकारों में अग्रगण्य हैं। बीसवीं शताब्दी का नवजागरण किसी शून्य में नहीं पैदा हुआ था। वह दौर एक ओर महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और जन-जागरण से आलोकित था, तो दूसरी ओर बाबा साहेब आंबेडकर के समता और सामाजिक न्याय के कठोर सवालों से उद्देलित था। प्रेमचंद अपने साहित्य में गांधी और आंबेडकर, दोनों महान विचारकों की चेतना को एक साथ साधते हैं। वह राष्ट्रीयता को पुनर्परिभाषित करते हुए लिखते हैं, ‘हम जिस राष्ट्रीयता का स्वान देख रहे हैं, उसमें तो जन्मजात वर्णों की गंध तक न होगी।’

प्रेमचंद अपनी कहानियों और उपन्यासों में एक तरह से नए और स्वाधोन भारत का मानवीय संविधान रच रहे थे। उनकी कहानी *पंच परमेश्वर* में न्याय का अग्रतिम आदर्श दिखाई देता है। एक तरफ ताकतवर जुम्मन मियां हैं, तो दूसरी तरफ बेसहारा, कमजोर बूढ़ी खाला। प्रेमचंद कमजोर खाला के पक्ष में न्याय को खड़ा करते हैं। खाला का वह ऐतिहासिक वाक्य- ‘बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?’ आज भी हमारे नागरिक विवेक को झकझोरता है।

अंग्रेजी और औपनिवेशिक मानसिकता ने भारत को केवल अतीतजीवी और आध्यात्मिक साबित करने की चेष्टा की, लेकिन प्रेमचंद ने भारत की पहचान उसकी मिट्टी, खेत-खलिहान, किसान, मजदूर, दलित और स्त्री की जिजीविषा में तलाशी। *सद्गति* में वह धर्म और कर्मकांड में छिपे अमानवीय तंत्र पर टोकर मारते हैं, तो *ठाकुर का कुआं* में एक बीमार आदमी के लिए पानी तक

पाकिस्तानी हुक्मरानों के प्रति नाराजगी बढ़ी। दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिक इतनी चरमरा गई है कि पी.ओके में खाद्य पदार्थों व बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का प्रयास किया गया। इसने आम लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दीं और वे अपने नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। रही-बची कसर वहां की राजनीतिक व्यवस्था ने पूरी कर दी। पी.ओके की असेंबली में 12 सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, पर पाकिस्तान सरकार उनको उन लोगों में बांटने लगी है, जो पी.ओके से इतर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। लोगों ने इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की, लेकिन हुक्मरान इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे पी.ओके में उसका दखल कम हो जाएगा। इस तरह, यह आंदोलन पी.ओके की शासन-व्यवस्था और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जिसकी कमान अब जॉइंट अवराम एक्शन कमेटी (जेएएसी) के हाथों में है, क्योंकि स्थानीय नेताओं पर लोगों को ऐतबार नहीं रहा।

करीब दो महीने से यह आंदोलन चल रहा है, जो धीरे-धीरे उग्र होता जा रहा है। कश्मीरी पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान की बेवसी अब जगजाहिर होने लगी है। ऐसे में, पाकिस्तानी नेताओं की एकमात्र उम्मीद फौज है। पाकिस्तानी फौज का जो इतिहास रहा है, उससे यही लगता है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। बार-बार हो रही गोलीबारी यही संकेत दे रही है। निस्संदेह, वह इसका दमन कर सकती है, क्योंकि उसके पास यह क्षमता है, लेकिन ऐसी किसी सैन्य कार्रवाई की प्रतिक्रिया भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर विद्रोह फैला, तो उसे संभालना फौज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।

क्या आने वाले दिनों में इस खिंचे से पाकिस्तान का कब्जा हट जाएगा? फिलहाल इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर यहां की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। जिस तरह हम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या अन्य जगहों पर देख रहे हैं कि सरकारी दमन के कारण वहां के हालात लगातार नाजुक हो चले हैं और हिंसक माहौल बढ़ने के साथ-साथ हुकुमत का दबदबा कम होने लगा है, उसी तरह की परिस्थिति पी.ओके में भी बन सकती है। लोग पाकिस्तानी फौज व हुकुमत को नफरत की निगाह से देखने लगे हैं। यह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा।

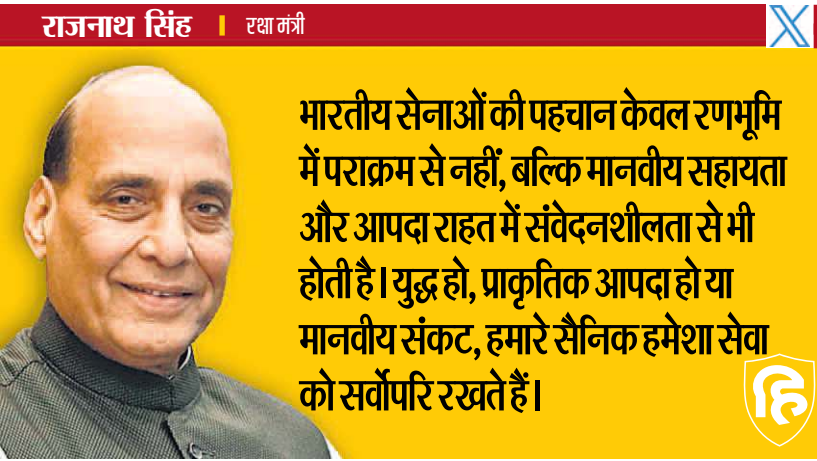
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रेमचंद की कहानी ‘पंच परमेश्वर’ का वह ऐतिहासिक वाक्य- ‘बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?’ आज भी हमारे नागरिक विवेक को झकझोरता है।

हमारे व्यक्तित्व को उन्नत करते हैं।

आज के इस नायक-विहीन समय में, जब मीडिया नकली नायकों को गढ़ने में लगा है, प्रेमचंद हमें सिखाते हैं कि असली लोक-नायकत्व किसी विशेषाधिकार में नहीं, बल्कि साधारणता के भीतर छिपी असाधारणता में निहित है। प्रेमचंद का साहित्य केवल अतीत का दर्पण नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा-दृष्टि है। वह एक ऐसे सच्चे लेखक हैं, जो हर दौर में हमारी सोई हुई चेतना को झकझोरते रहेंगे और हमारी मनुष्यता को जगाते रहेंगे।

सदानंद शाही



भारतीय सेनाओं की पहचान केवल रणभूमि में पराक्रम से नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और आपदा राहत में संवेदनशीलता से भी होती है। युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय संकट, हमारे सैनिक हमेशा सेवा को सर्वोपरि रखते हैं।

जेन-जी के खिलाफ अशालीन टिप्पणी

जेन-जी और कॉरोक्रेज जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा संचालित छात्र आंदोलन पर कंगना रनौत का बयान उचित नहीं लगता। उन्होंने छात्रों को उनकी भाषा के लिए घेरे हैं। ऐसा कहते हुए वह भूल गई कि नौजवानों ने अपना दृढ़ देश को दिखाया था। पेपर लोक कोई सरल समस्या नहीं है। अगर छात्र और नौजवान सड़कों पर नहीं उतरते, तो इस मुद्दे पर शायद ही सरकार सजग होती। ये वही युवा हैं, जो अथक परिश्रम के बाद नीट जैसी कठिन लड़ाई देते हैं, लेकिन पेपर लोक के कारण वह परीक्षा रद्द कर दी जाती है। ऐसे में, इन नौजवानों पर क्या बीतती है, यह कोई दूसरा नहीं जान सकता। उनकी पीड़ा तो वही समझ सकता है, जो प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं के दौर से गुजरना हो। कंगना रनौत के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें युवाओं की परेशानी महसूस नहीं होती और उन्हें तंत्र-विरोधी आंदोलनों से



अनुलोम-विलोम कंगना केबोल



भी समझना चाहिए कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं। यदि युवा किसी परीक्षा घोटाले, बेरोजगारी या अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनकी भाषा या पहनावे के आधार पर पूरे आंदोलन को खारिज कर देना लुप्त मुद्दों से ध्यान भटकाना माना जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में किसी संसद या जन-प्रतिनिधि से यही अपेक्षा की जाती है कि वह संयमित भाषा का प्रयोग करे, लेकिन कंगना इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती। यदि कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो जवाब में उतनी ही अशालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हमारे नेतागण तो अब शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। समय के साथ भाषा और संस्कृति बदलती है। नई पीढ़ी इसमें अपवाद नहीं है। यह बात कंगना को जल्द समझ लेनी चाहिए।

अपर्णा श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

कंगना की मंशा गलत नहीं लगती

कंगना रनौत ने आखिर गलत क्या कहा। आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे, जिससे समाज में संवाद के बजाय विवादान को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कहने वाले भूल रहे हैं कि कंगना की चिंता युवाओं की भाषा और व्यवहार को लेकर थी, जिसे अधिक संतुलित व रचनात्मक तरीके से आंदोलनकारी व्यक्त कर सकते थे। वैसे भी, उन्होंने पूरी पीढ़ी को नहीं, बल्कि उन्हीं नौजवानों को निशाना बनाया है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान व सोशल मीडिया के मंचों पर अशालीन भाषा का प्रयोग किया। ऐसे में, कंगना ने जो विषय उठाया है, वह केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संकट की ओर इशारा है।

इस बात से शायद ही किसी को ऐतराज होगा कि आज सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए कई युवा

विवाददास्यद भाषा, अपमानजनक मोमस और आक्रामक अभिव्यक्ति का सहारा लेते हैं। इससे संवाद की शालीनता कम हुई है। छात्र आंदोलन के दौरान ही हमने देखा कि किन-किन तरह के शब्दों वाले पोस्टर लहराए गए। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की गालियां दी गईं, यहां तक कि कई पोस्टर तो हद से अधिक अशालीन थे। इन सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जा सकता। संविधान जब हमें यह अधिकार देता है, तो हमसे जिम्मेदारी की अपेक्षा भी रखता है। कई जैन-जी आंदोलनकारी इस पर खरे नहीं उतर सके थे, इसलिए अगर आज उनका विरोध हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है?

क्या अधिकारों के साथ कर्तव्यों की चर्चा करना गलत है? आज की पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तो खूब जोर देती है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक मूल्यों और अनुशासन को

लेकर आंखें मूंदे रहती हैं। कंगना ने इसी असंतुलन को और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उनकी भाषा बले तीखी हो रही है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। समाज में शालीनता, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बचाए रखना आवश्यक है। वैसे भी, इतिहास यही बताता है कि हर पीढ़ी की अलोचना होती रही है। कभी बुजुर्गों ने युवाओं को उग्र कहा, तो कभी युवाओं ने पुरानी पीढ़ी को रूढ़िवादी बताया, इसलिए जैन-जी की उनकी आलोचना सामान्य मानी जाएगी। यदि समाज में कोई वर्ग या पीढ़ी आलोचना से पूरी तरह ऊपर उठ जाए, तो स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस समाप्त हो जाएगी। यह वक्त युवाओं के आत्ममंथन का है। आलोचना को उन्हें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, तभी मौजूदा बहस समाज के लिए उपयोगी हो सकेगी।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

Last Day To Join Private Channel. **Closing entry for new members Now.**



Click here
to join

◆ Indian Newspaper

1) Times of India

2) The Hindu

3) Business line

4) The Indian Express

5) Economic Times

And more Newspapers

◆ International Newspapers channel

[European, American, Gulf & Asia]

◆ Magazine Channel

National & International

[General & Exam related]

◆ English Editorials

[National + International Editorials]

◆ Lifetime validity at just 19 Rupees



Trust me... this will be your best purchase of 2026

नए टैरिफ का खतरा

अमेरिकी सीनेट द्वारा रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी मिलना केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के लिए लागू इस विधेयक के तहत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले पांच मुख्य देशों-भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि, यह कानून राष्ट्रपति के विवेकाधीन होगा, लेकिन इसकी आशंका भर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और

निवेश के वातावरण को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है, इसे प्रतिनिधि सभा की मंजूरी मिलना बाकी है और उसके बाद भी इसके क्रियान्वयन में कई राजनीतिक व कानूनी बाधाएं आ सकती हैं। इसके बावजूद, भारत के लिए इसे केवल एक दूर की संभावना मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। आज जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और रूस उसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन चुका है, तब इस तरह की किसी भी अमेरिकी पहल के संभावित प्रभावों का समय रहते आकलन करना जरूरी है। भारत के लिए चिंता का विषय केवल संभावित शुल्क नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न होने

वाली व्यापक आर्थिक अनिश्चितता है। रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल के आयात ने पश्चिम एशियाई संकट के बावजूद भारत की ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखने, महंगाई पर आंशिक अंकुश लगाने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद की है। फिर भी, किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकाल में जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए, बदलती वैश्विक परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ केवल सस्ता तेल प्राप्त करना नहीं, बल्कि विविध और स्थिर आपूर्ति स्रोत विकसित करना भी है। इस दृष्टि से यह संतोषजनक है कि भारत रूस के साथ वेनेजुएला, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे अन्य स्रोतों से भी आयात बढ़ाने की दिशा



में आगे बढ़ रहा है। साथ ही, भारत को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति पर अधिक गंभीरता से काम करना होगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, थ्रैलू तेल व गैस उत्पादन को प्रोत्साहन, हरित हाइड्रोजन मिशन, सौर व पवन ऊर्जा में निवेश जैसे कदम अब सिर्फ जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से भी सीधे जुड़ गए हैं। भारत के लिए यह केवल ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा भी है।



विमर्श

शिक्षा का मुद्दा चर्चा के केंद्र में तो आया

शिक्षा में जवाबदेही अब सिर्फ छात्रों की मांग नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, भरोसे और समान अवसर से जुड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बन चुकी है।

दिल्ली के जंतर-मंतर और देशभर के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन के लिए जमा हुए युवाओं का एक एजेंडा था, जिस पर अब गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। उनका एजेंडा था कि देश की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही को मुख्य राष्ट्रीय एजेंडा होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, जहां औसत उम्र 28 साल है, और जहां बिना पैसे या रसुख वाले लाखों लोगों के लिए शिक्षा ही बेहतर भविष्य का एकमात्र जरिया है। छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। शिक्षा के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में लाने के लिए हमें उन युवाओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए।

कांग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में युवा प्रदर्शनकारियों ने अपना हस्ता लंबा आंदोलन तब खत्म किया, जब शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के बाद, सीजेपी ने कहा कि सरकार उन छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सहमत हो गई है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। साथ ही, सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का भी आश्वासन दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने, नेशनल टैस्टिंग एजेंसी में पूरी तरह बदलाव करने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने का भी वादा किया है। जंतर-मंतर पर आई भीड़ को किसी एक श्रेणी में नहीं बांथा जा सकता था: इसमें दादी-नानियां, युवा महिलाएं और पुरुष, बच्चे, परिवार, छोटे और बड़े शहरों के निवासी, अमीर और गरीब सभी शामिल थे और उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना किया और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए डटे रहे।

लेकिन, विरोध-प्रदर्शन खत्म होने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के संदर्भ में एक ही मुद्दा है: नीकरिया-एक ऐसी पीढ़ी के लिए निष्पक्ष अवसर का वादा, जिसे इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह पीढ़ी स्मार्टफोन, प्रतिस्पर्धी रैंकिंग और अंकों के जरिये अपनी अहमियत तय करने वाले माहौल में पली बढ़ी है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत और कर्मचिलियत का इनाम मिलता है। जब सिस्टम ही बेपरवाह या समझौता करता हुआ दिखता है, तो धोखा व्यक्तिगत लगता है। आंदोलन ने पहले से मौजूद इस भावना को और पक्का कर दिया कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षा में जवाबदेही दबाव का एक सबसे स्पष्ट बिंदु बन गई है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आकांक्षा और संस्थागत विश्वसनीयता के मिलन-बिंदु पर स्थित है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह पीढ़ी स्मार्टफोन, प्रतिस्पर्धी रैंकिंग और अंकों के जरिये अपनी अहमियत तय करने वाले माहौल में पली बढ़ी है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत और कर्मचिलियत का इनाम मिलता है। जब सिस्टम ही बेपरवाह या समझौता करता हुआ दिखता है, तो धोखा व्यक्तिगत लगता है। आंदोलन ने पहले से मौजूद इस भावना को और पक्का कर दिया कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षा में जवाबदेही दबाव का एक सबसे स्पष्ट बिंदु बन गई है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आकांक्षा और संस्थागत विश्वसनीयता के मिलन-बिंदु पर स्थित है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

अमेरिका दुनिया के सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल बेच रहा है, जबकि चीन दूसरे सबसे उन्नत एआई मॉडल मुफ्त या बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करा रहा है। दुनिया इन मॉडलों को खूब अपना भी रही है। नवीजतन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में चीनी एआई मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले वर्ष पहली बार चीनी एआई मॉडलों को अमेरिकी मॉडलों से अधिक डाउनलोड किया गया। जर्मनी की सीमेंस जैसी कंपनियां और सिंगापुर का राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम अमेरिकी मॉडलों के साथ चीनी एआई अपना रहे हैं। कुछ अमेरिकी कंपनियां भी चीनी एआई का सहारा लेने लगी हैं। पर, ये चीनी मॉडल उतने निर्दोष नहीं हैं, जितना समझा जा रहा है।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कई चीनी एआई मॉडल अमेरिकी तकनीक की आंशिक रूप से नकल करके विकसित किए गए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका विकास चीन के उन कानूनों के तहत हुआ है, जो तय करते हैं कि एआई क्या कह सकता है और क्या नहीं। इन नियमों के अनुसार, एआई ऐसा कोई उत्तर नहीं दे सकता, जिससे चीन की छवि को नुकसान पहुंचे, अलगाववाद को बढ़ावा मिले या वहां की सामाजिक स्थिरता कमजोर हो। यही कारण है कि इन एआई मॉडलों को इस तरह विकसित किया जाता है कि वे चीनी सरकार के हितों के अनुरूप उसकी सोच, दुष्प्रचार और भ्रामक दावों को बढ़ावा दें।

इसलिए, असली चिंता यह नहीं है कि ये मॉडल चीन में बने हैं, बल्कि यह है कि इन्हें चीन के हितों के लिए बनाया गया है।

जो भी देश दुनिया की एआई आपूर्ति पर नियंत्रण रखेगा, वही तय करेगा कि दुनिया कैसे सोचेगी। जैसे-जैसे ये मॉडल ज्यादा स्मार्ट और स्वचालित होते जा रहे हैं, हम सोचने-समझने का अधिकतर काम इन्हीं पर छोड़ते जा रहे हैं। लोग शोध, विश्लेषण, निर्णय और कोडिंग जैसे काम भी तेजी से एआई पर छोड़ रहे हैं। इस प्रवृत्ति को 'कॉग्निटिव ऑफ़लोडिंग' कहा जाता है। यानी, इन्सान सोचने और निर्णय लेने का ज्यादातर काम मशीनों को सौंपने लगा है। लेकिन,



ऐसा भरोसा उन एआई मॉडलों पर नहीं होना चाहिए, जिन्हें किसी विदेशी सरकार के हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया हो, चाहे वे कितने भी सस्ते और बेहतर क्यों न दिखें।

इसी आशंका को परखने के लिए पिछले वर्ष चीनी एआई मॉडल डीपसीक का परीक्षण किया गया। शोधकर्ताओं ने उससे कुछ सीधें, तो कुछ सवाल घुमा-फिराकर पूछे। पर, अमेरिकी सर्वर पर चलने के बावजूद डीपसीक ने अमेरिकी एआई मॉडलों की तुलना में बीजिंग के आधिकारिक दावों और उसके हित की बात को कहीं अधिक दोहराया। अगर डीपसीक की वेबसाइट पर जाएं, तो वहां भी यही रुख दिखाई देता है। वहां ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा बताया गया है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों की खुलकर प्रशंसा की गई है। ये दावे स्पष्ट रूप से इतने पक्षपाती हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से पहचान सकता है। लेकिन, असली चुनौती उन सामान्य जवाबों की है, जिनमें पक्षपात आसानी से नजर नहीं आता।

आज के एआई मॉडल उत्तर देने से पहले अपने स्तर पर जानकारी का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं और फिर अंतिम जवाब तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को 'चेन ऑफ़ थॉट' या एआई की 'सोचने की प्रक्रिया' कहा जाता है। कुछ मॉडल अपनी इस आंतरिक प्रक्रिया की झलक भी दिखाते हैं। शोधकर्ताओं ने जब अलीबाबा के क्वेन मॉडल का अध्ययन किया, तो पाया कि चीन से जुड़े विषयों पर वह एक तयशुदा चेकलिस्ट का पालन करता है-जवाब सकारात्मक हो, उपलब्धियों पर जोर हो और आलोचना से बचा जाए। इसका मतलब है कि यदि कोई कंपनी एआई से पूछे कि चीन में निवेश करना चाहिए या नहीं, किस आपूर्तिकर्ता पर भरोसा किया जाए या किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद को कैसे समझा जाए, तो संभव है कि जवाब में उपयोगकर्ता से पहले चीन के हितों को प्राथमिकता मिले।



उम्र के ढलते वर्षों के शांत उजाले में सत्य अधिक स्पष्ट और शुद्ध होकर चमकता है।
-जीन मिलन



तकनीक से डरिए नहीं, उसे समझिए

बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंतित वाराणसी के मोहन जी को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सूर्य प्रताप सिंह ने कुछ यों सलाह दी :

मैं 75 साल का हूं और अपनी से जुड़े रहने व मनोरंजन के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूं, पर बढ़ते साइबर क्राइम ने मेरी चिंता बढ़ा दी है। मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आपकी बातों को समझ सकता हूं। उम्र के इस पड़ाव पर स्मार्टफोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि अपनों से जुड़े रहने और अकेलापन दूर करने का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। दूसरे शहरों या विदेश में रहने वाले बच्चों और पोते-पोतियों से वीडियो कॉल पर बात करना, समाचार पढ़ना, ऑनलाइन दवा या जरूरी सामान मंगाना जैसे कई काम अब मोबाइल से आसानी से हो जाते हैं। तकनीक ने वरिष्ठ नागरिकों को पहले से अधिक आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में, साइबर ठगी की खबरों से घबराकर स्मार्टफोन से दूरी बनाने की नहीं, बल्कि उसे समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है।

आजकल साइबर ठग पहले से कहीं अधिक चालाक हो गए हैं। वे किसी तकनीकी कमजोरी का नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे, डर, जल्दबाजी और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। यदि आप कुछ बुनियादी सुरक्षा नियम याद रखें, तो ऐसी ठगी से आसानी से बचा जा सकता है।

■ ओटीपी और पिन कभी न बताएं : बैंक, पुलिस, बिजली विभाग या कोई भी सरकारी अधिकारी कभी फोन पर आपसे ओटीपी, पासवर्ड या एटीएम

पिन नहीं मांगता। पेंशन या बैंक खाता बंद होने की धमकी मिलने पर भी यह जानकारी किसी अनजान के साथ साझा न करें।

■ अनजान लिंक से सावधान रहें : व्हाट्सएप या मैसेज पर आने वाले लॉटरी, बिजली बिल बकाया या



फ्री गिफ्ट वाले किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।

■ पैसे पाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन न करें : ध्यान रखें, क्यूआर कोड केवल पैसे भेजने (भुगतान करने) के लिए स्कैन किया जाता है। पैसे पाने के लिए कभी भी स्कैन या पिन की जरूरत नहीं होती।

■ अज्ञात एप डाउनलोड करने से बचें : फोन पर बात करते हुए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर एनीडेस्क या विवक सपोर्ट जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप

इंस्टॉल न करें। इससे सामने वाला व्यक्ति आपके फोन को अपने नियंत्रण में ले लेता है। किसी भी अनजान नंबर से आने वाली व्हाट्सएप वीडियो कॉल उठाने से परहेज करें।

■ अगर ठगी हो ही जाए, तो : सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अपने बैंक को सूचना देकर कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग को तुरंत ब्लॉक करवाएं। फिर, बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन पर फोन करके और cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करें। कोशिश करें कि शिकायत 'गोल्डन आवर', यानी शुरुआती एक घंटे के भीतर कर दें, इससे पैसे रोकने की संभावना बढ़ जाती है। मैसेज, स्क्रीनशॉट, ट्रॉजेंकन आईडी और कॉल नंबर जैसे सभी सबूत सुरक्षित रखें। साइबर पुलिस थाने में भी शिकायत करें। बैंकिंग एएस में बायोमेट्रिक लॉक व टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें।

सबसे जरूरी बात, यदि कोई फैसला लेने का दबाव बनाए, डराए या कोई लालच दे, तो पहले परिवार के किसी सदस्य से बात करें। तकनीक से डरिए नहीं, उसे समझिए। थोड़ी सतर्कता और सही जानकारी के साथ स्मार्टफोन आपके लिए सुविधा, सुरक्षा और अपनों से जुड़े रहने का भरोसेमंद साथी बन सकता है।

जीवन का रंग बदलता है, सुंदरता नहीं

जीवन का सबसे सुंदर अध्याय वह नहीं होता, जिसमें हम सबसे तेज दौड़ते हैं; बल्कि वह होता है, जिसमें हम सबसे गहराई से जीना सीखते हैं। वृद्धावस्था उसी अध्याय का नाम है।

वृद्धावस्था अचानक नहीं आती। वह किसी आंघोरी की तरह जीवन को एक झटके में नहीं बदलती, बल्कि समय के साथ बेहद शांत, धैर्यपूर्ण और लाभग अदृश्य कदमों से हमारे भीतर उतरती है। हर बीतता दिन हमारे अनुभव, सोच और व्यक्तित्व में कुछ नया जोड़ता जाता है। शुरुआत में हम उसके संकेतों को भले ही अनदेखा कर दें, लेकिन एक दिन एहसास होता है कि बदती उम्र हमारी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। इसी क्षण हम समझते हैं कि जैसे कभी युवावस्था हमारे भीतर ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सपनों के रूप में बसती थी, वैसे ही अब अनुभव, धैर्य और परिपक्वता ने उसकी जगह ले ली है। जीवन का रंग बदलता है, सुंदरता नहीं। केवल उसे देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है।

वृद्धावस्था के साथ हमें अपने कई अधूरे सपनों, इच्छाओं और उम्मीदों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ सपनों को विदा करना पड़ता है, कुछ को नया आकार देना पड़ता है और कुछ को नए अर्थों में जीना पड़ता है। पर, यहीं



रोहिनी बी. नूरी

जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जैसे-जैसे जीवन का दायरा सीमित होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती है। कभी साधारण लगने वाले रिश्ते, पल और एहसास समय के साथ सबसे अनमोल संपत्ति बन जाते हैं। दरअसल, वृद्धावस्था जीवन को एक अर्थों में जीने की वह कला है, जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाती है। यह वह समय है, जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों से अधिक अपने अनुभवों की विरासत छोड़ता है। जब वह दूसरों को रास्ता दिखाता है, स्वयं को नए रूप में पहचानता है और उन सच्चाइयों तक पहुंचता है जिन्हें युवावस्था की भागदौड़ कभी देखने ही नहीं देती। यदि युवावस्था जीवन को गति देती है, तो वृद्धावस्था उसे दिशा। यदि युवावस्था सपने देखने का साहस देती है, तो वृद्धावस्था उन सपनों का अर्थ समझने की बुद्धि।

आखिरकार, जीवन का सबसे सुंदर अध्याय वह नहीं होता, जिसमें हम सबसे तेज दौड़ते हैं; बल्कि वह होता है, जिसमें हम सबसे गहराई से जीना सीखते हैं। वृद्धावस्था उसी अध्याय का नाम है।

मददगार एएस

- **एडगार्ड** : इंटरनेट पर दिखाई देने वाले अनचाहे विज्ञापनों, पॉप-अप, ट्रैकर्स और कई प्रकार के हानिकारक वेब अनुरोधों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, कई संदिग्ध और हानिकारक वेबसाइटों तक पहुंचने से पहले ही चेतावनी देता है। कई प्रकार की भ्रामक या हानिकारक विज्ञापन सामग्री से सुरक्षा मिलती है।
- **संचार साथी** : इसके जरिये आप अपने नाम पर जारी सिम कार्ड की जानकारी देख सकते हैं, अनधिकृत सिम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं तथा फर्जी कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश और अन्य साइबर धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- **चक्षु पोर्टल** : यहां आप फर्जी कॉल, धोखाधड़ी के एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश, नकली कैवाइसी, बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी तथा अन्य साइबर धोखाधड़ी के प्रयासों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- **ट्रूकॉलर** : यह अज्ञात नंबरों की पहचान करने, स्पैम या धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की चेतावनी देने तथा उन्हें ब्लॉक करने में मदद करता है।
- **साइबर दोस्त व पीआईबी फेक्ट चेक** : साइबर दोस्त साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी देता है। पीआईबी फेक्ट चेक का काम सरकारी योजनाओं, नीतियों व आदेशों से जुड़ी भ्रामक या फर्जी सूचनाओं की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध कराना है।



वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- **वानप्रस्थ वृद्धजन सेवा सदन** असहाय बुजुर्गों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराता है। इसका काम बुजुर्गों को आश्रय, कपड़े, भोजन तथा नियमित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने और विशेष उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। संस्था का उद्देश्य बुजुर्गों की शारीरिक देखभाल के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से बाहर निकालकर आत्मीय वातावरण देना और उनके आत्मसम्मान को बनाए रखना भी है। अधिक जानकारी के लिए आप 9899119705 पर संपर्क कर सकते हैं।
- **केयर इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट** अपने 'केयरिंग ऑलवेज' और 'ओल्ड एज असिस्टेंस' कार्यक्रमों के जरिये जरूरतमंद बुजुर्गों की सहायता करता है। संस्था नियमित स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवाइयों का वितरण और मधुमेह, गठिया जैसी उम्र संबंधी बीमारियों के उपचार में मदद करती है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट careindia.welfaretrust.org या info@careindia.welfaretrust.org पर संपर्क कर सकते हैं।

संपादकीय

शाळेत नको, डब्यातही नकोच!

फूड यंत्राती-जीवशास्त्रातील सुमारे १ लाख ८ हजार शाळांपासून ५० मीटर परिसरत जंक फूड प्यायणा-जीवशास्त्रातील बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा पाऊन अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी बुधवारी केली. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, मात्र अंमलबजावणी कोणी व कशी करायची, याबाबतच गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या 'फूड सेफ्टी अँड न्यूट्रिशन सॅन्डॉर्बिटी ऑफ इंडिया'ने (एफएसएसएआय) शालेय मुलांच्या आहाराबाबत २०१५ पासून व्यापक चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वे त्याच्या केल्यावर त्यानुसार ४ सप्टेंबर २०२० पासून राज्यात नियम लागू झाले. मात्र मुंडे एफडीएचे आयुक्त झाल्यावर अंमलबजावणीला २०२६ मध्ये मुहूर्त लावण्यात आला. मुलांमध्ये वाढणारा लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि इतर जीवशास्त्रातील समस्या आजवर लक्षात घेऊन शाळांचे कॅन्टीन व परिसरत अन्न तयार करणे, साखर आणि मीठ यांचा समावेश असलेल्या पदार्थांवर बंदी घालण्याबाबत मुंडा तयार केला गेला. बरीच चर्चा झाल्यावर पुढे शाळा परिसरत अशा खाद्यपदार्थांच्या विक्रीला मनाईची कायदेशीर तरतूद झाली. मात्र कोणीच त्याची गंभीरपणे न दखल घेतली नाही. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, शाळांचा व परिसर, तेथील व्यवसाय यासंबंधीत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कायदेशीर तरतूदी बकवळ आहेत, मात्र त्या सर्वांस पायदळी तळविल्या जाऊनता. शाळा परिसरत सज्ज उपलब्ध होणारे जंक फूड आणि तंबाखूजुन पदार्थ ही सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या बनली आहे. केंद्र सरकारच्या तंबाखूजुन पदार्थांविक्रीकड कायदा २००३ च्या तरतूदीनुसार शाळांपासून १०० यार्ड परिसरत विक्रीबंदी अंमलबजावणी १८ सप्टेंबर २००९ पासून सुरू झाली, तर प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावर तंबाखू विक्रीस मनाई असल्याचा इशारा देणारा फलक लावणे १९ जानेवारी २०१० पासून बंदीबनकरणात करण्यात आले. राज्य सरकारच्या दारुविक्रीकड कायद्यांमधील तरतूदीनुसार महानगरपालिका क्षेत्रात शैक्षणिक संस्थेपासून ५० मीटर, तर इतर भागात १०० मीटरच्या आत नवीन दारूचे दुकान किंवा महाविक्री परवाना देता येत नाही. या अनेक कायदेशीर तरतूदी वर्षानुवर्षे लागू असून, अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षण, आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासन, महापालिका आणि पोलिस यंत्रणेवर आहे, मात्र त्यात कोणालाही रस नाही. मुंडे यांनी पुढाकार घेऊन मुलांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने जुन्या कायदेशीर तरतूदीची राज्यात प्रथमच अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतले केला आहे. त्यामुळे आता शाळांचे कॅन्टीन व ५० मीटर परिसरत वडापाव, समोसा, चिप्स, कोला ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आइस्क्रीम, प्रक्रिया केलेले पदार्थ आदी विकता येणार नाहीत. आजकाल हे पदार्थ खाल्ल्याखेरीज मुलांचे काही चालतच नाही, अशी परिस्थिती आहे. शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये व बाहेरील दुकाने, स्टॉल, हॉलगाटाड्यांवर हे पदार्थ म्हजपणे उपलब्ध होतात. शाळांमधील झेडादारा, स्नेहसंमेलन व अन्य कार्यक्रमांमध्येही वडा-समोसा, वेफर्स सर्रासपणे वाटले जाऊनता, तर डब्यात पोळी-भाजी, उप्मा, पोहे, इटली असे पदार्थ देणे अवघड असले, म्हणून पालकही मुलांना वेफर्स व तसम कुरकुरीत खाद्यपदार्थांची पाकिटे घरातूनच डब्यात देतात किंवा विकत घ्यावयाची पैसेच देतात. शाळांमध्ये अन्न तयार करणारे फूड मिळाले नाही, पण ते पाककांनी घरातूनच डब्यात देतात, तर? गेली अनेक वर्षे अंमलबजावणी पडलेली ही खाद्यसंस्कृती मोडून कोणताकाढावी लागेल. हे कुणा एकट्या मुंडे किंवा शासकीय यंत्रणेचे काम नव्हे. शाळा या यंत्रणांना त्याच्यात फारसा रसही नाही. उद्या मुंडे या पदावर असले नसले तरी मुलांच्या आहाराची काळजी घेण्यासाठीची ही चळवळ शाळा आणि पालकांमधील पुढे पोली पाहिजे. शाळांनी पालकांबरोबर बैठक घेऊन कॅन्टीन व अन्य मार्गांनी त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याची गरज आहे. जंक फूडला मनाईचा फलक शाळेने दरवाजाबाहेर लावून जबाबदारी संपणार नाही. त्यासाठी महापालिका, पोलिस यंत्रणा व एफडीएशी संर्कट साधून कारवाई करावी लागेल. त्यास जोरदार राजकीय पाठिंबाची अपेक्षा आहे. कोणतेही निर्बंध व बंदी आदेश लागू केले की, त्यातून पळवता शोधल्या जाऊनता. मुलांच्या आहाराविषयी काळजीच्या दृष्टिकोनातून घेतलेल्या या विनिर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची तब्येत सुधारण आवश्यक आणि अपेक्षित आहे. बंदीची अंमलबजावणी करण्याच्या शासकीय यंत्रणांमधील कर्मचाऱ्यांची तब्येत' सुधारू नये, म्हणजे झाले!

जगभर

१७ सेकंदांचा व्हिडिओ, बदललं चिमुड्यांचं भविष्य !

अच डोंगरातला रस्ता... चढाचा. मातीचा... चिखलाचा...
मुनूकताच मुळमुळचा पाऊस पडून गेला आहे.
आजुबाजुनला बरीच झाडी आहेत. जंगलच ते. समो
बरेच धुकंदी आहे. बहुदा तिथे पाऊस पडत असावा.
मुजुलादी, हिरवा आणि पिवळ्या रंगाचा रेनकोट
पाऊसाला त्याला तिला चिमुकल्या मुली या रस्त्यांनं जात
आहेत. रेनकोटच्या आत चिमुक्या पाठीवर शाळेची
दुपदरें आहेत. आपल्याच मस्तीत या तिघी मुली शंत,
पाई हाईमार्त, लग्नाची नवऱ्या आहेत. कोणीती ती
त्यांच्या हाक मारत आहे. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून,
संवात त्या या झपझप निघाल्या आहेत. कारण या
डोंगरातल्या, चढणीच्या रस्त्यांनं त्यांना शाळेत वेळेवर
पोहोचायचं आहे...

केवल १७ सेकंदाचा नेपाळमधला हा व्हिडिओ. पण या व्हिडिओने सध्या संपूर्ण जगात आणि सोशल मीडियावर खळबळ माजवली आहे. लाखो लोकांनी हा व्हिडिओ शेअर, व्हायरल केला आहे आणि या

महणजे काय?

ऑथोसोमनिया - 'आदर्श' झोप मिळवण्याचा अस्वस्थ ध्यास

આપણે કિતી તાસ ડ્રોપલો, આપણી ડ્રોપ કશી હતી, યાસારખ્યા અનેક ગોષ્ઠી સ્માર્ટવૉચ સાંગતે; પણ ત્યામુઠ્ઠે આપણી 'નિદ્રાનાશ' કા વાઢવાયચ

आजचा काळ स्मार्ट गॅजेट्सचा आहे. स्मार्ट गॅजेट्सची यादी आता स्मार्टफोनपुरती मर्यादित राहायलाहिली नाही. आता स्मार्टवॉची, सर्रास वापरले जाते. हे वॉच काय काय करते, ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. रक्तदाब, हृदयाच्या ठोण्यांचा वेग मोजते. स्मार्टवॉच वॉच घालणारी व्यक्ती झोपतभरात किती पावले चालली, किती तास झोपली, झोपत किती वेळा उठली अशा अनेक गोष्टींचा हिशोब हे वॉच ठेवते. पण आजच्यामुळेच मानवाच्या वर्तनात अनेक चमत्कारिक बदलही अप्रत्यक्षपणे हे वॉच आणि त्यासारखी गॅजेट्स घडवून आणत आहेत.

त्याचाच एक भाग म्हणजे आजकाल सकाळी उठल्यावर अनेक जण आधी आपल्या स्मार्टवॉच किंवा मोबाइलमध्ये 'स्लीप स्कोअर' तपासतात. काल किती तास झोप झाली, किती वेळ गाढ झोप लागली, किती वेळा जाग आली, झोपेची 'क्वॉलिटी' कशी होती अशा अनेक गोष्टी त्यावरून जाणून घेतात. स्वतःच्या

आरोग्याबाबत जागरूकता वाढणे आवश्यक असले तरी अशा गॅजेट्समधून मिळणारी अतिरेकी माहिती मात्र अनावश्यक ताण जन्माला घालताना दिसतात. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे 'ऑर्थोसोमनिया'.

‘आर्थो’ म्हणजे योग्य किंवा परिपूर्ण आणि ‘सोमिया’ म्हणजे झोप. या दोन शब्दांपासून आर्थोसोमिया ही संकल्पना तयार झाली आहे. संकल्पना म्हणून ती प्रचलित नसली तरी स्मार्टवेांच्या माहितीवर आपली झोप चांगली की स्मार्ट वेा हे ठरवणाऱ्यांसाठी ती नव्याने रुजत चाललेली दिसते.

तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मते स्मार्टवीचवर आलेला स्लीप स्कोअर वाईट असेल तर लोक दिवसभर त्याचाच विचार करत राहतात. आपली झोप कमी झाली, का झाली, आपण गाढ का झोपलो नाही, किती वेळा जाग आली याचे हिशोब मांडत राहतात. सकाळी उठून त्यानंतर दिवसभर 'काल माझी झोप नीट झाली

अध्यायाचारी वरिष्ठ मुकुट व काकाशक **लालाजी मुकुट** जॉन्स प्लॉट नं. २-५८ इंडियन पॅथर, एम.आय.डी.सी., महाप्रे, नवी मुंबई येथे मृतिक कवच 'लोकमत', पूव्ही पाक, सेक्टर ३०, साप्पाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७७९ येथून प्रसिद्ध केले. •दूरध्वनी क्र : ०२२-२४६१०८२४६
लाहा, पारिजात हासन, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडियन इस्टेट, लक्ष्मीनगरिया समीप मार्ग, ६०१ • मोझेसे संपत्तीमाल, गांधीनगर, वास्की, मुम्बई, ४०००९४ • दूरध्वनी क्र : ०२२-२४६०८५३-५८ •**ठाणे कार्यालय**: वेस्टर्न रेल्वे, श्री गजानन महाराज चौक, वाकरची भवनजावळ, ठाणे, फोन : २४६४४११०५, २५३२५७७४
सेक्टर ३०, साप्पाडा, फोन : २४६०७५८ • सस्यपाक संपादक: **राजू जगहलनाथ दावी** • मानद संपादिका: **श्रीमती अनाईदाई** • चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड: **चिंचय दावी** • परिषद् पुन चिंचय: **राखंद दावी** • समूह संपादक: **विजय बाणारे**
•संपादक:**अतुल कुलकर्णी** •(पी. आर. बी. कायधानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे). 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखत ठेवावे आहेत. **लोकमत** हे विन्हु लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे व्यापारचिन्ह आहे.

चिंतन विद्वानों पर टिप्पणी करने से बचें राजनेता

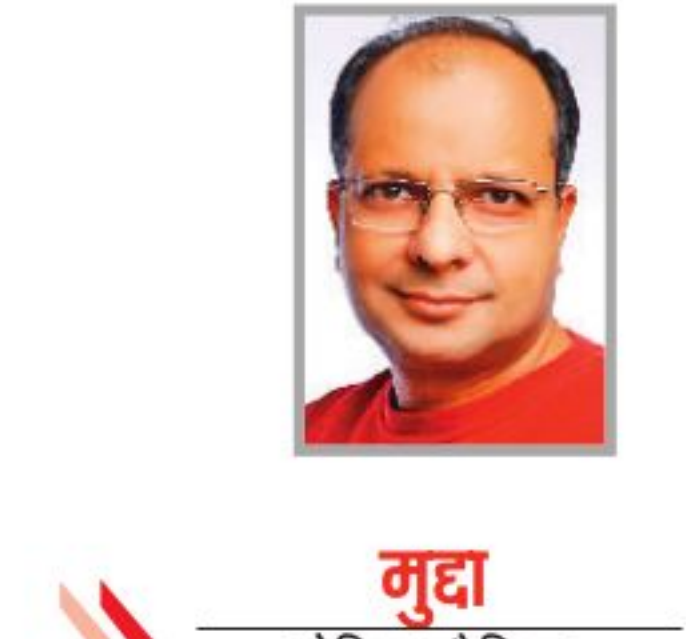
विद्वान और शिक्षाविद् देश की अमूल्य धरोहर होते हैं। वे किसी भी दल, धर्म, जाति या दल से ऊपर होते हैं। ऐसे में राजनेताओं को विद्वानों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के नवगठित शिक्षा सुधार समिति के एक सदस्य आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर बी. कामकोटि को गोमूत्र विशेषज्ञ कहे जाने पर लोकसभा में हंगामा हो गया। प्रोफेसर कामकोटि गोमूत्र के कथित औषधीय गुणों पर अपनी राय के कारण पहले भी चर्चा में रहे हैं। इस मामले को लेकर 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों तथा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखकर इसी चिंता को सामने रखा है। पत्र में कहा गया है कि किसी शिक्षाविद् से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके विचारों और शोध पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उनका मजाक उड़ाना उचित नहीं है। प्रो. कामकोटि को पारंपरिक ज्ञान या किसी वैज्ञानिक परिकल्पना पर अपनी राय रखने का अधिकार है। यदि उनके किसी दावे या विचार से असहमति है तो उसके प्रमाणों और वैज्ञानिक आधार को चुनौती दी जानी चाहिए। वैज्ञानिक विमर्श की यही स्वस्थ परंपरा है। प्रो. बी. कामकोटि कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद् हैं तथा आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। उन्होंने इसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा और पीएचडी हासिल की। उनके नेतृत्व में उस टीम ने भारत के स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों में भी भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति की किसी एक राय को आधार बनाकर उसकी पूरी विद्वता को एक उपहासपूर्ण संबोधन में सीमित कर देना निश्चित रूप से स्वस्थ बहस का तरीका नहीं हो सकता। यदि गोमूत्र के औषधीय गुणों को लेकर कोई दावा वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो वैज्ञानिक समुदाय और राजनेताओं को उसके प्रमाण मांगने चाहिए। शोध को शोध से चुनौती दी जानी चाहिए, व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा और परीक्षा सुधार जैसे गंभीर विषयों पर बनी समितियों में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। पेपर लोक जैसी समस्या केवल शिक्षा विभाग की समस्या नहीं है। इसमें तकनीक, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, खुफिया तंत्र और परीक्षा संचालन से जुड़े विशेषज्ञों की भी भूमिका हो सकती है। राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष और उपहास से बहस का स्तर गिरता है। सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी यही कसौटी लागू होनी चाहिए। किसी वैज्ञानिक, शिक्षक, न्यायविद् या अन्य विद्वान की राजनीतिक विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान बना रहना चाहिए। शिक्षाविदों की आपत्ति को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट है कि विचारों पर कठोर बहस कीजिए, प्रमाण माँगिए, गलत दावों को तथ्यों से खारिज कीजिए, लेकिन विद्वानों का उपहास मत उड़ाइए। भारत को आज ऐसी ही संवाद संस्कृति की जरूरत है, जिसमें राजनीतिक असहमति के बावजूद ज्ञान और विद्वता के प्रति सम्मान बना रहे।

जयंती विशेष बाल मुकुन्द ओझा

आम आदमी की बोली के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद

आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। ग्रामीण जन जीवन के चित्तेरे लेखक मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी न केवल प्रासंगिक हैं अपितु हिंदी साहित्य की अमर अजय रचनाएं हैं। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास विधा में एक नई और जीवंत परंपरा की शुरुआत की। उनकी प्रत्येक रचना सच्चाई के इर्दगिर्द घूमती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं और पीड़ाओं को यथार्थ रूप से चित्रित किया। यही कारण है कि वे साहित्य के अमर अजर रचनाकार के रूप में ख्यात हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपतराय था। प्रेमचंद ने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया। कहानी 1907 से लिखने लगे। उर्दू में नवाबराय नाम से लिखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों लिखी गई उनकी कहानी सोजेवतन 1910 में जन्म की गई। उसके बाद अंग्रेजों के उत्पीड़न के कारण वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1930 में हंस का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने मर्यादा, हंस, जागरण तथा माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। ये आधुनिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहलाए। उन्हें कथा सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। इन कहानियों में आम आदमी की घुटन, चुपन व कसक को अपनी कहानियों में उन्होंने प्रतिबिम्बित किया। उनकी कहानियों में रूढ़ियों, अंधविश्वासों, अंधपरंपराओं पर कड़ा प्रहार किया गया है वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदनाओं को भी उभारा गया है। ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, दो बैलों की आत्म कथा जैसी कहानियां कालजयी हैं। तभी तो उन्हें कलम का सिपाही, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्रेमचंद के साहित्य में समस्याओं को न केवल उठाया गया है, बल्कि उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या, गबन में नारी के आभूषण प्रेम की समस्या, कर्म भूमि में जमींदारों के अत्याचारों का पूंजीपतियों की हठधर्मिता की समस्या, निर्मला में अनेकल विवाह की समस्या आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार प्रेमचंद अपने साहित्य में इन समस्याओं को उनके दुष्प्रभावों से परिचित कराते हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। प्रेमचंद का साहित्य ग्रामीण जीवन की संपूर्ण झांकी को प्रस्तुत करता है। गोदान उपन्यास तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहलाता है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, वे बैलों की कथा आदि कहानियां भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिखी गई हैं। इन रचनाओं में उन्होंने ग्रामीणों के प्रति एक नवीन व स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर उनकी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से उठाया है। मुंशी प्रेमचंद एक महान कथाकार के साथ-साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी रहे हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया है। मुंशी प्रेमचंद देश के ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी और ऐयारी से बाहर निकाल कर जमीनी हकीकत से परिचय कराया। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम लोगों विशेषकर मेहनतकश वर्ग की भावनाओं और सच्चाइयों को वर्णित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की वास्तविक और जमीनी समस्याओं से देशवासियों को अवगत कराया। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। वह आम भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में ऐसे नायक हुए,जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने सरल,सहज और जनसाधारण की बोल-चाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रातिनिशील विचारों को दृढ़ता से समाज के सामने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक माने गए। उनकी रचनाओं में समाज का पूरा ‘परिवेश’ उसकी ‘कुरूपता’ और ‘असमानता’, ‘छुआछूत’, ‘शोणण’ की विभीषिका कमजोर वर्ग और स्त्रियों का दमन आदि वास्तविकता प्रकट हुई है। उन्होंने सामान्य आदमी का जीवन अत्यंत निकट से देखा था तथा खुद उस जिंदगी को भोगा भी था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें ‘उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिन्दी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया, जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों जमकर विरोध किया और आम आदमी की कहानी उनकी बोलचाल की भाषा में चित्रित की।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



मुद्रा रोहित कौशिक

देश में उच्च शिक्षा के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को चेताया है कि वे प्रवेश लेने से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता, संबंधित कोर्स और डिग्री की मंजूरी के बारे में सही तरीके से जांच कर लें। यूजीसी ने सभी राज्यों व विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं होगी। दरअसल, हर साल देश के अनेक युवा फर्जी शिक्षण संस्थानों के चक्कर में फंस जाते हैं। बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इन दिनों देश में कई संदिग्ध शिक्षण संस्थान अनेक तरह की फर्जी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आते भी रहते हैं। ऐसे संस्थानों के संदिग्ध क्रियाकलापों का खुलासा होने पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऐसे संस्थान फिर शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती में फर्जी बीपीएड डिग्रियां बांटने वाले उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय पर कार्रवाई भी की गई थी। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने एक निजी विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जी डिग्री घोटाले का भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई की थी। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी डिग्रियां, प्रोजेक्शनल और माइग्रेसन सर्टिफिकेट समेत अन्य कई तरह की सामग्री बरामद की थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक तरफ फर्जी डिग्रियों के माध्यम से शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठग रहे हैं। कुछ समय पहले यूजीसी ने देश भर में खुले कई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी। इन विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। शर्मनाक यह है कि ये विश्वविद्यालय हाल ही में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कई वर्षों से चल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में हजारों छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के भंवर में फंस जाते हैं। सवाल यह है कि कई वर्षों से चल रहे इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर इन पर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो हजारों छात्रों के भविष्य पर भंडारा खतरे को दूर किया जा सकता था। दरअसल, ऐसे मामलों में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। यूजीसी समय-समय पर विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराता रहता है। सवाल यह है कि जब यूजीसी और सरकार को फर्जी विश्वविद्यालयों की जानकारी है तो उनके संचालकों की धपकड़ कर इन

कथनी और करनी में न हो कोई अंतर

सभी के हित का ध्यान रखते हुए मनसा, वाचा, कर्मणा अपने दायित्वों का सम्यक् रूप से निर्वाह करना कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य का पालन यदि समुचित रूप से किया जाता है तो जीवन पूर्णतः गौरवान्वित बनता है। जो कर्त्तव्यनिष्ठ है। वह अपने करणीय कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। वह परमार्थ पोषक एवं प्रामाणिक होता है। वह जैसा रहता है, वैसा ही करता भी है। ऐसी कथनी-करनी की एकरूपता से वह समाज में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है और प्रत्येक उससे प्रेरणाएं ग्रहण करता है। कर्त्तव्य परिपालन की बात करना और कर्त्तव्य परिपालन के नाम पर शोर-शराबा मचाना अलग बात है और कर्त्तव्यों के क्षेत्र में बिना किसी शोर-शराबे के समर्पित हो जाना अलग बात है। आज हम देखते हैं कि कर्त्तव्यों के परिपालन के लिए अक्सर लम्बे-चौड़े उपदेश दिये जाते हैं, पर जब कर्त्तव्य निर्वाह का अवसर आता है तो व्यक्ति दायें-बायें देखने लगता है। कटु सत्य तो यह है कि आज कर्त्तव्यों की चर्चा करने वाले लाखों हैं, पर कर्त्तव्यों के पावन पथ पर गतिशील होने वाले विरले ही हैं। कई बार मुझे चिंतन के क्षणों में लगता है कि आज व्यक्ति कर्त्तव्यों से विमुख हो गया है। इस विमुखता के कारण प्रत्येक क्षेत्र में असरजकता और अशांति का विस्तार हुआ है। कर्त्तव्यों के पावन क्षेत्र से भटककर कोई व्यक्ति कभी भी शांति का अहसास नहीं कर सकता। जीवन का गौरव और उसकी सार्थकता कर्त्तव्य पालन में ही है।



करंट अफेयर

सेवानिवृत्त से एक दिन पहले रिश्वत लेते पकड़ाया अभियंता

पुलिस ने बृहस्पतिवार को क्वालियर नगर निगम के एक कार्यकारी अभियंता (ईई) को लंबित बिलों के भुगतान के लिए एक ठेकेदार से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। लोकयुक्त के पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि आरोपी सुशील कटारे (62) 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्होंने बताया कि ठेकेदार सचिन पटौरी ने दो दिन पहले भत्तावार निरोधक एजेंसी से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि कटारे ने पटौरी द्वारा किए गए सिविल कार्यों के लिए लगभग 36 लाख रुपये के बिल को मंजूर करने के लिए एक प्रतिशत कमीशन या 36,000 रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने लोकयुक्त पुलिस को बताया कि वह पहले ही आरोपी अभियंता को 30,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। शर्मा ने बताया, "नगर निगम कार्यालय में जाल बिछाया गया। जैसे ही ठेकेदार ने 6,000 रुपये की शेष राशि कार्यकारी अभियंता को सौंपी, हमारी टीम ने उसे पकड़ लिया।" उन्होंने बताया कि कटारे के खिलाफ भत्तावार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

फर्जी शिक्षण संस्थानों पर नकेल जरूरी

देश में उच्च शिक्षा के लिए नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को चेताया है कि वे प्रवेश लेने से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता, संबंधित कोर्स और डिग्री की मंजूरी के बारे में सही तरीके से जांच कर लें। यूजीसी ने सभी राज्यों व विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं होगी। दरअसल, हर साल देश के अनेक युवा फर्जी शिक्षण संस्थानों के चक्कर में फंस जाते हैं। बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इन दिनों देश में कई संदिग्ध शिक्षण संस्थान अनेक तरह की फर्जी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आते भी रहते हैं। ऐसे संस्थानों के संदिग्ध क्रियाकलापों का खुलासा होने पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऐसे संस्थान फिर शुरू हो जाते हैं।

पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती में फर्जी बीपीएड डिग्रियां बांटने वाले उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय पर कार्रवाई भी की गई थी। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने एक निजी विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जी डिग्री घोटाले का भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई की थी। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी डिग्रियां, प्रोजेक्शनल और माइग्रेसन सर्टिफिकेट समेत अन्य कई तरह की सामग्री बरामद की थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक तरफ फर्जी डिग्रियों के माध्यम से शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठग रहे हैं। कुछ समय पहले यूजीसी ने देश भर में खुले कई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी। इन विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। शर्मनाक यह है कि ये विश्वविद्यालय हाल ही में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कई वर्षों से चल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में हजारों छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के भंवर में फंस जाते हैं। सवाल यह है कि कई वर्षों से चल रहे इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर इन पर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो हजारों छात्रों के भविष्य पर भंडारा खतरे को दूर किया जा सकता था। दरअसल, ऐसे मामलों में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। यूजीसी समय-समय पर विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराता रहता है। सवाल यह है कि जब यूजीसी और सरकार को फर्जी विश्वविद्यालयों की जानकारी है तो उनके संचालकों की धपकड़ कर इन

अवैध विश्वविद्यालयों को बन्द क्यों नहीं कराया जाता ? फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित कर देने मात्र से ही यूजीसी और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाते। यह विडम्बना ही है कि आज गली-गली में निजी शिक्षा संस्थानों की बाढ़ आ गई है। इनमें से कुछ शिक्षा संस्थानों के क्रियाकलाप संदिग्ध हैं। सवाल यह है कि शिक्षा को व्यापार बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है ? नब्बे के दशक में शुरू हुई उदारीकरण की आंधी ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि इससे पहले भी कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा निजी हाथों में आ चुकी थी, लेकिन नब्बे के दशक में



व्यापक रूप से पूरे देश में शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने का काम किया गया। सरकार ने खुद खाओ, खुद कमाओ की नीति के तहत शिक्षा का निजीकरण करते हुए गर्व का अनुभव किया। सरकार की इस नीति से अनेक औद्योगिक घराने अपना पारम्परिक व्यापार त्याग कर शिक्षा के क्षेत्र में कूद पड़े। उनके लिए यह उपक्रम सिर्फ एक व्यापार को त्याग कर दूसरे व्यापार को अपनाना भर था। इनकी देखा देखी छोटे व्यापारी भी इस क्षेत्र की तरफ भागने लगे। हमारे देश में प्रारम्भ से ही शिक्षा प्रदान करने का प्रायोजन धर्मार्थ माना गया है। इसलिए सरकार की नई नीति के तहत शिक्षा प्रदान करते हुए इन सभी व्यापारियों को धर्म एवं समाज सेवा का आवरण अपने आप मिल गया। धर्म एवं समाजसेवा के आवरण में मुनाफा कमाने का इससे अच्छा साधन और कोई नहीं हो सकता था। इसलिए शिक्षा के निजीकरण ने एक नए किस्म के व्यापार को जन्म दिया, जिसमें मुनाफा तो पूरा था, लेकिन व्यापारी की छवि मुनाफा कमाने वाले की नहीं बल्कि उपकार करने वाले की थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एक के बाद एक सरकारें इसी नीति पर चलती रहीं। सभी सरकारों द्वारा धड़ल्ले से निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाती रही। सरकारें बार-बार ये बताती रहीं कि हमारे देश के हालात को देखते हुए

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अजकी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।



- सुरेश कर्मा, बिलासपुर



- सुरेश कर्मा, बिलासपुर

विचार हरिभूमि 8

अभी और विश्वविद्यालय खोले जाने की जरूरत है। इस हड़बड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कई बार जानबूझकर इन विसंगतियों को नजरअन्दाज किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा जगत से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रहती है। अपना मुंह बन्द रखने और अवैध रूप से मान्यता देने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा इन अधिकारियों को मोटी रकम दी जाती है। स्पष्ट है कि शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार को बढ़ाने में इस क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और विभिन्न समितियों में स्थान प्राप्त प्रोफेसरसं भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल, निजी शिक्षण संस्थानों के मालिक विभिन्न राजनेता और अन्य प्रभावशाली लोग होते हैं इसलिए इस मामले में जानबूझकर चुपी साध ली जाती है। ऐसे मामलों में जितने दोषी विश्वविद्यालयों के संचालक हैं, उतनी ही दोषी सरकार और उससे जुड़े अधिकारी भी हैं।

आजादी के बाद कुछ हद तक शिक्षा नीति की कमजोरी को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए। एक बार फिर शिक्षा नीति में परिवर्तन की कोशिशें हो रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे नीति-निर्माता शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की हड़बड़ाहट में अपना विवेक खोकर कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को ठेस पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है या फिर इस परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा की कमजोरियों को दूर करना है? हमारे नीति-निर्माताओं की नीतियों एवं क्रियाकलापों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा नीति में परिवर्तन करना भर है। इस दौर में उच्च शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कहने को तो शिक्षा नीति में काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अभी भी लोक ही पीट रहे हैं। शिक्षा जगत में मौजूद इन विसंगतियों के बीच नई शिक्षा नीति में भी एक बार फिर निजी शिक्षण संस्थानों को अनेक तौर-तरीकों से पनपने का मौका दिया गया है। सवाल यह है कि क्या ये संस्थान शिक्षा के मूल उद्देश्य को पूरा करने की तरफ ध्यान देंगे? अब समय आ गया है कि सरकार निजीकरण की आड़ में पनपे संदिग्ध विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों पर गम्भीरता से ध्यान दें ताकि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अधकारमय होने से बचाया जा सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अजकी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

संतान गुस्सा हो तो उसे शांत करने की कोशिश जरूर करें

पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। ये विचार करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया और दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे हुए थे। गणेश जी ने ने तुरंत ही माता-पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि आप दोनों ही मेरे लिए संसार हैं। दूसरी ओर, कार्तिकेय स्वामी को संसार की परिक्रमा करके लौटने में थोड़ा समय लग गया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। गणेश जी को विवाहित देखकर कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव-पार्वती से कहा कि आपने ये सही नहीं किया है। क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीपर्वत भी कहते हैं। शिव जी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को समझाने की बहुत कोशिशें कीं, लेकिन कार्तिकेय शांत नहीं हुए। शिव-पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और ये वापस भी नहीं आएगा। तब दोनों ने तय कि वे ही कार्तिकेय से मिलने जाते रहेंगे।



- सुरेश कर्मा, बिलासपुर

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Newspapers Editorials [35-40 pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, European & American

Hindi Newspapers

- 1) दैनिक जागरण
- 2) जनसत्ता
- 3) हरिभूमि
- 4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express

2. The Hindu

3. Business Line

4. Financial Express

5. Times of India

6. Hindustan Times

7. Economic Times

8. Live Mint

9. Business Standard

Click below to Join
this Community 

